Wednesday, 13 December, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

छठा सत्र

Sixth Session

5th Lok Sabha

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On ...
Parliament Library

खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं

Vol. XXII contains Nos. 21 to 29

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

PARL. ... 71(i) 21.3.73

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 22, बुधवार, 13 दिसम्बर, 1972/22 अग्रहायण, 1894 (शक)
No. 22, Wednesday, December 13, 1972/Agrahayana 22, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
421. लघु उद्योगों के लिये आयात कोटे में वृद्धि	Increase in Import Quotas for Small Scale Industries	1—4
422. सामान्य व्यक्तियों के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना का संस्करण	Common Man's Version of Fifth Five Year Plan	4—5
423. आर्थिक अपराधों के दोषी व्यक्तियों के नामों का प्रचार तथा उनकी सामाजिक निन्दा	Publicity and Social Censure of those found Guilty of Economic Crimes	5—7
424. उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की बैठक में औद्योगिक गृहों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति की आलोचना	Criticism of Industrial Licencing Policy by Industrial Houses in Central Advisory Council of Industry	7—8
426. 1857 में ब्रिटिश सरकार के लिये लड़ने वाले सैनिकों के परिवारों को पेंशन	Payment of Pension to Families of Soldiers who fought for British Government in 1857	8—12
428. शाहदरा टेलीफोन एक्सचेंज	Shahdara Telephone Exchange	12—13
430. दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की निदेशकों के रूप में नियुक्त	Appointment of IAS Officers as Directors in Various Departments of Delhi Administration	13—15

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the Houre by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
431.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का भारत के राष्ट्रीय आयोजन में योगदान	Netaji Subhas Chandra Bose's Contribution to the Indian National Planning	15—16
433.	स्थानीय लोगों को रोजगार देना	Employment for "Sons of the Soil"	17—21
436.	दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं की ओर बकाया राशि	Arrears outstanding against Delhi Telephone Subscribers	21—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
425.	गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों के लिये राज्यों को विशेष सहायता	Special Assistance for States for People living below Poverty Line	23
427.	राजस्थान और अन्य स्थानों से मूर्तियों की चोरी	Theft of Idols from Rajashthan and other Places	23
429.	पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी निरोधक कार्यक्रमों के लिये नियत राशि	Allocations made for Anti Poverty Programmes during Five Year Plans	23—25
432.	आसाम के विभिन्न जिलों को अलग करने की मांग	Demand for separation of Various Districts of Assam	25
434.	वर्ष 1972-73 में राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States during 1972-73	25—26
435.	एशियाई समाचार एजेंसी	Asian News Agency	27
437.	पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण	Approach to Fifth Plan	27
438.	भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिये कार्यकारी दल	Task Force for Implementation of Land Reforms	27—28
439.	आकाशवाणी द्वारा ख्यातिप्राप्त कलाकारों को नैमित्तिक आधार पर काम पर लगाना	Engagement of Renowned Artistes by AIR on Casual Basis	28

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
440.	केरल में केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Central Government Production Centres in Kerala	28—29

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4113.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में कमी/वृद्धि	Increase/decrease in per capita Income in States and Union Territories	29
4114.	कार्यकारी इन्जीनियर, डाक तथा तार सिविल डिवीजन से की गई शिकायत	Complaint lodged with Executive Engineer, P & T Civil Division	29—30
4115.	केन्द्रीय (फालतू स्टाफ) सैल को निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों के रिक्त पदों की सूचना	Vacancies of LDCs, UDCs, and Stenographers reported to Central (Surplus Staff) Cell	30
4116.	आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में नियुक्ति के लिये निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों का नाम देना	Nomination of LDCs/UDCs and Stenographers to the Office of Commissioner of Income Tax, Delhi	30—31
4117.	रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारी	Employees of the Office of Registrar General and Census Commissioner	31—32
4119.	डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों द्वारा एक से अधिक टेलीफोन पाने का अधिकारी होना	Entitlement of P & T Officers to more than one Telephone instrument	32
4121.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत रूस करार के अधीन रूस को भेजे जाने वाले विशेषज्ञों का चयन	Selection of Experts for sending to USSR under the Indo Soviet Agreement in the field of Science and Technology	32—33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4122	वर्ष 1973-74 में थुम्बा अन्तरिक्ष केन्द्र का विकास	Development of Thumba Space, Centre during 1973-74	33
4123.	रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये केरल को धन का नियतन	Allocation of Funds to Kerala for Employment Programmes	33—34
4124.	फिल्म वित्त निगम के ऋणों को बड़े खाते डालना	Written off of FFC Loans	35
4125.	पुराने अखबारों से स्याही हटाना और उनका पुनः उपयोग करना	De-inking and Re-using of used Newsprint	35
4126.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास अप्रयुक्त धन-राशि	Unutilised Money with Ministry of Information and Broadcasting	36
4127.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा असमियों भाषा में प्रकाशित पत्रिकाएं आदि	Magazines etc. produced in Assamese by Information and Broadcasting Ministry	36—37
4128.	भारत में जियोनिस्ट एसोशियेशन	Zionist Associations in India	37
4129.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में तालाबन्दी	Lock out in HMT	37—38
4130.	ग्रामीण बेरोजगारी की रोकथाम के लिये कुछ निर्माण कार्यक्रमों का आरम्भ किया जाना	Launching of certain construction programmes to check rural unemployment	38
4131.	उड़ीसा से चुराई गई प्राचीन वस्तुएं	Antiques stolen from Orissa	38—39
4132.	उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढवाल क्षेत्रों से मूर्तियों और पुरातत्व की वस्तुओं के गायब हो जाने सम्बन्धी मामले	Disapperance of sculpture and antiques from Kumaon and Garhwal areas of U.P.	39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4133.	राज्यों में हरिजनों की मार-पीट और उनको परेशान किया जाना	Assault and Harassment on Harijans in States	39—40
4134.	पांचवी योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये रोजगार की व्यवस्था	Provision for Employment of S. C. and S.T. during Fifth Plan	40
4135.	पांचवीं योजना अवधि में शिक्षा के विकास के लिये नियत राशि	Amount alocated for Development of Education during Fifth Plan Period	40
4136.	श्रीनगर में डल गेट पर एक होटल में मारे गये व्यक्ति	Persons killed in a Hotel at Dalgate in Srinagar	41
4137.	पंजाब के बटाला जिले में ट्रांसमिटर को बरामद किया जाना	Recovery of a Transmitter in Batala District, Punjab	41
4138.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भारत-रूस वार्ता	Indo-Soviet talks on Fifth Plan	42
4139.	पश्चिमी बंगाल की आर्थिक दशा	Economic condition of West Bengal	42
4140.	दिल्ली की फर्मों द्वारा डाक के जरिए धोखाधड़ी	Delhi Firms Induling in Fraud through Mail	43
4141.	विदेशों से डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार देने में तरजीह देना	Preference in employment to Foreign degree holders	43
4142.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन	Judgement of Madhya Pradesh High Court in regional language	43—44
4143.	भारत में विवाह की रस्म पर टिप्पण और चेम्बर्स एनसाइ-कलोपीडिया, 1967	Remarks on marriage customs in India and Chambers Encylopaedia, 1967	44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4144.	आकाशवाणी के कर्मचारियों की बोनस के लिये मांग	Demand for bonus by AIR Staff	44
4145.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों का मूल्य	Price of equipment supplied by HEL and B.H.E.	45
4146.	अंडमान द्वीपसमूह में रोजगार सम्भावनाएं	Employment prospects in Andaman Group of Islands	45—46
4147.	राष्ट्रीय धातुकार्य प्रयोगशाला जमशेदपुर में एडमीकरण द्वारा अलोह धातु चूर्ण तैयार किया जाना	Development of non-ferrous metal powders by atomisation at National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur	46
4148.	प्रबन्धकों के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के बारे में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध	Restriction on HMT employees for representing against the management	46—47
4149.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विकासशील देशों के औद्योगीकरण के लिये सहायता	Assistance for industrialisations of developing countries during Fifth Plan	47
4150.	मंत्रालयों में प्रबन्ध सूचना	Management information system in Ministries	47—48
4151.	पोलैण्ड से आयात किये गये इंजन से ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये करार	Agreement for manufacture of Tractors with an engine imported from Poland	48
4152.	शराब बनाने के लिये औद्योगिक एककों को प्रतिवर्ष दिये गये लाइसेंस	Industrial units licensed annually for manufacturing liquor	48—49
4153.	केवल 50 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय करने वाली ग्रामीण क्षेत्र के जनसंख्या की प्रतिशतता	Percentage of Rural Population spending 50 paise per head per day	49—50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4155.	खादी भवनों और भण्डारों की तुलना	Comparison between Khadi Bhavans and Bhandars	50
4156.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुटीर उद्योगों के विस्तार के लिये प्रयत्न	Efforts for expansion of Cottage Industries by Khadi and Village Industries Commission	50
4157.	बिहार भूमि सुधार (संशोधन) भूमि अधिकतम सीमा कम करने सम्बन्धी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bihar Land Reforms (Amendment) Land Ceilling Reduction Bill	51
4158.	जनजाति क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना तथा उनका विस्तार	Setting up and expansion of small Scale Industries in Tribal areas	51
4159.	बिजली की कमी के कारण फरीदाबाद गाजियाबाद और दिल्ली में लघु उद्योगों का बन्द होना	Closure of Small Scale Industries in Faridabad, Ghaziabad and Delhi due to shortage of power	51—52
4160.	विधान सभा के स्थगन के सम्बन्ध में सलाह देने का तमिलनाडु सरकार का अनुरोध	Request from Tamilnadu Government for advice on adjournment of Assembly	52
4161.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	52
4162.	ट्राम्बे और तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्रों में देशी कल पुर्जे	Indigenous components in Atomic Stations at Trombay and in Tamilnadu	52—53
4163.	बंगलौर स्थित इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्री में साम्प्रदायिक दंगे	Disturbances at ITI Bangalore	53
4164.	तकनीकी ज्ञान की कमी से प्रभावित मशीनरी की किस्में	Categories of Machineries whose production suffers due to Technological gap	53
4166.	डाक तथा तार विभाग में गैर विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई अपील	Appeal by Extra Departmental Emyloyees	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4167.	वातानुकूलन यन्त्रों और प्रशीतकों का उत्पादन	Production of Air Conditioners Refrigerators	54
4168.	योजना तन्त्र को सुदृढ बनाने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Strengthening Planning Machinery	54—55
4169.	आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम	IBM World Trade Corporation	55
4170.	बालयोगेश्वर के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Investigation by CBI in the Balyogeshwar case	55—56
4171.	इकानामिक टाइम्स में आफिशियल क्लेम्स में बी बिलाइड नीयर जीरो ग्रोथ" शीर्षक के अन्तर्गत छपा लेख	Article published in the Economic Times under the caption "Official claims may be belied-near-zero Growth"	56
4172.	राजस्थान के उदयपुर जिले में पंचायतों में टेलीफोन	Telephone at Panchayat Centres of Udaipur District, Rajasthan	56
4173.	जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण	Analysis of Census figures	57
4174.	आई० टी० आई० बंगलौर में हड़ताल के कारण श्रम घण्टों की हानि	Man Hours lost in strike in ITI Bangalore	58
4175.	पश्चिम बंगाल में उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग	Utilisation of full capacity of Industries in West Bengal	58
4176.	'दुर्गा पूजा' पर वृत्त चित्र	Documentary on "Durga Puja"	59
4177.	प्रशासनिक पद्धति में सुधार करना	Streamlining of Administrative System	59—60
4178.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुभाग अधिकारियों के कोटा का भरा जाना	Filling up of quota of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Section Officers in CSIR	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4179.	पत्र बमों का पता लगाने के लिये धातु-डिटेक्टर	Use of metal detectors in interception of letter Bombs	60—61
4180.	आगरा केन्द्र में लाइनमैनों के चयन में अनियमितताएं	Irregularities in selection of Linemen at Agra Centre	61
4181.	गलत टेलीफोन बिलों के बारे में संसद सदस्यों के पत्र	M.P.S. communications regarding wrong telephone bills	61—62
4183.	इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा पुराने किस्म के टेलीफोन उपकरणों का निर्माण	Manufacture of out dated Telephone Equipment by ITI	62
4184.	आकाशवाणी के सहायक स्टेशनों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Auxiliary stations on AIR	62—63
4185.	टेलीविजन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता का मूल्यांकन	Assessment of T.V. Programmes popularity	63—64
4186.	यात्रीकारों और व्यापारिक वाहनों का उत्पादन	Production of passenger cars and commercial vehicles	64—65
4187.	अन्य विकसित क्षेत्रों के लिये उत्तर प्रदेश तथा बिहार को वित्तीय सहायता	Financial aid to Uttar Pradesh and Bihar for development of underdeveloped Areas	65—66
4188.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की मास्को की यात्रा	Science and Technology Minister's visit to Moscow	66—67
4189.	टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये नए एककों को दिये गये लाइसेंस	Licences issued to New Units for Manufacturing T V Sets	67—68
4190.	आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था में त्रुटियां	Defects in the Distribution System of Essential Commodities	68
4191.	प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में खेती-बाड़ी करने वाले लोगों की संख्या	Population Engaged in Agriculture in each of the Five Year Plan	68—69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4192.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में उत्पादन	Output in HEL Bhopal	69
4193.	1972 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रत्याशित मांग	Anticipated Demand for Telephone Connections by 1972	69—70
4194.	राज्य वित्त निगमों द्वारा लघु एककों को ऋण देना	Loans to small scale units by State Financial Corporations	70
4196.	समुद्र पर विकास के ब्रिटिश मंत्री के साथ बातचीत	Discussion with British Minister of Overseas Development	70
4197.	स्वाधीनता की रजत जयन्ती के अवसर पर देश की प्रगति दर्शाने वाली प्रदर्शनी रेल-गाड़ियां	Exhibition Trains Highlighting the Progress made on Silver Jubliee of Independence	71
4198.	पश्चिम बंगाल में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग को धक्का	Setback to Electronics Industry in West Bengal	71—72
4199.	सीमेंट और टायर का कारखाना स्थापित करने के लिये पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को आशय पत्र जारी करना	Issue of letter of Intent to West Bengal Industrial Development Corporation for setting up of Cement and Tyre Factory	72—73
4200.	मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता की मंजूरी की शर्तों में ढील	Waiver of Conditions for Grant of Central Assistance to M. P.	73
4201.	देश में डाकुओं द्वारा आत्म-समर्पण	Surrender by Dacoits in the country	73—74
4202.	आकाशवाणी तथा टेलीविजन से खेल कूद संबंधी प्रसारण	Sports Coverage by AIR and T. V.	74—75
4203.	इलैक्ट्रोनिक्स आयोग में अवर सचिव तथा उससे बड़े रैंक के अधिकारी	Officers of the Rank of Under Secretary and above in the Electronics Commission	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4204.	दिल्ली में दूसरे राज्यों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति	Posting of Senior Police Officers from other States in Delhi	75—76
4205.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Hindustan Teleprinters Ltd.	76
4206.	पंजाब और हरियाणा तथा मैसूर और महाराष्ट्र के अन्तर्राज्यीय विवाद का निपटारा	Settlement of Inter-State Feuds between Punjab and Haryana Mysore and Maharashtra	76
4207.	इन्जीनियरी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि	Rise in Engineering output	76—77
4208.	पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण पत्र तैयार करते समय कार्मिक संघों से परामर्श लेना	Involvement of Trade Unions in preparing the paper on approach to Fifth Plan	77
4209.	निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाना	Extention to ICS Officers due for retirement	77—78
4210.	कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी सलाहकार परिषद् का गठन और कृत्य	Composition and Functions of Advisory Council on Personnel Administration	78
4211.	दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in Delhi	78—79
4212.	चमड़े की वस्तुएं बनाने वाली विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies Manufacturing Leather Goods	79
4213.	मध्य प्रदेश में टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licence for Manufacture of T. V. Sets in M.P.	79—80
4214.	बिहारी मुसलमानों की भारतीय क्षेत्र में घुसपैंठ	Infiltration of Bihari Muslims into Indian Territory	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4215.	उद्योग में स्वदेशी प्रोद्योगिकी	Indigenous Technology in Industry	80
4216.	आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में मशीन सम्बन्धी खराबियां	Mechanical Defects in AIR Calcutta	80--81
4217.	आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र का कमजोर ट्रांसमीटर	Weak Transmitter of AIR Calcutta	81
4218.	छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisement to Small and Medium Newspapers	82—84
4219.	कर्मचारियों की सांठ-गांठ से व्यापारियों द्वारा निशुल्क टेलीफोन किये जाने का समाचार	Traders allegedly making free Telephone calls in connivance with employees	84
4220.	भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों का पांच वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली में रहना	Stay of ICS/IAS and other Central Services Officers in Delhi for more than Five Years	84—85
4221.	दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद का चुनाव	Election of Chief Executive Councillor, Delhi	85
4222.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के संयंत्र में फालतू क्षमता	Surplus capacity in HMT Plant	85—86
4223.	स्वतन्त्रता सेनानी सहायता समिति, बिहार का सुझाव	Proposal of Freedom Fighters assistance Committee Bihar	86
4224.	बालयोगेश्वर की गतिविधियों के बारे में प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Prime Minister regarding activities of Balyogeshwar	86
4225.	पटना शहर में टेलीफोन के कनेक्शन	Telephone connections in Patna City	86—87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4226.	अन्तरिक्ष की खोज के लिये पंचवर्षीय योजना	Five Year Scheme for Space Research	87—88
4227.	विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Departmental Examination	88
4229.	चलते फिरते डाक घर	Mobile Post Office	88
4230.	एकाधिकार गृहों की वृद्धि पर रोक लगाना	Check on the growth of monopoly Houses	88—89
4231.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दूर संचार सेवा के विकास के लिये धनराशि का आवंटन	Allocation of Fund for Telecommunication Development in Fifth Plan	89
4232.	दैनिक अवन्तिका (उज्जैन) को विज्ञापन	Advertisement to daily 'Avantika' (Ujjain)	89
4233.	सराय-रोहिल्ला, दिल्ली, में दंगों और छूरेबाजी की घटनाएं	Incidents of Rioting and Stabbing in Sarai Rohilla, Delhi	89—90
4234.	भारत में विदेशी मिशनरी	Foreign Missionaries in India	90
4235.	बिहार के पालामऊ जिले में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for setting up of Industries in Palamau District (Bihar)	90—91
4236.	बिहार और उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to large House for setting up of Industries in Bihar and U. P.	91
4237.	पांचवीं योजना में बिहार के पालामऊ जिले और छोटा-नागपुर डिवीजन का विकास	Development of Palamau District and Chhotanagpur Division of Bihar during Fifth Plan	91
4238.	नैनी में पारेषण उपकरणों के निर्माण के लिये विदेशी सहायता	Foreign help in Manufacture of Transmission Equipment at Naini	92
4239.	दिल्ली टेलीफोन विभाग की विस्तार योजना	Delhi Telephone Department Expansion Plan	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4240.	केरल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Auto-Telephone Exchange in Kerala	93
4241.	केरल का उसके पड़ोसी राज्यों की तुलना में औद्योगिक विकास	Industrial Development of Kerala in Comparision for Neighbouring States	93—94
4242.	केरल को आशयपत्र जारी करना	Issue of Letters of Intent to Kerala	94
4243.	उद्योगों की स्थापना के लिये केरल के जिलों में लाइसेंस देना	Issue of Licences in Kerala Districts for Setting up of Industries	95
4244.	केरल में लघु उद्योगों तथा औद्योगिक सम्पदाओं के लिये धन का उपयोग	Utilisation of Funds for Small Scale Industries and Industrial Estates in Kerala	95
4245.	बेरोजगार इंजीनियरों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Unemployed Engineers	96
4246.	सहकारी समितियों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Co-operative Societies	96
4248.	1972 में छिपे नागाओं द्वारा सुरक्षा बल के कर्मचारी तथा अन्य लोगों की हत्या	Killing of a security force personnel and other persons by underground Nagas during November, 1972	96—97
4249.	एम० सी० सी० की टीम के भारत के दौरे के समय क्रिकेट के मैचों का हिन्दी में आंखों देखा हाल प्रसारित करना	Running Comentary in Hindi Cricket Matches during MCC Tour of India	97
4250.	क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाना	Regional Languages as Medium of Examinations	97
4251.	माल डिब्बा उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity in Wagon Industry	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4252.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा बिजली के टाइप राइटर का निर्माण	Manufacture of Electric Typewriter by Hindustan Teleprinters	98—99
4253.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की निधि	Funds for National Small Industries Corporation	99
4254.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन	Religious conversions in North East region	99
4255.	मध्य प्रदेश में कागज का कारखाना	Paper Mill in Madhya Pradesh	99—100
4256.	विज्ञान और प्रोद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति में पूर्ण-कालिक सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of whole-time members of National Committee on Science and Technology	100
4257.	पांचवीं योजना में कृषि संबंधी कार्यक्रमों में परिवर्तन करने की योजना	Scheme to diversity Agricultural activities during Fifth Plan	100
4258.	हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Allegations against Haryana Chief Minister	101
4259.	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Research and Development Corporation of India	101—102
4260.	पांचवीं योजना में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना	Reduction of regional imbalances during Fifth Plan	102
4261.	मलयाली कवि कुमारन असन पर वृत्त चित्र	Documentary film on Kumaran Asan Malayalee Poet	102—103
4262.	इलैक्ट्रोनिक सम्बन्धी भाभा समिति (1966) की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of the Bhabha Committee (1966) recommendations on Electronics	103—104
4263.	चौथी योजना की क्रियान्विति में आई कठिनाइयां	Difficulties experienced in the implementation of Fourth Plan	104—105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4264.	दुग्ध उद्योग का विकास	Growth of Milk Industry	105
4265.	संयुक्त क्षेत्र के अधीन लाये जाने वाले प्रस्तावित 75 बडे व्यापार गृहों के औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings of 75 large houses proposed to be brought under Joint Sector	106
4266.	75 बड़े उद्योग गृहों को जारी किये गये आशय पत्र लाइसेंसों पर पुनर्विलोकन	Review of letters of Intent/Licences issued to 75 large houses	106—107
4267.	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को दिये गये ऋणों का गबन	Embezzlement of loans granted to Bihar Khadi Gramodyog Sangh	107
4268.	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Bihar Khadi Gramodyog Sangh	107
4269.	राजस्थान सरकार की ओर से बैराठ ग्राम का नाम बदलने का अनुरोध	Request from Rajasthan Government to change the name of village Bairath	108
4270.	चौथी योजना अवधि में स्थापित किये जाने वाले एक्सचेंज	Exchanges proposed to be set up during Fourth Plan period	108
4271.	सरकारी उपक्रमों के विज्ञापनों पर हुए व्यय	Expenditure incurred on public undertakings advertisements	108
4272	समाचारपत्रों में सरकारी उपक्रमों से विज्ञापन	Pubic undertakings advertisements to newspapers	109
4273.	बिहार में संयुक्त उद्यम के रूप में उद्योगों का विकास	Development of industries in Joint venture in Bihar	109
4274.	बिहार में सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Bihar in Private Sector rather than Public Sectors	109—110
4275.	बिहार के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of industries in backward Districts of Bihar	110
4276.	बिहार में बन्द पड़े औद्योगिक कारखानों को पुनः चालू करना	Reopening of closed industrial units in Bihar	111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4277.	पांचवीं योजना के दौरान बिहार में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Bihar During Fifth Plan	111—112
4278.	प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा बम्बई के दैनिक मराठा के नई दिल्ली संवाददाता के प्रत्यय पत्र को वापिस लिया जाना	Withdrawal of Accreditation of New Delhi Correspondent of Bombay daily 'Maratha' by PIB	112
4279.	राज्यों द्वारा प्रस्तुत विशेष रोजगार योजनायें	Special Employment Schemes submitted by States	112
4280.	देश में गरीबी के कारण	Reasons for Poverty in the country	113
2281.	दिल्ली में मराठा का मान्यता प्राप्त संवाददाता	'Maratha' Accredited correspondent in Delhi	113
4282.	प्रेस संवाददाता का शत्रु देशों का एजेंट पाया जाना	Alleged involvement of a Press Correspondent as an agent of enemy countries	114
4283.	समाचार-पत्रों में केबरे नर्तकियों के नंगे तथा भड़काने वाले चित्रों के विज्ञापन	Nude and provocative advertisements of Cabaret dancers in newspapers	114
4284.	शिक्षित बेरोजगारों के लिये काम	Jobs for Educated Unemployed	114—116
4285.	राज्यों में बेरोजगारी दूर करना	Removing unemployment in States	116
4286.	जन आन्दोलन पर नियंत्रण रखने के लिये आंसू गैस गोलों का प्रयोग	Use of Tear Gas Shells to Check mass Agitations	116—117
4287.	चन्डीगढ़ सम्बन्धी पंचाट का क्रियान्वयन	Implementation of Award on Chandigarh	117
4288.	ग्रामीण लोगों के रोजगार के लिये लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small and Medium Industries for Employment of Rural people	117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4289.	वर्ष 1973-74 के लिये आन्ध्र प्रदेश तथा केरल के लिये वार्षिक योजनायें	Annual Plan for Andhra Pradesh and Kerala for 1973-74	118—119
4290.	आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं के आय	Income from Commercial Services of AIR	119—120
4291.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में टेलीविजन सैटों का बनाया जाना	Manufacture of TV Sets in Public and Private Sectors	120—121
4292.	बिहार खादी ग्रामोद्योग में हुई हानि	Loss incurred by Bihar Khadi Gramodyog	121
4293.	दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में लघु उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमकर्त्ताओं को सहायता देना	Assistance to Entrepreneurs for Small Scale Industries in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras	121
4294.	सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेरोजगार विज्ञान स्नातकों को रोटरी प्रिंटिंग प्रेस आदि देना	Supply of Rotary Printing Presses etc. to Unemployed Science Graduates through Government Agency	122
4295.	इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये नियोक्ता एककों में उत्पादकता बढ़ाने की योजना	Plan for improving productivity on the Employing units to provide Employment to Engineers	122
4296.	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाना	Mobilisation of Additional Resources for the Fourth Five Year Plan	123
4297.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी दल के दौरे पर हुआ व्यय	Expenditure incurred in connection with visit to Science and Technology Team	123—124
4298.	भारत में खाद्य उत्पादन एककों के बारे में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्देशिका का प्रकाशन	Directory by Central Food Technological Research Institute regarding Food manufacturing Units in India	124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4299.	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित कोटे को भरना	Filling up of Quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Direct Recruitment and Promotion	124—125
4300.	सेवाओं के मामलों में, उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के निर्णय	Judgements delivered by Supreme Court and High Courts on Service Matters	125—126
4301.	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Class I & II Posts	126—127
4302.	अमृतसर के अनेक गांवों के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां	Difficulties experienced by Freedom Fighters of various Villages of Amritsar	127
4303.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में भुगतान शेष में अन्तर की सम्भावना	Possibility of Gap in Balance of Payment in respect of Foreign Loans during Fifth Plan	127—128
4304.	प्रवर्तन उप-निदेशक, मद्रास, द्वारा फिल्म स्टार श्री एम० जी० रामचन्द्रन को जारी किये गये निर्देश	Director issued to Film-Star Shri M.G. Ramachandran by the Deputy Director of Enforcement, Madras	128
4305.	पूर्वोत्तर परिषद के सलाहकारों का कार्य तथा उत्तरदायित्व	Functions and Responsibilities of Advisers of North Eastern Council	128—129
4306.	दिल्ली पुलिस द्वारा एक विदेशी से एक गैस रिवालवर तथा केपसूलों का बरामद किया जाना	Recovery of a Gas Revolver and Capsule from a Foreigner by Delhi Police	129
4307.	संकटग्रस्त औद्योगिक कारखाने	Sick Industrial Units	129—130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4308.	दिल्ली प्रशासन द्वारा विभिन्न समितियों में सदस्यों का नामांकन	Nomination to various Committees by Delhi Administration	130
4309.	दिल्ली में डाक वितरण	Delivery of Mail in Delhi	130—131
4310.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री, बंगलौर से मांगा गया मुआवजा	Compensation demanded of ITI Bangalore	131
4311.	जयपुर में टेलीविजन सुविधाएं	T. V. Facilities at Jaipur	131
4312.	निषिद्ध राइफलों आदि (बोर आर्म्स) के लिये भूतपूर्व नरेशों को हथियारों का लाइसेंस	Arms Licences to Farmers Rulers for prohibited Bore Arms	131—132
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	132—135
	फटे पुराने करेंसी नोटों को नष्ट करने के लिये अपनायी गई विशेष प्रक्रिया के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रकट किये जाने का समाचार	Reported Protest by employees of Reserve Bank of India against Procedure for destroying soiled currency notes	132—135
	प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandvate	132—135
	श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	132—133
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	133—137
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	137
	सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member	137
	(श्री वयालार रवि)	(Shri Vayalar Ravi)	137
	सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	138
	श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	138
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re. Question of Privilege (Querry)	138—139

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में	Re. Land Ceilings	139
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक	Industrial Finance Corporation (Amendment) I	140—152
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Conside	140
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath	140
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Pan...	140—141
श्री एस० ग्रार० दामाणी	Shri S. R. Damani	141—142
श्री टी० एस० लक्ष्मणन्	Shri T. S. Lakshmanan	142—143
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	143—145
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	145—146
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	146—147
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	147
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	147—150
खंड 2 से 21 ग्रौर 1	Clauses 2 to 21 and 1	151
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended	151—152
परिसीमन विधेयक	Delimitation Bill	153—162
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	154
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Choudhary	153
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	155
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	156
श्री ई० ग्रार० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	156
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	157

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	157—159
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof Narain Chand Parashar	159—160
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	160
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	160—162
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	162
आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion	162
करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes	162—166
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	162—165
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	165—166

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 13 दिसम्बर, 1972/22 अग्रहायण, 1894 (शक)
Wednesday, December 13, 1972/Agrahayana 22, 1894 (Saka

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Increase in Import Quotas for Small-Scale Industries

421. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether at the 30th meeting of the Small-Scale Industries Board held in New Delhi, he made an announcement that an increase of 10 per cent would be made in the import quotas meant for the development of small scale industries ;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ; and

(c) the other suggestions made at the said meeting and the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) . Yes, Sir. A mention was made of a possibility of a 10% increase in the foreign exchange allocation for small scale sector and action in that direction is accordingly being pursued.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Some of the import suggestions made by the Board	Government's reaction
1. To organise a census of small scale industries.	A Committee has since been set up to work out the methodology of census. It is proposed to have the census completed within a year.

Some of the import suggestions by the Board	Government's reaction
2. To examine and initiate necessary action on the report of the Bhat Committee for drafting legistation for small scale industries.	The Report of the Bhat Committee has been circulated to State Governments and non-official bodies to elicit their views and comments.
3. To raise the proposed target of additional employment to be created in the small scale sector during the Fifth Five Year Plan.	The Task Force for Small Scale Industries has revised the employment target from 1.5 million to 2 million persons. The Task Force has submitted its Report to the Planning Commision.
4. To get market studies organised with a view to make entrepreneurs aware of important information such as capacity, present production and demand for particular products in the coming years.	It has been decided that the Small Scale Industries Development Organisation should get certain market research studies organised in selected fields of interest.
5. To suggest a formula for equalisation of Iron and Steel prices for large and small scale units.	A Committee has been set up by the Ministry of Steel under the Chairmanship of the Deputy Iron and Steel Controller to go into this question.
6. To examine the tax structure for small scale units with a view to ensuring that it makes for a plough back into further expansion and removes the discrimination which operates against a small scale partnership or proprietory concern in comparison with a private limited company.	A Group has been constituted to go into this question

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Mr. speaker, sir a reference has been made to Bhatt Committee's repose in the statement. Bhatt Committee was formed many years ago. But they have recently forwarded the Committee's report to the State Governments for their information and to ascertain their views. The small scale industries have been closed down due to nonavailablity of raw-materials. May I know whether they have evolved some procedure or taken steps to provide raw material to the small scale industries in time so that they may repay their loans in time ? Bhatt Committee was formed 10 or 12 years ago. May I know what help are they going to provide in this regard ?

Shri Siddheshwar Prasad : This is not correct that Bhatt Committee was formed 10 or 12 years ago. This Committee was formed when the small industries Board had its meeting last year. This Committee, I think, took the minimum time than all the Committees formed up till now in submitting its report. After submission of the report, recommendations of Committee were forwarded to the State Governments & obtain their views and I hope we will get their views by the end of this year. We have made efforts to see that the raw materials to the maximum quality are provided to small scale industries and there is improvement in this regard.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : The Hon. Minister has not replied to my question correctly. I have asked whether the small industries are getting closed due to nonavaila-

bility of raw material and they are unable to repay their loans for this season? May I know the steps they are taking in this regard?

Secondly, may I know whether there is any time limit fixed to submit their report for the Committees formed or the study groups constituted by them? I also want to know whether they have asked the state Governments to submit their views by a fixed date so that after deciding a procedure they may take immediate steps?

Shri Siddheshwar Prasad : As regard raw material, I have said that small industries are getting it every year. The position is improving and efforts are being made to see that the maximum quantity of the raw material is provided to small scale industries.

As regards the second question of the Hon. Member, I submit to his information that the efforts are being made to see that the recommendations of the committees found during the last meeting of the Board of small scale industries are completed by the end of the next year.

Shri Nathu Ram Ahirwar : The Hon. Minister has said that the small scale industries are getting raw materials. I would like to mention for his information that the raw yarn is not available to the weavers of the powerloom industries in my region. The Mill Owners are charging double or more than the double prices for that. May I know the steps Government propose to take in this regard ?

Shri Siddheshwar Prasad : Powerloom industries are not covered under small scale industries.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने मूल्य का विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का आयात किया जाता है और देश में कितने मूल्य का नियंत्रित किस्म के कच्चे माल का उत्पादन होता है, देश में इस माल की आवश्यकता कितनी है तथा कितना माल सप्लाई किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि आप उत्तर दे सकते हैं तो दें।

श्री ज्योयिर्मय बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी की गई है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक प्राथमिकता वस्त्र उद्योगों का सम्बन्ध है, लघु उद्योगों की सभी आवश्यकताएं पूरी की गई हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेंने प्राथमिकता वाले उद्योगों के विषय में नहीं पूछा है। मैंने सभी लघु उद्योगों के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सभी प्रकार के लघु उद्योगों के विषय में नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सभी प्रकार के लघु उद्यागों के विषय में है। इस बैठक की कार्यवाही मुझे मेरे घर पर प्राप्त हो गई है। यदि आप चाहें तो मैं इसे मध्याह्नोपरान्त प्रस्तुत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० मालन्ना।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० मालन्ना ।

श्री के० मालन्ना : क्या मैसूर राज्य सरकार ने कच्चे माल के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि उत्तर फिर से दिया जाय ?

श्री के० मालन्ना : यह मैसूर के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैसूर राज्य यहां कहां से आ गया । श्री पैन्यूली ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : थर्मामीटर उद्योग के उपयोग में लाई जाने वाली आयातित के क्षिक्षा (कैपीलरी) के स्थान पर स्वदेशी कच्चे माल का आयात करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : आयात प्रतिस्थापन, एक बहुत बड़ा प्रश्न है । इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और स्वदेशी माल के उपयोग के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं । परन्तु मैं इस मामले में विशिष्ट जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee Is it a fact that big industries are producing such same items as are produced by small scale industries and since small industries can not complete with big inudstries, they do not develop ? If so, whether the Government would fix different items for both types of industries and prohibit big industries from manufacturing soap, tooth paste and other such items ?

Shri Siddheshwar Prasad : As per policy of the Government, certain items have been preserved for small scale industries. But the industries already manufacturing such items are still running. Big industries are not being given licences for the manufacture of these items and the Government is providing all sorts of help for the improvement of small industries in this field.

सामान्य व्यक्तियों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना का संस्करण

422. **श्री वी० वी० नायक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पचवर्षीय योजना का कोई ऐसा संस्करण निकाला जाएगा जिसे सामान्य व्यक्ति समझ सके ;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के तत्काल बाद ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० वी० नायक : क्योंकि हमारे देश में अधिक संख्या अशिक्षितों की है अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सामान्य व्यक्ति अर्थात जो न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं के लिए जो योजना के संस्करण का स्वरूप क्या होगा ? मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पंचवर्षीय योजना के श्रव्य-दृष्य संसाधन संभव है जिन्हें 80 प्रतिशत लोग समझ सकें ।

श्री मोहन धारिया : विचार करने के लिए यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री बी० वी० नायक : योजना का प्रारूप कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : इसके बहुत से स्तर है । पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा 20 जून, 1973 तक तैयार हो जायेगी और 31 मार्च, 1974 तक इस पंचवर्षीय योजना का अन्तिम दस्तावेज तैयार हो जायेगा ।

श्री पी० आर० शिनाय : पंचवर्षीय योजना के कुल कितने संस्करण प्रकाशित किये जायेंगे ?

श्री मोहन धारिया : केवल एक ।

श्री समर गुह : लोगों के भाग लेने तथा नीचे के स्तर से योजना बनाने के विषय में बहुत कुछ सुना जा रहा है । लोगों को यह समझाने के लिए कि उन्हें आयोजन में भाग लेना है तथा योजना के बनाने में उसको निष्पादन में तथा कार्यान्वियन में वे वास्तविक रूप से भाग ले रहे हैं, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मोहन धारिया : मैंने सदन में बताया है कि योजनाये तैयार करने में लोगों के भाग लेने की बात पर हम सबसे अधिक ध्यान देंगे । सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे योजना का प्रारूप तैयार करते समय सरकारी तथा गैरकारी रूप से निम्नतम स्तरों के लोगों को विश्वास में लें ।

आर्थिक अपराधों के दोषी व्यक्तियों के नामों का प्रचार तथा उनकी सामाजिक निन्दा

*423. **श्री राजदेव सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि आर्थिक अपराधों के दोषी व्यक्ति के नामों को प्रचारित करने और उनकी सामाजिक निन्दा से इस बुराई को समाप्त करने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी का समाज को इस अस्वास्थ्यकर दुष्कार्य से बचने के उद्देश्य से, खेल समीक्षा सेवा की तरह आर्थिक अपराधों के दोषी व्यक्तियों की गतिविधियों को विस्तार से प्रकाश में लाने के लिए अपने कार्यक्रमों में कोई समय देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) जी हां । विधि आयोग ने सामाजिक और आर्थिक अपराधों के विचारण और दण्ड पर

अपनी सैंतालीसवीं रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक अपराधों के दोषी पाए गए व्यक्तियों के नामों को प्रचारित करने और उनकी सामाजिक निन्दा करने का सुझाव दिया है और इस बारे में विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन कनने के लिए कुछ शिफारिशें की हैं। विधि आयोग की सिफारिशें सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों में विचाराधीन हैं।

श्री राजदेव सिंह : स्वाधीनता के बाद हमारे स्वर्गीय नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की थी कि काला बाजार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी। हमने स्वाधीनता तथा जीवन के कतिपय मूल्यों के लिये लड़ाई लड़ी। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विधि आयोग को सिफारिशों के अतिरिक्त देश वासियों को सामाजिक-आर्थिक अपराधियों के बारे में स्वीकृत जानकारी देने की भी व्यवस्था करेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : कालाबाजार करने वालों के सम्बन्ध में मैं उनसे सहमत हूं कि उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाना चाहिये परन्तु मन्त्रालय ने ऐसा करने की अभी शक्ति प्रदान नहीं की है। जहां तक हमें अधिकार प्राप्त हैं हम ऐसे अपराधियों के बारे में समय समय पर देश को बताते रहते हैं।

श्री राजदेव सिंह : मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि की जांचाधीन घूस तथा भ्रष्टाचार के मामलों की बात कर रहा हूं। इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि लोगों को ऐसे मामलों का पता लगे ?

श्री आई० के० गुजराल : कुछ बातों में माननीय सदस्य के विचार सही हैं परन्तु यह प्रश्न वस्तुता प्रत्यक्ष रूप से मेरे मंत्रालय से संबद्ध नहीं है। मैंने तो केवल प्रचार सम्बन्धी संगत भाग पढ़ा है सारा प्रतिवेदन नहीं। उसमें और अधिक समय लगता जबकि वह विषय उससे सम्बन्धित नहीं है...

श्री राजदेव सिंह : केन्द्रीय जांच व्यूरो ने घूस आदि के कुछ आरोपों के लिये दोषी ठहराये गये व्यक्तियों के बारे में प्रतिवेदन पैदा किये हैं...

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न विधि आयोग के बारे में था। नियमानुसार, यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध हो तो उस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछे जाते। परन्तु फिर भी जबकि पूछ लिया गया है तो बताईये कि वस्तुए : आप क्या जानना चाहते हैं।

श्री राजदेव सिंह : कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें घूस तथा भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है। उन्हें अदालतों ने दोषी ठहराया है। उनका आकाशवाणी पर प्रचार किया जाना चाहिये। यही मेरा प्रश्न है।

श्री आई० के० गुजराल : हमारे यहां यह प्रक्रिया है कि हम अपनी समाचार बुलेटियों में उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विनियमों अधिनियमों आदि के महत्वपूर्ण उल्लेखनों तथा घूस के अपराधों के बारे में बताते हैं। ऐसे अपराधों के बारे में आकाशवाणी अपने विवरण देता है।

श्री के० एस० चावडा : माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने उस दिन कहा था कि सत्ताधारी कांग्रेस ने चीनी के व्यापारियों से 8.64 करोड़ रुपया एकत्रित किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री के० एस० चावडा : प्रश्न यह उठता है कि क्या आकाशवाणी ऐसी चीजों का प्रसारण करेगा या कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल का ऐसी बातों के लिये दुरुपयोग मत कीजिये। बडे खेद की बात है कि प्रश्न काल में ऐसी बातें की जाती हैं। प्रश्न संगत भी होना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है, मध्य प्रदेश में, इन्दौर में तथा अनेक स्थानों पर जमाखोरों के विरुद्ध अनेक छापे मारे गये। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्योंकि लोग इसमें रुचि लेते हैं तथा यह भी आशा की जाती है कि ऐसी बातों का प्रचार हो जबकि इतने बड़े पैमाने पर छापे मारे गये हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मध्य प्रदेश में मारे गये छापों के बारे में मेरे पास ब्यौरा नहीं है। परन्तु आमतौर पर हम अपने बुलेटिनों में ऐसे छापों का वर्णन करते हैं।

श्री पी० जी० मावलेकर : मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि उन्हें अधिकार मिले तो वह दोषियों (कालाबाजार करने वालों को) फासी पर चढ़ा दें। क्या सरकार के किसी विभाग के पास फांसी चढ़ाने का अधिकार है। क्या यह अधिकार न्यायालयों को ही प्राप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन्हें फांसी चढ़ाने का अधिकार नहीं है।

श्री पी० जी० मावलेकर : उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से उक्त अधिकार मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्तिक किया जायेगा, यदि हां, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन के अन्तर्गत भारत सरकार के किस मंत्रालय के मध्यम से किया जायेगा ?

श्री आई० के० गुजराल : मैंने कहा है कि विधि आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है।

उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की औद्योगिक ग्रहों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति की आलोचना

+

*424. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री एस० ए० मुरगनन्तम।

क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद को हाल ही में हुई बैठक में कुछ बड़े औद्योगिक गृह ने सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 18 नवम्बर, 1972 को उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद की हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने यह अनुभव किया कि सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की कुछ बातें तेजी से औद्योगिक विकास करने में आड़े आती है ।

(ख) सरकार ऐसी नीतियों को कार्यान्वित करती रहेगी जो सामाजिक न्याय के अनुरूप औद्योगिक विकास को तेज करने में सहायक होगी ।

श्री अर्जुन सेठी : कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि बड़े बड़े उद्योग समूह सरकार की वर्तमान उद्योग नीति की आलोचना कर रहें ताकि अपने निजी लाभों के लिये सरकार पर दबाव डाला जा सके । मैं जानना चाहूंगा कि बड़े व्यापार गृहों तथा उद्योग समूहों के इन प्रयत्नों को विफल करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : विचारों की ऐसी आम क्रान्ति से सरकार दबाव से नहीं आयेगी । जैसा कि स्पष्ट कर दिया गया है, इस वर्ष 1956 के अपने औद्योगिक नीति संकल्प पर दृढ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : निराशा के बारे में और कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा ।

श्री जगन्नाथ राव : सलाहकार समीति में कतिपय सदस्यों या बड़े उद्योगपतियों द्वारा की गई आलोचना के अतिरिक्त, क्या सरकार एम० आर० टी० पी ० एक्ट की क्रियान्विति के प्रयास में इस अधिनियम के अधीन लगाये गये प्रतिबन्धों पर दृढ़ रहगी या आर्थिक विकास के लिये बड़े उद्योग गृहों को अनुमति देगी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । जैसा कि एम० आर० टी० पी० एक्ट आज है, सभी बड़े औद्योगिक गृहों पर यह अधिनियम लागू किया जायेगा ।

1857 में ब्रिटिश सरकार के लिये लड़ने वाले सैनिकों के परिवारों को पेंशन

*426. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1857 के सिपाई विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के परिवारों को अभी भी भारत सरकार से नियमित रूप से पेंशन मिल रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है

विवरण

गवर्नर जनरल-इन-काउन्सिल ने दिनांक 21 जुलाई, 1858 में निश्चित किया था कि "भारतीय अधिकारी" सिपाही विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की ओर से लड़ाई लड़ी उनके परिवारों को

यदि उनके जीवन यापन के लिए कोई आधार न हो तो उन्हें पेंशन प्रदान की जायेगी। ऐसी पेंशन का भुगतान विधवा के पुनः विवाह करने तक, उसकी लड़की को विवाह करने तक तथा लड़के को 18 वर्ष को आयु प्राप्त करने तक किया जायगा। अब तत्सम्बन्धी रिकार्ड सरलता से उपलब्ध नहीं है अतः सक्षिप्त रूप से यह ज्ञात नहीं है कि इस संकलप के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की गई थी। यह संभाव्य नहीं है कि ऐसा कोई अधिकारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य जो ऐसी पेंशन पाने का पात्र था अब जीवित होगा।

2. अंग्रेजी राज्य के दौरान भारत में सेना के पेंशन के विनियम सेवारत अथवा सेवानिवृत्त व्यक्ति को मृत्यु होने पर जब तक ऐसी मृत्यु सेना सेवा द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण अथवा गम्भीरता के रूप में स्वीकृत की जाती है, अधिकारी के पद से नीचे के सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन के भुगतान के लिए व्यवस्था नहीं करता है। सशस्त्र सेना के अधिकारी के पद से नीचे के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन की योजना केवल 1957 में प्रारम्भ की गई थी तथा इसे 1-6-1953 से लागू की गई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैंने विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। यह गलत तथ्यों से भरपूर है। इसमें कहा गया है कि :

> "गर्वनर जनरल इन काउन्सिल ने दिनांक 21 जुलाई 1958 में निश्चित किया था कि 'भारतीय अधिकारी' सिपाही विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की ओर से लड़ाई लड़ी उनके परिवारों को यदि जीवन यापन के लिये कोई आधार न हो तो उन्हें पेन्शन प्रदान की जायेगी ......।"

सरकार इसे "सैनिक विद्रोह" भी कह रही है। फिर विवरण में आगे कहा गया है कि :

> "उनके परिवारों को यदि उनके जीवन यापन के लिए कोई आधार न हो...... ऐसी पेन्शन का भुगतान विधवा के पुनः विवाह करने तक, उनकी लड़की को विवाह करने तक तथा लड़के को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किया जायेगा। अब तत्सम्बन्धी रिकार्ड सरलता में उसलब्ध नहीं है अतः संक्षिप्त रूप से यह ज्ञात नहीं है कि इस संकल्प के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को पेन्शन प्रदान की गई थी।"

अध्यक्ष महोदय : विवरण तो सभा के समक्ष है। फिर आप इसमें से क्यों पढ़ते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं फिर अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। यह विवरण पूर्णतः गलत तथा भ्रामक है। यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो हमेशा हर चीज को गलत बताते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विवरण में आगे कहा गया है कि :

> "यह संभाव्य नहीं है कि ऐसा कोई अधिकारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य जो ऐसी पेन्शन पाने का पात्र था अब जीवित होगा।"

मेरे पास, एक पुस्तक के उद्धरण हैं—शुद्धि पत्र 547, दिनांक 17.4.7 , राजनैतिक पेन्शनें, 311, जोड़िये—'राजनैतिक पेंशनें' निम्नांकित नये छोटे शीर्षक,' तथा उपरोक्त मुख्य शीर्षक—'जागीरों, भूमियों, क्षेत्रों तथा 1857 के आन्दोलन में की गई सेवाओं के बदले में ब्रिटिश इण्डिया सरकार द्वारा प्रदान की गई पेन्शन के नीचे फुट नोट जोड़िये—और इसमें यह भी कहा गया है कि फुट नोट 311 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1958 के आन्दोलन में भाग लेने वालों के आश्रितों को दी गई पेन्शन भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इन दोनों के बीच का अन्तर जानना चाहता हूं। यह एक किताब से उद्धरण है। मैं जिसे आप कहें उसे ये उद्धरण दे सकता हूं और वह देखें कि इसका अर्थ क्या है। यदि इनमें परस्पर विरोधाभास है तो आप पता लगा सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से उत्तर तथा स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मेरा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पहला प्रश्न यह है कि हमने सिपाही विद्रोह का जिक्र क्यों किया है। मैं स्वयं ऐसा कहने में संकोच कर रहा था परन्तु हम भी ऐसा कहने को विवश हो गये क्योंकि स्वयं प्रश्नकर्त्ता ने उक्त सिपाही विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया है। मुख्य प्रश्न में "1857 का सिपाही विद्रोह" लिखा है और हमने उन्हीं के शब्दों के अनुकूल इस शब्दावली का प्रयोग किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : you could rectify by putting these words in inverted commas.

Shri K. C. Pant : Some words have been put in inverted commas as well. We have put the words "Native officers" in inverted commas.

वह राजनीतिक पेंशनों का उल्लेख कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के परिवारों के सम्बन्ध में प्रश्न किया है। अब वह अन्य प्रकार की राजनीतिक पेंशनों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने वाले सैनिकों के लिए राजनीतिक पेंशनों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने दोनों बातें कही हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दोनों बातों का तो प्रश्न ही नहीं है। माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत विशिष्ट है और इसका उत्तर भी उतना ही विशिष्ट है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह है कि उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले सैनिकों को पेंशन का भुगतान करना क्यों नहीं बन्द किया है। प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने एक परिपत्र अथवा 1972 के शुद्धि पत्र से उद्धरण दिया है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जिन नियमों को मैंने उद्धृत किया है वे यह हैं······

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने 1972 में जारी किए गए शुद्धि पत्र का उल्लेख किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह ऐसा प्रश्न है जो सामान्यतया रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है, किन्तु मैंने उन्हीं से सूचना एकत्र की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनको पेंशन क्यों दी जाती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अब, वह राजीतिक पेंशनों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मामला राजनीतिक पेंशनों के शीर्ष के अन्तर्गत आता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने बताया है कि ऐसी पेंशन का भुगतान विधवा के पुनः विवाह करने तक, उसकी लड़की के विवाह करने तक तथा लड़के के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किया जाता है, और यह सम्भाव्य नहीं है कि ऐसी पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी अब जीवित होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। इस मामले पर मैं यहां मौन नहीं रह सकता।

अध्यक्ष महोदय : उन पर कोई आक्षेप नहीं है, किन्तु मन्त्री महोदय ने उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय को सरकारी हैसियत का लाभ नहीं उठाना चाहिए और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए।

Shri R. V. Bade : The hon. Minister has said in the first part of the original question that :

"सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ने वाले"

इसमें 'राजनीतिक पेंशनर' भी शामिल हैं क्योंकि लोक लेखा समिति में उन्होंने हमारे सामने यह साक्ष्य दिया था कि उन्होंनें राजनीतिक पेंशनरों को शामिल किया था।

I want to know the number of the Indian soldiers who fought in favour of the British Government at that time, and how many of them are getting pension ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने भारतीय सैनिकों के परिवारों के लिए पेंशनों के सम्बन्ध में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है और सभा पटल पर एक विवरण रख दिया है। मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सैनिकों के परिवारों को पेंशन देने सम्बन्धी कार्य रक्षा मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय राजनीतिक पेंशनों के मामले निबटाता है। ये दोनों नित्तान्त भिन्न बातें हैं। यदि वह राजनीतिक पेंशनों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यह सूचना प्राप्त कर दूंगा, किन्तु उन्हें एक अलग प्रश्न करना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों से उद्धत कर रहा हूं। पृष्ट 33 पर प्रान्तीय एवं राजनीतिक पेंशनों का उल्लेख है, और इस सम्बन्ध में यहां एक शुद्धि पत्र है। अतः पता नहीं मन्त्री महोदय ऐसा कैसे कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने यह बात स्पष्ट कर दी है। माननीय सदस्य अब क्या चाहते हैं ? मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि यह कार्य रक्षा मंत्रालय करता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत ऐसा कोई कार्य नहीं आता। प्रधान मंत्री जी, इस में रक्षा मन्त्रालय कहा से आ गया ? हमें उनके ज्ञान का आकार देखना है। इसमें रक्षा मन्त्रालय कहा से आ गया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सदा दूसरों पर छींटाकशी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य हर समय ऐसा ही करते रहते है। ऐसी बातें वे कब तक सहन करते रहेंगे।

श्री के० एस० चावड़ा : यदि उत्तर सही नहीं हो तो क्या किया जाए ?

शाहदरा टेलीफोन एक्सचेंज

*428. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा (दिल्ली) टेलीफोन एक्सचेंज पर गत दो वर्षों से बहुत बोझ है ;

(ख) क्या सरकार ने एक्सचेंज का भार कम करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शाहदरा के पूर्वी इलाके में एक नया एक्सचेंज लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस एक्सचेंज में 2000 लाइनों की क्षमता होगी। एक्सचेंज की इमारत तैयार हो गई है। आशा है कि इसमें 1000 लाइनें लगाने का काम वर्ष 1974 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 1976 तक इसकी क्षमता बढ़ा कर 2000 लाइनें कर दी जाएगी।

इस एक्सचेंज में 2000 लाइनें बढ़ाने अर्थात् इसकी क्षमता 2000 से 4000 लाइनें करने के प्राजेक्ट पर काम हो रहा है। शाहदरा के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में नए एक्सचेंज बिठाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से जमीन प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है।

Shri Arvind Netam : How many fresh applications were received during the last year, how many of them were considered and how many temporary connections have been regularised ?

The Minister of Commnnications (Shri H.N. Bahuguna) : This is entirely a different question. The hon. member will have to give a separate notice for this.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय से प्रश्न किया है कि एक्चेंज का कार्य भार कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और मंत्री महोदय ने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है। क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से करेंगे। वे क्या चाहते हैं ?

Shri Arvind Netam : I was asking about Shahdara Telephone Exchange as to how applications have been received for new connections and how many of the temporary connections have been regularised ?

Shri Jagannath Pahadia : I have the information in respect of the number of applications we have at present, but the information regarding the number of temporary connections which have been regularised is not with us.

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Arvind Netam : I want to know from the hon. Minister the time by which his Department will complete the action to provide more exchanges in Shahdara South and Shahdara North as It has been stated in his main answer that his work is in progress ?

Shri Jagannath Pahadia : I have stated that this will be completed by 1976.

Mr. Speaker : Will both the projects be completed ?

Shri H. N. Bahuguna : The area is the same.

दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की निदेशकों के रूप में नियुक्ति

*430. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो निदेशकों के रूप में, इस समय दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष हैं और सम्बद्ध विभागों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या कुछ ऐसे विभाग भी हैं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निदेशकों के रूप में अब नियुक्त किये गये हैं जबकि पहले इन पदों पर सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता था ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विभागों के नाम क्या हैं और पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) पिछले चार वर्षों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी निदेशकों के रूप में इस समय दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष हैं :—

1. श्री के० के० माथुर	उद्योगों के निदेशक।
2. श्री एम० डी० त्यागी	समाज कल्याण के विकास आयुक्त तथा पदेन निदेशक।

3. श्री एस० एल० भार्गव	सतर्कता निदेशक।
4. श्री गोरख राम	परिवहन निदेशक।
5. श्री एस० सी० पाण्डे	नियोजन, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा के निदेशक।
6. श्री डी० एस० मिश्रा	शिक्षा निदेशक।

श्री नारायण चन्द पाराशर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा विभाग में कुछ परिवर्तन किया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शिक्षा विभाग में वह अधिकारी शिक्षा निदेशक है जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आया था। वह यहां अनेक वर्षों तक रहे और उन्हें दिल्ली प्रशासन में ही रख लिया गया था। वह 1968 तक यहां रहे थे। इसके पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को शिक्षा निदेशक बना दिया गया। वह 1970 तक रहे। तत्पश्चात् केन्द्र शासित क्षेत्र संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अन्य अधिकारी ने यह कार्य भार सम्भाल लिया है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि शिक्षा विभाग एक अत्यन्त तकनीकी विभाग है और विशेष रूप से इस दृष्टि से कि शिक्षक-छात्र असन्तोष बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक अनुभव की आवश्यकता है, क्या यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा विभाग का ऐसे व्यक्ति के अधीन होना चाहिए जिसे शिक्षा के कार्य क्षेत्र का अनुभव हो ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शिक्षा निदेशक के प्रशासनिक दायित्व होते हैं और कुछ सीमा तक शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान भी उसके लिए आवश्यक है। ये दोनों दायित्व आवश्यक हैं। यह बात वस्तुतः सहायक सिद्ध होगी कि किसी व्यक्ति में इन दोनों गुणों का उचित सामंजस्य हो। भर्ती करने सम्बन्धी नियमों में भी उप-निदेशकों की पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण, अथवा प्रतिनियुक्ति, या सीधी भर्ति का प्रावधान है। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्रीय या राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों में समान पदों पर नियुक्त अधिकारियों को भी लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बार, जब कभी कोई पद रिक्त होता है तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है और अधिकारी की नियुक्ति करने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग को सन्तुष्ट किया जाता है। यह सब यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो उपयुक्त शिक्षा अधिकारी उपलब्ध हो उसी को वह पद प्राप्त हो।

श्री विक्रम महाजन : भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रति सरकार का विचित्र आकर्षण है और सरकार प्रत्येक स्थान पर चाहे वह रक्षा विभाग हो, विज्ञान अथवा शिक्षा विभाग हो, सर्वोच्च स्थानों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नियुक्त करती है। क्या सरकार इन कार्यों पर विशेषज्ञों को रखेगी क्योंकि विशेषज्ञ अपने अधीन विभागों में कठिनाइयों को समझते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने कहा है, यदि उचित गुण प्राप्त कोई व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है तो बहुत ही श्रेष्ठ बात होती है। किन्तु कभी-कभी श्रेष्ठ व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो

पाता है और ऐसी स्थिति में आपको जो उपलब्ध होता है, उसी से कार्य चलाना होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। जो ऐसे पदों पर रहे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू ढंग से निभाया है और मैं उन पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाना उचित नहीं समझता। दूसरी ओर यदि प्रशासनिक योग्यता प्राप्त कोई अच्छा शिक्षा अधिकारी उपलब्ध हो जाता है तो उसे लेने में संकोच नहीं किया जाता।

श्री वसन्त साठे : अभी दिए गए उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, सरकार का भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बजाय चाहे वे कितने ही क्षमता प्राप्त क्यों न हों, ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषज्ञों की कब तक भर्ती करने का है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र है, किन्तु यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस्पात मंत्रालय के अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र में भी यह समस्या रही है क्या सरकारी क्षेत्र के लोगों को विशिष्ट पद प्राप्त करने के लिए प्रर्याप्त अनुभव है। परन्तु फिर भी संगठन के कर्मचारियों को ही उच्च पदों के लिए पदोन्नत करने का प्रयास किया गया है। सरकारी क्षेत्र से बाहर के लोगों का चयन तभी किया गया जब उचित व्यक्ति संगठन में उपलब्ध नहीं थे।

नेताजी सुभास चन्द्र बोस का भारत के राष्ट्रीय आयोजन में योगदान

*431. **श्री समर गुह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रकाशित योजना सम्बन्धी किसी भी साहित्य में नेताजी के नाम का उल्लेख न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्रस्तावना में, भारत की राष्ट्रीय योजना में नेताजी के योगदान का समुचित उल्लेख किया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग के प्रकाशन जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजना और मध्यावधि मूल्यांकन मुख्यत: आर्थिक विषयों नीतियों, योजना लक्ष्यों, उपलब्धियों आदि से सम्बन्धित हैं, अत: किन्हीं व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री समर गुह : मन्त्री महोदय ने उत्तर तैयार करते समय मेरे प्रश्न पर पूरा ध्यान नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि योजना आयोग द्वारा प्रकाशित योजना संबंधी किसी भी साहित्य में नेता जी के नाम का उल्लेख न किए जाने के क्या कारण हैं। यह मुझे भी पता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि नेताजी के समय के इतिहास में उनके स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान अथवा स्वतंत्र भारत के बारे में उनके विचारों की ठीक ढ़ंग से अभिव्यक्ति नहीं हुई है। क्या यह सच नहीं है कि नेताजी ने इन्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रधान के

रूप में भारत की समाजवादी योजना की रूपरेखा तैयार की थी और उन्होंने पहली राष्ट्रीय योजना समिति भी बनाई थी जिसके सदस्यों में हमारे राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि भी एक थे और उस समिति ने काफी साहित्य तैयार किया था। यदि हां, तो क्या उस साहित्य का और नेताजी की योजना सम्बन्धी विचारधारा का इतिहास में कहीं समावेश किया गया है और यदि हां, तो योजना संबंधी साहित्य में, बल्कि प्रस्तावना में ही, उसका उल्लेख न किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री डी० पी० धर) : हम इस देश की योजना सम्बन्धी प्रक्रिया में नेताजी के योगदान पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान देंगे और ब्यौरेवार अध्ययन और कुछ अनुसन्धान के बाद हम इस संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित करेंगे। यदि माननीय सदस्य के पास कोई सामग्री है और वह हमें उपलब्ध करने के लिये सहमत हों तो मैं उनका आभारी होऊंगा जिससे हम इस पुस्तिका को अधिक प्रमाणिक बना सके।

श्री समर गुह : मैं उनका ध्यान श्री जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में नेताजी द्वारा गठित पहली योजना समिति द्वारा प्रकाशित साहित्य के खण्डों की ओर दिलाना चाहता हूं......

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

श्री समर गुह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस रजत जयन्ती वर्ष के दौरान, जब सरकार पहली बार नेताजी का जन्म दिन मनाने जा रही हैं, कुछ साहित्य प्रकाशित किया जायेगा और आकाशवाणी से कुछ रूपक प्रसारित किये जायेंगे जिनमें भारतीय राष्ट्रीय योजना की संकल्पना में नेताजी के मूल योगदान की छाप हो और क्या इस पहलू पर जोर दिया जायेगा ?

श्री डी० पी० धर : पंडित नेहरू के सभापतित्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा गठित योजना समिति के प्रतिवेदनों की मुझे जानकारी है। ये प्रतिवेदन पुस्तक के रूप में कई खण्डों में प्रकाशित किये गये हैं। परन्तु माननीय सदस्य की इच्छा के अनुसार और हमारे महान नेता जी की याद के लिए हम माननीय सदस्य की सहायता और सहयोग से योजना प्रणाली में उनके योगदान का पुन: अध्ययन करने और इस सम्बन्ध में एक विशेष पुस्तक प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इस समिति का प्रतिवेदन काफी समय पहले प्रकाशित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति के 6 सदस्य थे जिनमें सुभाषचन्द्र बोस तथा कुछ सुप्रसिद्ध नेता, उद्योगपति और अर्थशास्त्री सम्मिलित थे। क्या उस प्रतिवेदन की मुख्य बातों को हमारी योजनाओं में अपनाया गया है ?

श्री डी० पी० धर : इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व और पथ प्रदर्शन में योजना बनाने का कार्य आरम्भ हुआ था। यह स्वभाविक है कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा नियुक्त उपसमिति के विचार विमर्श के परिणामस्वरूप प्रकाशित पहले प्रतिवेदनों की उन सभी बातों को अपनाया गया हो जो मूल्यवान थी और हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाभप्रद थी।

स्थानीय लोगों को रोजगार देना

+

*433. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने रोजगार के अवसरों को केवल अपने क्षेत्र के लोगों तक ही सीमित कर रखा है ;

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (ग) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के अन्तर्गत राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार तथा नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में भेदभाव बरतने की मनाही है । तथापि, अनुच्छेद 16 (3) ने संसद को यह समर्थता प्रदान की है कि वह सरकार अथवा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर किसी स्थानीय अथवा प्राधिकार के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति अथवा किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के रोजगार के सम्बन्ध में, ऐसी किसी नियुक्ति या रोजगार के पूर्व, उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास की किसी अपेक्षता को निर्धारित करने के सम्बन्ध में कानून बना सकती है । संविधान के अनुच्छेद 35 (क) (1) के अन्तर्गत केवल संसद को ही अनुच्छेद 16 (3) के अधीन कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं । सरकारी रोजगार (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम 1957 संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें राज्य अथवा किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकार के अधीन किसी रोजगार या नियुक्ति के उद्देश्य के लिये निवास सम्बन्धी अपेक्षताओं के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू सभी कानूनों को निरस्त कर दिया गया, किन्तु अधिनियम की धारा 3 ने केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान की कि वह राज्य सरकार / प्रशासन के नियंत्रण के अधीन अधीनस्थ सेवा अथवा पदों या उन क्षेत्रों में किसी स्थानीय प्राधिकार के अधीन किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के भूतपूर्व संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर निवास संबन्धी अपेक्षताओं का निर्धारण करने वाले नियम बना सकती है । तथापि, उच्चतम-न्यायालय ने निर्णय किया है कि सरकारी रोजगार (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, जहां तक कि उनका संबन्ध तेलंगाना राज्य से है, संविधान के शक्तिवाह्य है । इस प्रकार, सरकारी रोजगार (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, 1957 की धारा 3 में सन्निहित उपरोक्त अपवाद अब केवल हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के क्षेत्रों में लागू होते हैं और 1969 के संशोधन अधिनियम के

कारण, ये अपवाद 20-3-1974 तक लागू रहेंगे। ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा की सरकारों के अलावा किसी अन्य राज्य सरकार का अपने अधीन पदों / सेवाओं में रोजगार के अवसरों को केवल स्थानीय निवासियों के लिये सीमित करने का कोई प्रश्न नहीं है। तथापि, सामान्यतः सरकार के अधीन कार्यालयों/स्थापनाओं में अधीनस्थ अराजपत्रित पदों की रिक्तयों को प्रायः रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरा जाता है है और ये रिक्तियाँ स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जाती हैं, जो अपने कार्यालय में दर्ज उम्मीदवारों में से उपयुक्त उम्मीदवारों को भेजते हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : प्रान्तीयता की प्रवृति रोकने के लिए, जो एकता की भावना के विरुद्ध है सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने एक विस्तृत और सामान्य प्रश्न पूछा है। मैंने सविधान में सार्वजनिक रोजगार सम्बन्धी पाबन्दियों के बारे में विशिष्ट व्यवस्था का उल्लेख कर दिया है। हमें आशा है कि सभी राज्य सरकारें संवैधानिक उपबन्धों को लागू कर रही हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : यह बुराई सरकारी विभागों से निजी उद्यमों में भी पहुंच गई है। बिहार सरकार ने टाटा बन्धुओं को चेतावनी सी दी है कि उनकी मिलों में नियुक्त किये जाने वाले श्रमिक बिहार के होने चाहियें, अन्य किसी राज्य के नहीं। इसके परिणामस्वरूप उन संस्थानों से अनेक पंजाबियों को, जो बहुत उपयोगी समझे जाते थे, निकाला जा रहा है।

श्री राम निवास मिर्धा : बिहार सरकार अथवा किसी अन्य सरकार द्वारा जारी किये किसी आदेश की सरकार को कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य सरकार को इस मामले की जानकारी दें तो हम सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ बातचीत करेंगे।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य सरकारों के नियंत्रण में रोजगार दफ्तरों को अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का नाम रजिस्टर न करने के आदेश मिले हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : रोजगार दफ्तर श्रम मंत्रालय के अधीन है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई ऐसी शिकायत मिली है कि किसी राज्य में रहने वाले निवासी ही रोजगार दफ्तरों में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं।

श्री राम सहाय पाण्डे : स्थानीय लोग (सन्स आफ दी साइल) का अर्थ इस देश का प्रत्येक नागरिक होना चाहिए। क्या यह सच है कि शिव सेना जैसे स्थानीय संगठन उपरोक्त नारे का उपयोग रोजगार के अवसर स्थानीय क्षेत्रों के लोगों तक सीमित रखने के लिये कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को समझा है ?

श्री राम सहाय पांडे : मैं प्रश्न दोहरा देता हूं।

अध्यक्ष महोय : आप इस पर थोड़ी देर तक सोच लें। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या उनको इस बात का पता नहीं कि दो या तीन महीने पहले बिहार के मुख्य मन्त्री, श्री केदार नाथ पांडे ने पश्चिम बंगाल में आसनसोल में एक सार्वजनिक भाषण दिया था जो सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने श्रोताओं से कहा था कि बिहार में 90 प्रतिशत नौकरियां केवल बिहार के लोगों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी और इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने भी श्री पांडे के साथ कुछ विचार विमर्श किया था ? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उस बातचीत का क्या परिणाम निकला था। यदि अन्य राज्य सरकारें भी श्री केदार नाथ पांडे का अनुसरण करने लगेंगी, तो देश की एकता की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : यह एक ऐसा मामला है जिसमें संतुलन रखने की आवश्यकता है। हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि कोई भी भारतीय भारत के किसी भी भाग में काम कर सकता है, परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सच है कि बहुत से लोग किसी एक ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिये आ जाते हैं जबकि उस क्षेत्र के स्थानीय लोग बेरोजगार रहते हैं तो इस स्थिति में वहां तनाव पैदा हो जाना स्वभाविक है। इसलिए, यद्यपि मैं किसी ऐसे नियम के पक्ष में नहीं हूं तथापि इस सम्बन्ध में संतुलन रखना आवश्यक है ताकि स्थानीय लोग रोजगार से वंचित न रह जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बेरोजगारी की समस्या से हमारा राज्य सब से अधिक प्रभावित है। परन्तु हमने यह कभी नहीं कहा कि !0 प्रतिशत नौकरियां बंगालियों को ही मिलनी चाहियें।

प्रो० मधु दण्डवते : सौभाग्य से प्रधान मन्त्री सभा में उपस्थित हैं। क्या यह सच है कि श्री नगर में राष्ट्रीय एकता परिषद की एक बैठक में, जो प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुई थी, सब की राय यह थी कि जहां तक गैर-कारीगरों की नौकरियों का सम्बन्ध है, तकनीकी और ऐसी नौकरियां नहीं जिनमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और श्री जयप्रकाश नारायण ने इस दृष्टिकोण का स्वागत किया था जो प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में अपनाया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने इस सम्बन्ध में अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिये हैं। यदि स्थानीय लोग बेरोजगार रहते हैं और अन्य क्षेत्रों के लोग रोजगार के लिए आते हैं तो तनाव पैदा हो जाता है। इसलिये प्रयत्न यह करना चाहिये कि ऐसी स्थिति पैदा न हो। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में रहता है और केवल इसी लिये, क्योंकि उसके पूर्वज उस राज्य में नहीं रहते थे, उसके साथ भेदभाव किया जाये। यह बहुत अनुचित होगा। यदि कोई उस क्षेत्र में रह रहा है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह गैर-कारीगर श्रमिकों पर लागू होता है।

प्रो० मधु दन्डवते : मैं भेदभाव नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में दलीलबाजी नहीं होनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं कानपुर से निर्वाचित हुआ हूं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री बनर्जी एक उदाहरण हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अकुशल कार्य ।

श्री बी० के० दास चौधरी : यह बात बहुत सराहनीय है कि सरकार तथा प्रधान मंत्री ने यह बात समझ ली है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की प्रवृति समस्याएं पैदा कर रही हैं । मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की प्रवृति के कारण स्वदेशी तथा गैरस्वदेशी व्यक्ति जैसी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं । देश के एक विशेष भाग में रहने वाले व्यक्तियों को स्वदेशी व्यक्ति समझा न जाकर बाहर का समझा जा रहा है । इस बात को देखते हुए क्या मैं यह अनुरोध करूं कि इस बात को देखते हुए सरकार सारी स्थिति का फिर से मूल्यांकन करे जिससे कि किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार के प्रश्न से तनाव न पैदा हो । इस बात को भी देखना चाहिए कि कहीं यह बात संविधान विरुद्ध तो नहीं चली जाती ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं इसे कार्यवाही के लिए सुझाव मानूं ? यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : It has been stated by the Prime Minister that a balance has to the maintained in this regard. It is correct, but what would be that balance ? When this balance goes wrong then there are disturbances. Has the Government considered this aspect ?

Mr. Speaker : Every body has lost balance.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Merely stating that there should be balance would not suffice what would be that balance ? Has the Government considered it thoroughly?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे: गैर-कारीगरी के कार्यों के सम्बन्ध में सरकार ने सरकारी उपक्रमों को यह निदेश दे रखा है कि "स्थानीय व्यक्तियों" को वरीयता दी जानी चाहिए । इस बात को देखते हुए कि प्रधान मंत्री ने भी जब यह स्वीकार कर लिया है कि इस से तनाव पैदा होता है तो क्या सरकार ऐसे कोई स्पष्ट निदेश जारी करेगी जिससे "स्थानीय व्यक्ति" निश्चित करने की कसौटी बना दी जाए जिसके अनुसार 10, 15, 20 वर्षों तक एक स्थान पर रहने वाले लोगों को स्थानीय समझा जाए ? इससे तनाव का एक बहुत बड़ा कारण दूर हो जायेगा ।

श्री राम निवास मिर्धा : जहां तक सरकारी उपक्रमों का संबध है उच्च पद अखिल भारतीय आधार पर भरे जाते हैं और 500 रुपये प्रतिमास से कम वेतनमान वाले पद स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाते हैं । अतः "स्थानीय व्यक्ति" की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है । रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों के नामों पर पद भरते समय विचार किया जायेगा ।

श्री पीलू मोदी : मैं समझता हूं कि इस बारे में ज्यादा कठिनाई इस प्रकार के विषय में गोलमाल करने के कारण से होती है । हम या तो यह रुख अपना लेते हैं कि हर व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में काम करने का हक है और इसके पश्चात इस रुख को छोड़ते नहीं अथवा यह रुख अपनाते ही नहीं । कई अवसरों पर जब किसी विशेष स्थान पर कोई झगड़ा होता है तो हम ऐसे अवसरों पर कार्यवाही करने में पीछे रह जाते हैं और हम विशेष व्यवस्था करते हैं और

उसके लिए विशेष व्याख्या ढूंढ लेते हैं। जैसा कि श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद में हुआ। अत: मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार एक ही बार अपना यह निश्चय क्यों नहीं करती ? क्या हम सन्तुलन नहीं बना सकते ? हर बार हम सन्तुलन की बात करते हैं। हम समस्या को केवल कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। क्या सरकार एक बार ही यह स्पष्ट करेगी कि अब के पश्चात सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगी अथवा सरकार कोई स्पष्ट मानदंड निर्धारित करदे कि किस किस को कौन कौन सी नौकरियां दी जानी हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार ने सरकारी उपक्रमों को इस प्रकार के स्पष्ट निदेश जारी कर रखे हैं, जैसा कि मैंने उल्लेख किया। इसी तरह रेलवे लोक सेवा आयोग, प्रादेशिक आधार पर उम्मीदवारों का चयन करता है और स्थानीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर बहुत अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न।

Arrears Outstanding against Delhi Telephone Subscribers

+

*436. **Shri Nahadeepak Singh Shakya :**
Shri Nawal Kishore Sharma :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the total arrears outstanding against the Telephone subsribers in Delhi since March, 1971 todate : and

(b) the reasons therefore and the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) A statement is placed on the Table of Lok Sabha.

Statement

(a) The total arrears outstanding against telephone subscribers in Delhi since March, 1971 are indicated below :

Arrears as on	Amount in lakhs of Rs.
1-3-71	126
1-4-71	118
1-5-71	116
1-6-71	114
1-7-71	112
1-8-71	113
1-9-71	112
1-10-72	111
1-11-71	110
1-12-71	109
1-1-72	109
1-2-72	108
1-3-72	107
1-4-72	102

Arrear as on	Amounts in lakhs of Rs.
1-5-72	100
1-6-72	101
1-7-72	102
1-8-72	108
1-9-72	108
1-10-72	108

(b) The P & T Department provides telephone service to subscribers on a credit basis—the credit allowed to a subscriber in the shape of unprepaid local and trunk calls being virtually unlimited. Therefore, in a Department where the system of post billing is in vogue, some arrears are inevitable.

The recovery of arrears is a continuous process. Intially this is achieved by such steps as disconnection of defaulting subscribers' telephones, then by personal contact and correspondence with the subscribers and finally legal action where necessary.

Action is already being taken to liquidate the arrears. While the arrears as on 1-3-71 stood at Rs. 126 lakhs the arrears as on 1-10-72 are of the order of Rs. 108 lakhs theredy recording a reduction Rs. 18 lakhs during the period from March 1971 to September, 1972 despite the fact of increased billing which has gone up from Rs. 17.10 crores during 1970-71 to Rs. 21.48 crores during 1971-71. Thus while the amount billed has increased by about 25% the arrears have come down by about 14%.

Shri Mahadeepak Singh Shakya : It has been said by the hon. Minister in the statement that P & T Department provides telephone service to subscribers on a credit basis and that charges for local and trunk calls are collected from the subscribers not before but after the calls have been made. May I know whether P & T Department propose to collect in advance the average amount of bills for six months from the subscribers so that the amount of bili could be adjusted from that amount as is done by the Electricity Departmeni ?

Shri H. N. Bahuguna : Load of electricity consumed by a person can be found out and security is adjusted against the bills. Regarding the telephones, it is not possible to assess the number of calls to be made by a subscriber. Therefore, it is not practicable to demand security for telephone service on the lines of electricity services. However, the system of security is there in our Department which we deposit and which is deducted later on. So far as the arrears are concerned, if the details of last ten years in this connection are seen, we will find that we have controlled the problems considerably and the arrears are decreasing day by day.

Shri Mahadeepak Singh Shakya : The hon. Minister has mentioned in the statement that Rs. 108 lakhs are outstanding but he has not mentioned the names of the defaulters. May I know the names of the subscribers against whom the arrears are outstanding ?

Shri H. N. Bahuguna : It is difficult to produce the long list of such subscribers. This figure includes the persons against whom the bills for three months and above are outstanding. I think this amount is not alarming in comparison to that which is collected by us in Delhi.

Shri Phool Chand Verma : The hon. Minister has stated that heavy amount of telephone bills is outstanding. May I know whether there is any scheme under consideration of P & T Department to amend the rules in order to realise the arrears ? May I also know whether Telephone bills are outstanding against certain sitting or ex-Minister of the Central Government ?

Mr. Speaker : Central Ministers may also be involved in it. They are also human beings.

Shri Phool Chand Verma : What about ex-Ministers of the Central Government?

Mr. Speaker : Please, be precise. You are giving hints only.

Shri Atal Bihari Vajpayee : If we speak the plain truth, you will object to it.

Mr, Speaker : What is the use of putting questions tike this ?

Shri Phool Chand Verma : Sir, my question has not been repeated to.

Mr. Speaker : Question hour is over.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों के लिये राज्यों को विशेष सहायता

*425. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या योजना मंत्री राज्या तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय औसत आय से कम आय वाले राज्यों के लिए कोई विशेष सहायता देने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : जी, हां ।

Theft of Idols from Rajasthan and other places

*427. **Shri Lalji Bhai :**
Shri Varkey George :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of times the idols from Rajasthan and other places in India have been stolen during this year and the names of places thereof ; and

(b) the steps taken by Government to check such thefts in future ?

The Minister of the State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) According to the information available with the C. B. 1, 35 cases of idol thefts were reported in Rajasthan and 247 in other places in India till 13.12,1972, as shown in the Statement attached. [*Placed in Library. See No. LT. 4009/72*]

(b) A statement indicating the steps taken by the various authorities for the prevention of thefts of idols is attached. [*Placed in Library. See No LT. 4009/72*]

पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी निरोधक कार्यक्रमों के लिए नियत राशि

*429. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चारों पचवर्षीय योजनाओं में गरीबी निरोधक कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि नियत की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : आर्थिक विकास में तेजी लाकर, अधिक मात्रा में रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कर, समाज के निर्बल वर्गों की आय के संसाधनों में वृद्धि कर तथा अपना धंधा शुरू करने के लिए उद्यमियों को सहायता की व्यवस्था कर पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा गरीबी की समस्या का निदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

पहली पंचवर्षीय योजना का दौहरा उद्देश्य था ; यानी युद्ध और देश के विभाजन के कारण अर्थ-व्यवस्था में जो गड़बड़ पैदा हो गई थी उसको ठीक करना तथा सर्वतोमुखी संतुलित विकास की प्रक्रिया का साथ साथ सूत्रपात करना, ताकि राष्ट्रीय आय की वृद्धि तथा एक अवधि के दौरान जीवन स्तरों में निरन्तर सुधार को सुनिश्चित किया जा सके। समाजवादी समाज की प्रणाली को प्राप्त करने को आधारशिलाएं भी पहली पंचवर्षीय योजना में रखी हुई-यानी बिना जाति, वर्ग और विशेषाधिकार के स्वतन्त्र और समाजिक मूल्यों के आधार पर आर्थिक और समाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें रोजगार और उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ेगा और अधिकाँश मात्रा में समाजिक न्याय प्राप्त होगा। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, स्थानीय विकास कार्यक्रम, ग्रामोद्योग व लघु उद्योग, आवास, श्रम व श्रम कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि अनेक परियोजनाएं शुरू की गई। यद्यपि इन्हें निश्चित रूप से गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं लिया गया था फिर भी इनका उद्देश्य अधिक मात्रा में रोजगार अवसर प्रदान कर तथा अतिरिक्त आय की व्यवस्था कर लोगों की सामान्य बेहतरी में सुधार करना था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन सभी कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर लेने के अलावा, मझोलियों की समाप्ति सहित भूमि सुधार, काश्तकारी सुधार, कृषिभूमि की हद बन्दी, छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण, कृषि श्रमिकों के लिए कार्यक्रम ग्रामीण ऋण और हाट-व्यवस्था का पुनर्गठन, पशुपालन, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग तथा अन्य समाज सेवाएं आदि कतिपय नये कार्यक्रम शुरू किए गये।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, उपर्युक्त कार्यक्रमों का विस्तार करने के अलावा, कृषि कार्यों में मन्दी के दौरान वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सुलभ करने की क्षमता रखने वाला ग्रामीण निर्माण कार्यों के कार्यक्रमों की एक स्कीम शुरू की गई थी। तीन वार्षिक योजना अवधियों 1966-69 के दौरान, पूर्व योजनाओं में पहले से आरम्भ किए गए कार्यक्रमों को उसी रफ्तार से चालू रखा गया।

यह केवल चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के बाद अनुभव किया गया कि जनसंख्या में अधिक कमजोर वर्गों तथा बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार से प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रत्यक्ष व कारगर ढंग से काम करने की आवश्यकता है। तदनुसार छोटे किसानों, सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों को सहायता पहूंचाने के लिए विभिन्न विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम और बारानी खेती के विकास के कार्यक्रम आरम्भ किए गए। 1971-72 में ग्रामीण रोजगार की एक त्वरित स्कीम शुरू की गई ताकि प्रत्येक जिले में वर्ष के दौरान 1,000 व्यक्तियों को औसतन निरन्तर दस महीनों का रोजगार सुलभ किया जा सके। शिक्षित बेरोजगारों, वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों व अन्य वर्गों के लोगों के लिए 1971-72 और 1972-73 के दौरान विभिन्न विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए थे। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किए गए आवंटन के बारे में दो विवरण संलग्न है (विवरण-1 और 2)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-4010/72]

विवरण 2 से विदित होगा कि बुनियादी निम्नतम आवश्यकताओं को सुलभ करने और समाज के निर्बल वर्गों को सहायता देने के लिए परिव्ययों में काफी वृद्धि की गई है।

वार्षिक योजना 1972-73 में, ग्रामीण विकास, आवास और गंदी बस्तियों का सुधार, ग्रामीण जल आपूर्ति में तेजी लाने, प्रारम्भिक शिक्षा आदि के कार्यक्रमों को संगठित करने पर विशेष बल दिया गया है।

समाज के निर्बल वर्गों को संस्थागत वित्त सुलभ हो सके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय अपनाए गए उनमें से एक प्रमुख उपाय देश के चौदह वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। इसके बाद, स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी किसानों, छोटे उद्यमियों और अपना धंधा शुरू करने की स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विशेष स्कीमें शुरू की थी। राष्ट्रीय बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों के लिए जो अग्रिम धन प्रदान किया गया उसका ब्यौरा विवरण 3 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4010/72]

आसाम के विभिन्न जिलों को अलग करने की मांग

*432. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के आदिवासी नेताओं ने गवालपाड़ा, कामरूप, दरांग, लखीमपुर और शिवसागर जिलों के उत्तरी क्षेत्रों को आसाम से अलग करके एक पृथक राज्य या कम से कम एक संघ राज्य क्षेत्र बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) असम की मैदानी आदिम जाति परिषद इन क्षेत्रों के लिए समय-समय पर किसी न किसी रूप में अलग प्रशासनिक यूनिट के लिए मांग करती रही है। अपने अद्यतन ज्ञापन दिनांक 21-11-72 में परिषद ने गोलपारा की उत्तरी पट्टी, कामरूप, दारंग तथा लखीमपुर जिलों का एक 'स्वायतशासी मैदानी आदिम जाति क्षेत्र' बनाने की मांग की है। सरकार ऐसी मांगों के पक्ष में नहीं है। ये मांगे इस भावना से उत्पन्न हुई प्रतीत होती हैं कि इन क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह बात समत-समय पर मुख्य मंत्री के ध्यान में लाई गई है और राज्य सरकार को इन मैदानी आदिवासियों की सही शिकायतों को दूर करने के लिए कारगर कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

Central Assistance to States during 1972-73

*434. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the annual Plan provision for 1972-73 in respect of each State and the share of Central assistance therein; and

(b) the State-wise figures of the cut in Central assistance in the annual Plan for 1972-73 as compared to the annual Plan for 1972-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(Rs. crores)

States	1971-72 Plan Provision	1971-72 Central Assistance	1972-73 Plan Provision	1972-73 Central Assistance	Cut in the Central Assistance in 1972-73 over 1971-72 (Col. 3-Col. 5)
1	2	3	4	5	6
1. Andhra Pradesh	87.00	48.00	105.00	46.56	— 1.44
2. Assam	42.21	36,56	40.25	32.96	— 3.60
3. Bihar	82.55	67.60	100.00	65.57	— 2.03
4. Gujarat	95.54	31.60	106.00	30.65	— 0.95
5. Haryana	60.63	15.70	82.00	15.23	— 0.47
6. Jammu & Kashmir	30.79	29.00	36.00	32.00	+ 3.00
7. Kerala	60.00	35.00	64.00	33.95	— 1.05
8. Madhya Pradesh	90.46	52.40	109.00	50.83	— 1.57
9. Maharashtra	183.63	49.10	205.59	47.63	— 1.47
10. Meghalaya	7.95	7.44	8.25	7.22	— 0.22
11. Mysore	70.00	34.60	72.30	33.56	— 1.04
12. Nagaland	8.04	7.00	9.00	7.59	+ 0.59
13. Orissa	48.33	32.00	57.42	31.04	— 0.96
14. Punjab	79.36	20.20	85.00	19.59	— 0.61
15. Rajasthan	62.55	44.00	65.00	42.68	— 1.32
16. Tamil Nadu	80.20	40.40	116.35	39.19	— 1.21
17. Uttar Pradesh	209.15	105.20	225.00	102.04	— 3.16
18. West Bengal	59.41	44.20	73.52	42.87	— 1.33
19. Himachal Pradesh	21.89	19.50	26.57	22.00	+ 2.50
20. Manipur	6.22	5.72	7.50	7.50	+ 1.78
21. Tripura	7.30	7.99	8.00	8.00	+ 0.01
Grand Total	1393.21	733.21	1601.75	718.66	— 14.55

एशियाई समाचार एजेंसी

***435. श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कोलम्बो योजना क्षेत्र में रेडियो, टेलीविजन और समाचार-पत्रों के लिए संचार का मूल ढांचा तैयार करने हेतु एक एशियाई समाचार एजेंसी की स्थापना पर जोर दिया है;

(ख) क्या भारत ने कोलम्बो योजना के देशों में सूचना के निर्बाध सचार की आवश्यकता पर भी बल दिया है; और

(ग) क्या भारत ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य-देश परस्पर स्वीकार्य प्रेस तार की दरें निश्चित करें और केन्द्रीयवृत का उपयोग करने के बजाय आपस में सीधे तार और रेडियो सम्पर्क स्थापित करें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) से (ग) जी, हां।

पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण

***437. श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1972 में पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में कोई बातचीत हुई थी और निर्णय लिए गए थे और इसमें अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए 5.5 प्रतिशत वृद्धि-दर की परिकल्पना की गई थी जो इसके लिए न्यूनतम है; और

(ख) यदि हां, तो किए गए निर्णयों की रूपरेखा क्या है और इन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 'पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण' नामक दस्तावेज योजना आयोग द्वारा तैयार कर लिया गया है जिसमें कि 5.5 प्रतिशत वृद्धि-दर की परिकल्पना है। इस दस्तावेज पर इस समय भारत सरकार विचार कर रही है और इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस पर विचार किया जाएगा। अत: पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि-दर क्या होगी—इस पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिये कार्यकारी दल

***432. श्री राम सहाय पांडे :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में भूमि सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक कार्यकारी दल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दल ने अब तक क्या कार्य किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : राज्य सरकारें भूमि सुधारों का तेजी तथा कारगर ढंग से कार्यान्वियन कर सकें, इस सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिए योजना में कृषि कार्य सम्बन्धों पर एक अभियान दल (टास्कफोर्स) गठित किया गया है।

(ख) आशा है कि अभियान दल (टास्कफोर्स) फरवरी 1973 तक योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

आकाशवाणी द्वारा ख्याति प्राप्त कलाकारों को नैमित्तिक आधार पर काम पर लगाना

*439. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में अब भी कुछ प्रसिद्ध कलाकार नैमित्तिक आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी में नैमितिकरण समाप्त करने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) आकाश वाणी अपनी कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर आकस्मिक आधार पर आर्टिस्टों को लगाती है।

(ख) इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) नियमित आधार पर स्टाफ आर्टिस्टों की भर्ती इस बारे में बनाए गए भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं। तथापि, केन्द्र निदेशक केन्द्रों की प्रासंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अवसर में अधिक से अधिक 14 दिन तक की अवधि के लिए अल्पकालीन आकस्मिक ठेकों पर आर्टिस्ट भर्ती कर सकते हैं। इस प्रकार के कैज्युअल आर्टिस्ट यदि नियमित स्टाफ आर्टिस्टों के पद विज्ञापित होने पर उन पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके बारे में अन्य आवेदकों के साथ नियमित स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।

केरल में केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों में कच्चे माल की कमी

*440. **श्री व्यालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कच्चे माल की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार के केरल स्थित उत्पादन केन्द्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वास्तविक उत्पादन पर इसका किस सीमा तक असर पड़ा है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों को कोई खास कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। वस्तुतः हाल के कुछ वर्गों में इन केन्द्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1971-72 में कच्चे माल आदि की खरीद के लिए उपलब्ध कराई गई 9.39 लाख रुपये की राशि के स्थान पर चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः महीनों में 8.85 लाख रु० की राशि दी गई थी। अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक धन-राशि का प्रबन्ध किया जा रहा है।

राज्यों और संघ राज्य/क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय

4113. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1960-61 से 1970-71 तक प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि/कमी हुई है और वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों के आधार पर तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय आंकड़े क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : सम्बद्ध राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए 1960-61 और 1970-71 वर्षों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के लिए प्रचलित स्थिर भावों के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय के नवीनतम उपलब्ध अनुमान, और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए गए तदनुरूप अखिल-भारतीय अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4001/72] संकल्पनाओं, प्रयोग में लाई गई स्रोत-सामग्री, रीति-विधान और आधार वर्षों में विभिन्नताओं के कारण राज्यों के प्रतिव्यक्ति आय के उक्त अनुमान न तो परस्पर और न अखिल-भारतीय अनुमानों के साथ ही तुलना करने के लिए सर्वथा अनुरूप हैं।

Complaint lodged with Executive Engineer, P & T Civil Division

4114. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the Executive Engineer, P & T Civil Division No. I or II has received any complaint from any suppliers to the Machenzies Ltd., 30, Chittaranjan Avenue, Calcutta that the Company is not making payment of their bills and that the amount may be paid to them after deducting the same from the amount due to the Company ; and

(b) if so, the action taken by his Department in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir, however a notice has been received from the Registrar of City Civil Court, Calcutta that until further

orders of the said Court, the Ex-Engineer, P & T Civil Division No. 1, Calcutta is prohibited and restrained from making a payment of Rs. 15,000/- to M/s Mackenzies Ltd. in the case of Shri Broj Kumar Agarwalla, carrying on business under the name and style of M/s Ashoka Builders at 15, Pageypatti St., Calcutta.

As regards the Ex. Engineer P & T Civil Division No. II, Calcutta, M/s Balkrishna Gupta of Port Blair have complained that dues amounting to Rs. 6956.49 are pending on account of the work of construction of Head P.O. Building at Bara Bazar, Calcutta, carried out by them for M/s Mackenzies Ltd., Calcutta.

(b) The P&T Civil Division No. I, Calcutta has stopped payment to M/s Mackenzies Ltd. after the receipt of the Court's orders.

With regard to P & T Civil Division No. II, Calcutta, the Department cannot take any action under the terms of the contract.

Vacancies of LDCs, UDCs and Stenographers reported to Central (Susplus Staff) Cell

4115. **Shri Hukam Chand Kackwai :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3301 on the 6th December, 1972 regarding employees declared surplus in Government of India offices on the rolls of Central (Surplus Staff) Cell, and state :

(a) the number of vacancies in the grades of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk and Stanographer (Department-wise) reported to the Central (Surplus Staff) Cell during the period from Ist January to 30th June, 1972: and

(b) the names of the offices to whom 'no objection certificate' was issued to the effect that no surplus employee was available on the rolls of Central (Surplus Staff) Cell for nomination, with dates, during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha : (a) and (b) The required information in being collected and will be placed on the Table of the House.

आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में नियुक्ति के लिए निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों का नाम देना

4116. **श्री हुकमचन्द कछवाय :** क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय कर्मचारी सैल में फालतू कर्मचारियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में 30 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब 1 जून, 1972 को दिल्ली स्थित आयकर आयुक्त, के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिकों के ग्रेडों में रिक्त पद थे तो उक्त तीनों ग्रेडों में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के नाम उक्त विभाग में अनारक्षित पदों के लिए क्यों नहीं दिये गये ;

(ख) क्या यह प्रक्रिया के प्रतिकूल नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली स्थित आयकर आयुक्त द्वारा सूचित की गई रिक्तियां जो कि 1 जून, 1972 को निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिकों के तीन ग्रेडों में प्राप्त थी, आरक्षित वर्ग के लिए चिन्हित थीं। मुख्य व्यवस्थापन आयुक्त के कार्यालय के इन तीन ग्रेडों के फालतू कर्मचारी, जिन्होंने 31-5-1972 (मध्यान्ह) को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल में कार्य प्रारम्भ किया, उनमें केवल तीन निम्न श्रेणी लिपिक आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित थे और उन्हें विधिवत आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय के लिए नामित किया गया था। शेष फालतू कर्मचारियों का सम्बन्ध सामान्य वर्ग से था और उन्हें आरक्षित वर्ग की रिक्तियों के लिए नामित न किया जा सका।

(ख) अतः निर्धारित प्रक्रिया के त्याग करने का कोई मामला न था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रजिस्ट्रार-जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारी

4117. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 से 1972 तक महा-पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त भारत के कार्यालय में भर्ती किये गये और पदोन्नत सहायक संकलनकर्ताओं की संख्या कितनी है ;

(ख) उपर्युक्त कार्यालय में कितने सहायक संकलनकर्ता स्थायी बनाये गये हैं ;

(ग) वर्ष 1961 से 1972 तक की अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने सहायक संकलनकर्ता भर्ती किये गए हैं और स्थायी बनाये गये हैं ; और

(घ) वर्ष 1961 से लेकर उपरोक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने संकलनकर्ता वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किए गए तथा स्थायी बनाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) भर्ती किए गए — 318
पदोन्नत किए गए — 96

(ख) 130 स्थायी पदों में 90

(ग) **भर्ती किये गए :**
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार — 17
अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार — शून्य
स्थायी किए गए :
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार — शून्य

(घ) वरीयता के आधार पर पदोन्नत किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सहायक संकलनकर्त्ताओं की संख्या शून्य है क्योंकि पदोन्नति जोन में कोई नहीं था।

डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों द्वारा एक से अधिक टेलीफोन पाने का अधिकारी होना

4119. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डाक तथा तार विभाग के उन अधिकारियों के पदों के स्तर के बारे में कोई आदेश जारी किए हैं जो निम्नांकित सुविधाएं पाने के अधिकारी है : (एक) कार्यालय तथा निवास स्थान में एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन, (दो) निवास स्थान के साथ समानांतर वाले एक से अधिक टेलीफोन, (तीन) निवास स्थान मे लगे टेलीफोनों के लिए असीमित कोई, (चार) कार्यालय तथा निवास स्थान में एक एक रंगीन टेलीफोन, (पांच) दो रंगीन टेलीफोन से अधिक टेलीफोन जबकि निवास स्थान में दो कनेक्शनों अथवा उपकरणों की व्यवस्था है;

(ख) क्या उन्होंने कभी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच का आदेश दिया है, कि इस सम्बन्ध में, दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट और डाक तथा तार महानिदेशालय के अधिकारियों की पात्रता उनके मंत्रालय अथवा डाक तार महानिदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री एच० एन० बहुगुणा) : (क) जी नहीं । डाक-तार महानिदेशक और सर्किल/टेलीफोन जिला अध्यक्ष अपने विवेक से विभागीय सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार डाक-तार अधिकारियों के कार्यालयों और उनके निवास-स्थानों पर टेलीफोन की सुविधाएं देते हैं।

(ख) से (घ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-रूस करार के अधीन रूस को भेजे जाने वाले विशेषज्ञों का चयन

4121. श्री **एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत रूस करार के अन्तर्गत वर्ष 1972 और 1973-74 के लिए वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंग के रूप में कोई विशेषज्ञ रूस भेजे गए हैं या भेजे जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कोई आदान-प्रदान नही हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने सोवियत सरकार को, गत अक्तूबर में मास्को में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ विचार-विमर्श के अवसर पर स्वीकृत हुये कार्यक्रम के अनुसार भारतीय विशेषज्ञों के कुछ दलों को भेजने का सुझाव दिया है। अभी तक सोवियत उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) स्वाभाविकतया ध्यान दिया जायेगा कि इन दलों के कर्मचारी देश के सम्बन्धित क्षेत्र में उपलब्ध श्रेष्ठ विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करें।

वर्ष 1973-74 में थुम्बा अन्तरिक्ष केन्द्र का विकास

4122. **श्री वयालार रवि** : : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में थुम्बा अंतरिक्ष केंद्र में सरकार द्वारा आरम्भ किये जाने वाले विकास कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उस केंद्र में राकेट बनाने की सुविधाओं का प्रसार करने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) वर्ष 1973-74 में थुम्बा में आरम्भ किए जाने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) राकेट बनाने की सुविधाओं का विस्तार इतना किया जा चुका है कि वे 600 कि० मी० व्यास तक के राकेटों का निर्माण कर सके। अब उनका विस्तार फाइबर ग्लास तथा स्ट्रिप वाउण्ड मोटर का निर्माण करने के लिए किया जा रहा है। 125 कि० मी० व्यास तक की राकेट मोटरों के निर्माण से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इन सुविधाओं का विस्तार करने का काम आरम्भ किया जा रहा है।

रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए केरल को धन का नियतन

4123. **श्री वयालार रवि** : क्या **योजना** मंत्री रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के लिए राज्यों को धन के आवंटन के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को केरल सरकार से अपेक्षित कार्यक्रम मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए उपरोक्त राज्य को अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 1972-73 के दौरान केरल राज्य के विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना आयोग ने कुल 309 लाख रुपये के परिव्यय की निम्नांकित 12 स्कीमें अनुमोदित की हैं :—

	स्कीमें	परिव्यय
		(लाख रुपये)
1.	छोटी सिंचाई स्कीमें	28.86
2.	भूमि संरक्षण स्कीमें	25 00
3.	ग्रामीण औषधालय स्कीम	80.00
4.	सरकारी औषधालय	4.00
5.	पालघाट बुनियादी आधार	राज्य सरकार से ब्यौरे की इन्तजारी की जा रही है।
6.	पशुफार्म परियोजना	15.00
7.	पशुधन सहायता की स्वतः धन उपलब्ध कराने की स्कीम	43.00
8.	कोट्टयम नहर का सुधार	3.00
9.	औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशाला	3.00
10.	छोटी सिंचाई योजना (मध्यसागर फैक्टरी क्षेत्र)	14.00
11.	अनुवाद के लिए स्नातकोत्तर व्यक्ति को रोजगार	3.00
12.	संचालनात्मक औद्योगिक बस्तियां और अन्य औद्योगिक स्कीमें	90.00
	जोड़ :	308.86

पालघाट बुनियादी आधार से सम्बन्धित उपर्युक्त स्कीम संख्या 5 के संदर्भ में, राज्य सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि 1972-73 में इस पर कितना खर्च होने की सम्भवना है। इस स्कीम को छोडकर ऊपर जो 309 लाख रुपये का परिव्यय बताया गया है उसमें से 104 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये जायेंगे और बाकी राज्य सरकार देगी। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता देने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके मुताबिक वित्त मन्त्रालय ने 26 लाख रुपये की पहली किश्त देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि वर्ष 1972-73 के लिये कुल केन्द्रीय सहायता का 25 प्रतिशत है।

फिल्म वित्त निगम के ऋणों को बट्टे खाते डालना

4124. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालने के बारे में 15 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 452 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्हें दिये ऋण को बट्टे खाते डाला गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : फिल्म वित्त निगम ने निम्नलिखित पार्टियों को दिए गए ऋण बट्टे खाते में डाले हैं :—

क्रम-संख्या	निर्माता का नाम	फिल्म का नाम	ब्याज सहित राशि
			रुपए
1.	त्रिलोक जेटली	गोदान (हिन्दी)	3,29,552.16
2.	चित्र शारदा	ते माझे घर (मराठी)	52,935.00
3.	गजानन जागीरदार	सुखाची सवाली (मराठी)	69,852.00
4.	विदूषक	धूम मंगल गान (बंगला)	2,01,033.65
5.	जी० आर० ग्वाल्नी	चार धाम (हिन्दी)	96,434.28
6.	आर० आर० दवे	पुनर् मिलन (हिन्दी)	3,72,587.79
7.	बी० राधाकृष्णन	सन्त तुकारास (कन्नड़)	63,647.63
8.	सदाशिव जे० रो कवि	बेगाना (हिन्दी)	80,046.83
		योग :	12,66,089.34

पुराने अखबारों से स्याही हटाना और उनका पुनः उपयोग करना

4125. **श्री बरके जार्ज :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराने अखबारों से स्याही हटाने और उनका पुनः उपयोग किये जाने की सम्भावना की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधाप्रनयोगशाला, जोरहट ने अखबारों से स्याही हटाने तथा उस अखबारी कागज को पुनः उपयोग में लाने की एक योजना तैयार की थी। किन्तु विस्तृत अध्ययन के बाद, योजना को उचित नहीं पाया गया क्योंकि इसे अलाभप्रद व खर्चीला पाया गया।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के पास अप्रयुक्त धनराशि

4126. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-7 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी गई धनराशि में से बहुत सी राशि का उपयोग नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस राशि का वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले उपयोग किये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा असमिया भाषा में प्रकाशित पत्रिकाएं आदि

4127. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों में असमिया भाषा में प्रकाशित समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य प्रचार सामग्री की संख्या कितनी है ;

(ख) वे कहां-कहां से प्रकाशित होती हैं ;

(ग) क्या इन्हें आसाम से प्रकाशित कराये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) आसाम के कितने मुद्रकों ने मंत्रालय से यह कार्य करने के लिये अनुरोध किया है ?

सचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4012/72]

(ग) प्रकाशन प्रभाग, जो पुस्तकों, पेम्फलेटों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है, मुद्रकों का एक पैनल रखता है। जिसमें गोहाटी के भी 2 मुद्रक हैं। (गोहाटी के मद्रकों ने अभी तक अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं) आवश्यकता पड़ने पर कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं और काम प्रतियोगी दरों के आधार पर दिया जाता है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, जो पोस्टर, फोल्डर, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, तथा अन्य विविध सामग्री प्रकाशित करता है, भी मुद्रकों का एक पैनल रखता है। समाचार-पत्र में विज्ञापन के द्वारा सारे देश के मुद्रकों को इस पैनल में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आमत्रित किया जाता है। उन मुद्रकों, जो मशीनरी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करते

हों, अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्र की प्रादेशिक भाषाओं में मुद्रण कार्य कर सकते हों तथा जिनका कार्य सन्तोषजनक हो, को भारत सरकार द्वारा नियुक्त पैनल सलाहकार समिति द्वारा उनके आवेदनों पर विचार करने के उपरान्त पैनल में शामिल कर लिया जाता है। कार्य वैध निम्नतम टेन्डरों के आधार पर दिया जाता है न कि किसी फर्म को निश्चित दरों के आधार पर।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आसाम की केवल एक फर्म ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के मुद्रकों के पैनल में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। यह फर्म पंजीकरण के लिए पात्रता नहीं रखती थी।

भारत में जियोनिस्ट एसोसियेशन

4128. **इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बम्बई, पूना तथा अन्य स्थानों पर जियोनिस्ट एसोसिएशन कार्य कर रही है ;

(ख) इन एसोसियेशनों के उद्देश्य और गतिविधियां क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि इन जियोनिस्ट एसोसिएशनों का सी० आई० ए० से सम्बन्ध है तथा वे सी० आई० ए० से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में दो ऐसे एसोसियेशन अर्थात् बम्बई जियोनिस्ट एसोसिएशन तथा भारतीय जियोनिस्ट संगठन बम्बई में कार्य कर रही हैं। भारतीय जियोनिस्ट संगठन की एक यूनिट पूना में भी कार्य कर रही है। मणिपुर में मणिपुर जेविश संगठन अगस्त, 1972 में स्थापित किया गया था। गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व काश्मीर केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मिजोरम से अभी सूचना आनी है।

(ख) इन एसोसिएशनों का लक्ष्य तथा उद्देश्य जियोनिस्ट कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है जैसे यहूदियों के लिए इसराइल में मातृभूमि का निर्माण करना, यहूदियों में एकता बढ़ाना, यहुदी इतिहास, भाषा तथा साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन देना और हिब्रू भाषा का एक जीवित भाषा के रूप में प्रयोग करना तथा भारत और इसराइल के बीच साँस्कृतिक व व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना।

(ग) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में तालाबन्दी

4129. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर में हाल ही में घोषित तालाबन्दी के परिणामस्वरूप कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) इस तालाबन्दी के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को प्रतिदिन कितनी हानि हुई है ; और

(ग) तालाबन्दी शीघ्र समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तालाबन्दी का कुल 4200 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) प्रतिदिन 4 लाख रुपये की उत्पादन हानि हुई है ।

(ग) तालाबन्दी 9 दिसम्बर, 1972 की प्रथम पारी (5.30 पूर्वान्ह) में सामाप्त हो गई ।

Launching of certain Construction programme to check Rural Unemployment

4130. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to launch the programmes for road construction, electrification, supply of drinking water and construction of houses in rural areas with a view to checking increasing unemployment in the country ;

(b) if so, the amount of expenditure to be incurred on the said programmes during the current year; and

(c) the areas in which the said programme would be undertaken and the number of persons to be provided with employment under the said programme ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) Government have already launched various programmes with a view to creating increasing employment opportunities and for special welfare measures like rural water supply, rural home-steads, rural electrification. rural roads, slum improvements, etc. The details of the various programmes and outlays concerned with employment opportunities are indicated in the Planning Commision's Annual Plan 1972-73 document and the brochure entitled 'Employment Opportunities'' both of which have been circulated among the Hon'ble Members.

उड़ीसा से चुराई गई प्राचीन वस्तुएं

4133. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या हाल ही में उड़ीसा राज्य से प्राचीन वस्तुएं चुराई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना में अन्तर्ग्रस्त किसी तस्कर व्यापारी को पकड़ा है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एच० (मोहसिन) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष 31 प्राचीन वस्तुएं चोरी की गई हैं ।

(ख) इन मामलों में किसी में भी कोई तस्कर अन्तर्ग्रस्त नहीं था । किन्तु 4 स्थानीय

व्यक्ति, जो दो मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाये गये, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे और इन मामलों की अभी जांच-पड़ताल हो रही है।

उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों से मूर्तियों और पुरातत्व की वस्तुओं के गायब हो जाने सम्बन्धी मामले

4132. **श्री एम० कतामुतु :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों से धातु और पत्थर की बनी अद्वितीय मूर्तियां तथा पुरातत्व की अन्य दुर्लभ वस्तुएं गायब हो गई हैं ;

(ख) क्या इन मूल्यवान और पुरातत्व की दुर्लभ वस्तुओं के गायब हो जाने के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ). जिला नैनीताल में 1969 से पुलिस में 5 मामलों की रिपोर्ट की गई है। 4 मामलों में पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। 1971 के एक मामले में, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। 1972 में सूचित किये गए एक मामले में अभी जांच-पड़ताल जारी है।

2. 1970 में पुलिस को रिपोर्ट किए गए दो मामले पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करके निपटाये गये।

3. पुलिस जिला चमोली में एक मामले की जांच-पड़ताल कर रही है जोकि 1972 में दर्ज किया गया था।

4. जिला उत्तर काशी में मार्च, 1972 के प्रथम सप्ताह में एक मूर्ति चुराई गई थी। मामला अभी न्यायाधीन है।

5. जिला पौड़ी गढ़वाल में, चोरी के दो मामलों की 1967 में और एक मामले की 1968 में रिपोर्ट की गई थी। 1967 के दो मामले गुप्तचर विभाग में जांच पड़ताल के लिए निलम्बित पड़े हैं। 1968 में दर्ज किया गया एक मामले समाप्त हो गया है और अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय को दे दी गई है।

राज्यों में हरिजनों की मारपीट और उनको परेशान किया जाना

4133. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में अनेक राज्यों में हरिजनों की मारपीट और उनको परेशान किये जाने के कई मामलों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के अनेक भागों में हरिजनों पर अमानवीय अत्याचारों के मामलों की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन का अन्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ग) . महाराष्ट्र समेत देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर आक्रमण तथा उत्पीड़न इत्यादि की कथित घटनाएं समय-समय पर ध्यान में आई हैं। राज्य सरकारें विशिष्ट मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करती है। केन्द्र सरकार की यह नीति रही है कि प्रशासन को समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर जब कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिसमें ऐसे कमजोर वर्गों के सदस्य शिकार हो जाते हैं। सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों पर किये गए अपराधों की शीघ्र तथा कारगर जाँच पड़ताल करने के निदेश दे दिये गये हैं और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसा न करने पर सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से कर्त्तव्य की भारी अवहेलना समझी जायेगी। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के क्षेत्र व सख्ती को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है।

Provision for Employment of S. C. and S. T. during Fifth Plan

4134. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any step or made any provision in the Fifth Five Year Plan with a view to give remuneration employment to the Seheduled Caste and Scheduled Tribes ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Mininstry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The Fifth Five Year Plan is in the process of formulation. The Approach document is yet to be finalised Details of schemes to promote the educational and economic interests including employment of the weaker sections of the people will be worked out in the course of formulation of the plan.

(b) Does not arise.

Amount allocated for development of education during Fifth Plan period

4135. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount allocated in the Fifth Five Year Plan for the development and spread of education ; and

(b) the State-wise figures of the amount allocated for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The Fifth Five Year Plan has not been finalised so far and the allocation for education in the Fifth Five Year Plan remains to be decided.

(b) Does not arise.

श्री नगर में डल गेट पर एक होटल में मारे गए व्यक्ति

41. 6. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री वी० मायावन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1972 को श्रीनगर में डल गेट पर एक होटल के कमरे में 6 व्यक्तियों की हत्या कर कर दी गई थी ;

(ख) क्या ये व्यक्ति राज्य को देखने के लिए वहां गये थे ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत विरोधी तत्वों ने इन पर्यटकों की हत्या की थी और क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई जांच की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मृत व्यक्ति नौकर और रसोइए थे। जो राज्य का भ्रमण करने वाले एक पर्यटक-दल के साथ गए थे।

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ये व्यक्ति एक बन्द कमरे में सोये हुये थे जहाँ पर एक पत्थर के कोयले से जलने वाला चूल्हा जिसका कुछ समय पहले खाना पकाने के लिए प्रयोग किया गया था, जलता छोड़ दिया गया था। मृत्यु के बारे में जाँच की गई और मृत्यु का कारण पत्थर के कोयले की जहरीली गैस से दम घुटना पाया गया।

पंजाब के बटाला जिले में ट्रांसमिटर का बरामद किया जाना

4137. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री हुकम चंद कछवाय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 1971 के 'वीर अर्जुन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब के बटाला जिले में एक ट्रांसमिटर मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पंजाब सरकार ने बताया है कि 12 नवम्बर को गांव सैदपुर थाना बटाला के खेतों में कुछ वक्र (क्रास) उपकरण के साथ एक गुब्बारा पड़ा पाया गया। पंजाब पुलिस द्वारा की गई जाँच-पड़ताल से यह पुष्टि नहीं हुई कि बरामद उपकरण एक ट्रांसमिटर था। बरामद की गई वस्तुएं स्थानीय सेना के प्राधिकारियों को सौंप दी गई हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भारत-रूस वार्ता

4138. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री एच० एन० मुखर्जी :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भारत-रूस वार्ता हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई है और बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) . आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अन्त:-सरकारी भारत-रूस आयोग के गठन के बारे में भारत और रूस (यू०एस०एस०आर०) की सरकारों के मध्य जिस इकरारनामे पर हस्ताक्षर हुए उसका अनुसरण करते हुए तथा नई दिल्ली में होने वाली आयोग की आगामी बैठक के प्रारम्भ में यू० एस० एस० आर० से विशेषज्ञों के दल हाल ही में भारत आये। यू० एस० एस० आर० और भारतीय विशेषज्ञों के विचार-विमर्शों के आधार पर, पांचवीं योजना को ध्यान में रखते हुये लौहीय और अलौहीय, धातुकर्म तथा अन्य उद्योगों के क्षेत्रों में सम्बद्ध अभिकरणों द्वारा विस्तृत अध्ययन करने के लिए सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

पश्चिमी बंगाल की आर्थिक दशा

4139. **श्री समर गुह : क्या योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री रणजीत राय की 'दी ऐगनी आफ वेस्ट बंगाल' (दूसरा संस्करण) पुस्तक की ओर दिलाया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल की समूची आर्थिक समस्या पर और राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे और प्रगति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की आर्थिक तथा अन्य नीतियों के प्रभाव पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लेखक द्वारा निकाले गये किष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में आर्थिक नीति बनाते समय इस पुस्तक के निष्कर्षों को ध्यान में रखेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . पश्चिम बंगाल सरकार को आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भारत सरकार को उनकी जानकारी है। पश्चिम बंगाल की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्धारण करते समय पुस्तक में दिये गए विभिन्न सुझावों पर सरकार द्वारा समुचित ध्यान दिया जायेगा।

दिल्ली की फर्मों द्वारा डाक के जरिये धोखाधड़ी

4140. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने दिल्ली की लगभग ऐसी 49 फर्मों का पता लगाया है जो डाक के जरिये धोखाधड़ी कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जांच की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो जांच के क्या परिणाम रहे ; और

(घ) क्या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पुलिस की तफतीस चल रही है।

(घ) जी हां। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

विदेशों से डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार देने में तरजीह देना

4141. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार देने में तरजीह दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विदेशों से डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की तरजीह दिये बिना, कोई सामान नीति बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन

4142. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कितने प्रतिशत निर्णयों को राज्य की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया जा चुका है ; और

(ख) ऐसे सभी निर्णय राज्य की क्षेत्रीय भाषा में कब तक प्रकाशित कर दिये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा

7 के अधीन, कार्यवाहियों अथवा निर्णयों, डिक्रियों अथवा आदेशों के लिए उच्च न्यायालय में जिस का प्रमुख स्थान उसी राज्य में हो राज्य के किसी सरकारी उद्देश्य के लिए हिन्दी अथवा अन्य किसी भाषा के प्रयोग के लिए पहल राज्य सरकार को करनी है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों को छोड़कर अभी तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी, जो उस राज्य की राजभाषा है, के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है।

Remarks on Marriage Customs in India and Chambers Encyclopaedia, 1967

4143. **Shri Anand Charan Das :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the remarks published under the heading 'Adam's marriage' on page 108 of the new edition of Chambers encyclopaedia, 1967. wherein it is mentioned that people in India and Asia offer their wives in order to please their guests ; and

(b) if so, the steps taken by Government to approach the editors for amending the said Enyclopaedia by deleting the wrong remarks ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Reference in the question is presumably to an article on marriage at page 108 of Volume 9 of the Chambers Encyclopaedia, 1967, to which the Government's attention has been drawn.

(b) The publishers of the Encyclopaedia are being approached to secure deletion of objectionable remarks.

आकाशवाणी के कर्मचारियों की बोनस के लिए मांग

4144. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कर्मचारियों की नेशनल फैडरेशन ने आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बोनस भुगतान अधिनियम या इस अधिनियम के हाल ही के संशोधी अध्यादेश के अन्तर्गत आकाशवाणी के कर्मचारी बोनस के हकदार नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामान्य नीति से विपरीत अलग से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा सप्लाई किये गए उपकरणों का मूल्य

4145. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा सप्लाई किये जाने वाले उपकरणों के मूल्य निर्धारित करने के लिए किसी मूल्य के बारे में समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय के निर्देश जारी किये हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सम्भरित उपकरणों के मूल्य देश में यथासंभव उसी प्रकार के उपकरणों के तटागत मूल्य के अनुसार तय किये जाने चाहिए। जहां पर तटागत मूल्य का निश्चित न किया जा सकता हो, या देश में बनी वस्तु की कीमत ऐसी है जिस पर गुणावगुण के आधार पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है तो कीमतें सरकार के द्वारा नियुक्त की जाने वाली मूल्य समिति द्वारा हर बार तदर्थ आधार पर निश्चित की जा सकती है। समिति का गठन सामान्य रूप से निम्न प्रकार है :—

(1)	महानिदेशक, ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइसेज	अध्यक्ष
(2)	विक्रेता से प्रशासनिक तौर पर सम्बन्ध मन्त्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	क्रेता से प्रशासनिक तौर पर सम्बद्ध मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मन्त्रालय	सदस्य
(5)	सलाहकार ब्यूरो और पब्लिक इन्टर प्राइसेज	सदस्य

अंडमान द्वीपसमूह में रोजगार सम्भावनाएं

4146. **श्री राजदेव सिंह :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान द्वीपसमूह में 14,000 की आबादी वाले निकोबार द्वीप में रोजगार की सम्भावनायें क्या हैं ;

(ख) क्या इस समूह के अन्य द्वीपों में भी रोजगार सम्बन्धी ऐसी ही समस्याएं हैं ; और

(ग) क्या अंडमान-निकोबार द्वीपों के रहने वालों को उन्हीं द्वीपों में अथवा भारत की मुख्य भूमि पर रोजगार देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) . ग्रामीण जन समुदाय को रोजगार उपलब्ध करने के लिए, अंडमान द्वीपसमूह में 1971-72 के दौरान ग्रामीण रोजगार

की त्वरित स्कीम शुरू की गई है। वर्ष 1971-72 के दौरान, इस स्कीम से 55,464 श्रमदिनों का रोजगार सुलभ हुआ और आशा है कि 1972-73 के दौरान यह बढ़कर लगभग 80,000 श्रमदिनों का हो जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य लोगों को अधिकतम सम्भव रोजगार अपने क्रमिक द्वीपों में उपलब्ध करना है। वर्ष 1972-73 के दौरान जो विशेष रोजगार स्कीमें शुरू की जायेंगी उनसे समस्त द्वीप समूह में 113580 श्रमदिनों का रोजगार सुलभ होने की आशा है। प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार की स्कीम के अन्तर्गत, चालू वर्ष के दौरान 20 प्राथमिक स्कूल अध्यापक नियुक्त किये गये हैं। सरकार के अधीन 25 प्रतिशत पद अनुसूचित जन जातियों जिनमें निकोबारी भी शामिल है, के लिए आरक्षित किए गए हैं। चौथी योजना के अन्तिम वर्ष और पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक रोजगार के अवसर सुलभ करने पर बल किया जायेगा।

राष्ट्रीय धातुकार्य प्रयोगशाला जमशेदपुर में एडमीकरण द्वारा अलोह धातु चूर्ण तैयार किया जाना

4147. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में महीन करने की क्रिया द्वारा अलोह धातु चूर्ण को अत्यधिक महीन करने का तरीका निकाला गया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला द्वारा विकास की गई तकनीकी जानकारी में धातु को पिघलाने से लेकर तैयार माल को पैक करने तक की समस्त निर्माण प्रक्रिया शामिल है ;

(ग) क्या अब पूरा संयंत्र और उपकरण देश में ही बनाये जा सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उत्पादन के इस तरीके और संयंत्र के निर्माण आदि से कुछ विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। जानकारी के इंजीनियरी पहलू परामर्शदात्री फर्मों द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

प्रबन्धकों के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के बारे में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध

4148. **श्री पीलू मोदी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने एक नोटिस संख्या जी० एम० एम० 5 (ए) / 1 दिनांक 9 जून, 1972 जारी किया था जिसमें हिन्दुस्तान मशीन

टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के सीधे या संसद सदस्यों के माध्यम से भारत सरकार के मन्त्रियों को कोई अभ्यावेदन भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और कर्मचारियों को धमकी दी गई है कि यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों के लिए इस प्रकार का नोटिस जारी करना कहां तक उचित है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए औचित्य यह है कि निर्धारित माध्यमों की आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम उपयोग किया जाये।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विकासशील देशों के औद्योगीकरण के लिए सहायता

4149. **श्री के० मालन्ना :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विकासशील देशों के औद्योगीकरण के लिए सहायता देने हेतु कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत निश्चित करने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मन्त्रालयों में प्रबन्ध सूचना पद्धति

4150. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रबन्ध सूचना पद्धति निकास सन्तुलित नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस व्यवस्था का उपयुक्त ढ़ग से अध्ययन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). प्रबन्ध सूचना पद्धति अलग-अलग मंत्रालय में उनके कार्यों के स्वरूप और क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न है। नये कार्यों तथा वर्तमान कार्यों के विकास से सम्बद्ध सूचना पद्धति में अनुकूल परिवर्तन आवश्यक है। अत: जब कभी आवश्यक होता है मंत्रालय स्वयं अपनी-अपनी सूचना पद्धतियों का पुनरीक्षण करते हैं। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्रीय मंत्रालयों में प्रबन्ध सूचना पद्धति

का विकास संतुलित नहीं है । प्रशासनिक सुधार विभाग विभिन्न मंत्रालयों में कार्य के विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से सूचना पद्धतियों से सम्बन्धित अध्ययन भी करता है । संगठनात्मक और अथवा प्रक्रियात्मक अध्ययन करते समय विभाग अध्ययन के क्षेत्रों से सम्बद्ध सूचना पद्धतियों की परीक्षा करता है और आवश्यक सिफारिश करता है । इस प्रकार मंत्रालयों में प्रबन्ध सूचना पद्धति का स्पष्ट रूप से पुनरीक्षण निरन्तर आधार पर किया जाता है ।

पोलैण्ड से आयात किए गए इंजन से ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए करार

4151. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम और एस्कार्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, फरीदाबाद के बीच पोलैंड से आयात किये गये इन्जन लगाकर और भारत में निर्मित शेष उपकरणों का प्रयोग करके 35 हार्सपावर के नए ट्रैक्टर तैयार करने का समझौता हुआ है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) बाजार में यह ट्रैक्टर किस मूल्य पर उपलब्ध होगा ; और

(ग) पोलैंड से इंजनों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ! समझौते के अनुसार मेसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड ने उ० प्र०, कृषि औद्योगिक निगम द्वारा पुर्जे जोड़ कर तैयार करने के जिये ट्रैक्टरों के एस० के० डी० पैकों का सम्भारण करने की जिम्मेदारी ली थी। मे० एस्कार्ट्स लिमिटेड को पोलैंड से ट्रैक्टरों (35 अ० श०) के सी के डी पैकों का आयात करने के लिये एक लाइसेन्स स्वीकृत किया गया है। आयातित पैकों में लगभग 70 प्रतिशत तक इन्जनों के हिस्से—पुर्जे सम्मिलित है। पूरे इंजन का आयात नहीं किया जायेगा। मेसर्स एस्कार्ट्स इन सी० के० डी० पैकों को जोड़ेगा और जोड़े गए ट्रैक्टरों का परीक्षण करेगा। इसके पश्चात् वे उनके आधे पुर्जों को अलग-अलग करेंगे और इसी हालत में उ० प्र० कृषि औद्योगिक निगम को भेजेंगे, जो बेचने से पहले उन्हें फिर से जोड़ कर तैयार करेंगे ।

(ख) सरकार ने एस्कार्ट्स ट्रैक्टरों के लिए जो मूल्य अधिसूचित किया है, उसी मूल्य पर ये ट्रैक्टर बेचे जायेंगे ।

(ग) आयातित इंजन के हिस्से पुर्जों का लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य 3,906 रु० प्रति ट्रैक्टर है ।

शराब बनाने के लिए औद्योगिक एककों को प्रति वर्ष दिये गए लाइसेंस

4152. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से अब तक कितने औद्योगिक एककों को शराब बनाने के लिए प्रति वर्ष लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) क्या उनमें कोई आयातित तत्व और विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त था और यदि हां, तो प्रत्येक एककों में कितना-कितना ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पेय शराब बनाने वाले केवल एक एकक मैसर्स रणोडे इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंगलोर को ही लाइसेंसीकृत किया गया है। इसमें उत्पादन हो रहा है। अन्य दो एककों ;

(1) मैसर्स डन्कन गिल्बे एण्ड माथीसन इंडिया लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) तथा

(2) मैसर्स डन्कन गिल्बे एण्ड माथीसन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद को आशयपत्र दिये गये हैं जिन्हें अभी औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया जाना है।

(ख) मैसर्स डन्कन गिल्बे एण्ड माथीसन को अपने हैदराबाद तथा कानपुर स्थित एककों को मैसर्स डन्कन गिल्बे एण्ड माथीसन, लन्दन के साथ विदेशी सहयोग करने की अनुमति दी गई है। तकनीकी जानकारी हेतु 90,000 रुपये की एक मुश्त फीस के आधार पर इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है तथा पांच वर्षों तक उन्हें उत्पादन का कम से कम 20 प्रतिशत निर्यात करना पड़ेगा।

कानपुर वाले एकक के लिए केवल 64,000 रुपये की मशीनरी आयात करने की अनुमति है। इस एकक में सात वर्षों तक वार्षिक 8.01 लाख रुपये मूल्य का कच्चा माल तथा पुर्जे भी आयात करने की आवश्यकता है। हैदराबाद स्थिति एकक के लिये 3.8 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मैसर्स रणोडे इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव में किसी विदेशी सहयोग अथवा मशीनरी के आयात की कोई बात नहीं है। फिर भी, थोड़ी कीमत का कच्चा माल आयात करने की अनुमति उन्हें अपनी हकधरी के अनुसार दे दी गई है।

Percentage of rural population spending only 50 paise per head per day

4153. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether 38.03 per cent of the rural population spent only 50 paisy per head per day in the year 1960-61 ;

(b) whether the percentage of this population rose to 73.24 in the year 1967-68 ; and

(c) if so, the percentage thereof on Ist September, 1969 and the estimated number in 1971 ?

The Primc Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) During 1960-61, 38.03 percent of the rural population spent 50 paise or less per head per day.

(b) According to the preliminary estimate the percentage of rural population spending 50 paise or less per day per head during 1967-68 was 9.79 percent and not 73.24 percent.

During this year 73.24 percent of the rural population spent Rs, 1.29 or less per day per head.

(c) While estimating the consumer expenditure per day the entire period of the year is taken into account and it does not pertain to any particular date. As such the percentage of the rural population spending a given amount on a particular day is available. The data collected during 1970-71 are under processing.

खादी भवनों और भण्डारों में तुलना

4155. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्राम और उद्योग आयोग द्वारा बड़े नगरों में विभागीय रूप से संचालित खादी भवनों और खादी भण्डारों के बारे में धन और मंजूरी के सम्बन्ध में कोई तुलना की गई है ; और

(ख) क्या आयोग के धन की सुरक्षा के सम्बन्ध में विभागीय एककों की तुलना में इस संस्था का कार्य उत्साहजनक नहीं है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुटीर उद्योगों के विस्तार के लिए प्रयत्न

4156. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माचिस उद्योग, दालों और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग जैसे कुटीर उद्योगों के विस्तार-संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के विस्तार के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । चुने हुए क्षेत्रों में सर्वेक्षण किये गये हैं ।

(ख) आयोग, स्वीकृत विधि के अनुसार इन उद्योगों का विकास करने वाली एजेंसियों को वित्तीय, तकनीकी तथा प्रोत्साहनात्मक सहायता देता है ; उत्पादिता तथा कारीगरों की आमदनी बढ़ाने के लिये उन्नत किस्म के उपकरण (हाथ तथा बिजली से चलाये जाने वाले) प्रयोग में लाये जाते हैं ; कभी-कभी दुर्लभ कच्चे माल की सप्लाई करने में भी सहायता दी जाती है ।

बिहार भूमि सुधार (संशोधन) भूमि अधिकतम सीमा कम करने सम्बन्धी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

4157. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधान सभा द्वारा अधिनियम बिहार भूमि सुधार (संशोधन) भूमि अधिकतम सीमा कम करने सम्बन्धी विधेयक तथा भूमि को धोखाधड़ी से हस्तान्तरित करने से रोकने के लिए अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपरोक्त विधानों को कब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जाएगी तथा किस रूप में दी जायेगी और इसको अविलम्ब कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) बिहार सम्पत्ति सीमा निर्धारण (हस्तान्तरण पर अस्थाई रोक) अध्यादेश, 1972, जिसमें कृषि-भूमि तथा शहरी सम्पत्ति का हस्तान्तरण रोकने की व्यवस्था है, को उद्घोषित करने के लिए सितम्बर, 1972 में अनुमति दी गई थी। बिहार भूमि सुधार (क्षेत्र सीमा निर्धारण तथा अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1972 अभी प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श में विचाराधीन है।

जनजाति क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना तथा उनका विस्तार

4158. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना और उनके विस्तार के लिए अब तक कितना धन आवंटित किया गया है तथा इस कार्य में तेजी लाने के लिए कितना धन व्यय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्रा (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मध्य प्रदेश में ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 537 लाख रु० के परिव्यय में से वर्ष 1971-72 की अवधि में खर्च 200 लाख रुपये हुए। राज्य के जनजाति क्षेत्र के लिये अलग से कोई धनराशि नियत नहीं की गई है।

बिजली की कमी के कारण फरीदाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली में लघु उद्योगों का बन्द होना

4159. **श्री राम भगत पासवान :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली में अनेक लघु उद्योग बिजली की कमी के कारण बन्द हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाएगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) फरीदाबाद और दिल्ली में बिजली की कमी के कारण कोई भी लघु एकक बन्द नहीं हुआ है। गाजियाबाद के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विधान सभा के स्थगन के सम्बंध में सलाह देने का तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

4160. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने 13 नवम्बर, 1972 को राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा विधान सभा को हठात स्थगित करने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र से सलाह मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Small Car Project

4161. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Shyamnnadan Mishra :

Will the Minister df Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :

(a) whether the small car project under the public sector has been postponed by Government ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) . The Planning Commision are currently examining the question of the relative costs and benefits to the economy of public transport *viz-a-viz* passenger cars. A final decision on the proposed public sector small car project will be taken after this examination is completed.

ट्राम्बे और तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्रों मे देशी कलपुर्जे

4162. **श्री बी० बी० नायक** : क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे स्थित प्रथम परमाणु ऊर्जा केन्द्र में कौन से देशी कलपुर्जे लगाए गए हैं ; और

(ख) तमिलनाडु में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा केन्द्र में कौन से देशी कलपुर्जे लगाए जाएंगे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ट्राम्बे में कोई परमाणु बिजलीघर नहीं है। वहां स्थापित किये गए रिएक्टरों को पूर्णतः वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए काम में लाया जाता है।

(ख) तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम नामक स्थान पर बनाये जा रहे परमाणु बिजलीघर में लगने वाली लगभग 80%सामग्री देशी होगी ।

बंगलौर स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में साम्प्रदायिक दंगे

4163 **श्री वो० वी० नायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन घटनाओं की जांच की गई थी ;

(ग क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री के कर्मचारियों के राजनैतिक दल इसके लिए उत्तरदायी हैं और यदि हां, तो उन राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की फैक्ट्री के अहाते के भीतर कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ । फिर भी कारखाने के अहाते के बाहर कुछ झगड़ों की सूचना मिली थी और इन पर राज्य सरकार के सामान्य शासन-तंत्र द्वारा कार्यवाही की गई थी ।

(ख) प्रबन्ध-मण्डल ने पुलिस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

(ग) आई० टी० आई० लिमिटेड ने इन झगड़ों में किसी राजनैतिक पार्टी के हाथ होने की सूचना नहीं दी है ।

(घ) कम्पनी के प्रबन्धक मण्डल से प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताई गई कार्यवाही के अलावा कोई और कार्यवाही की अपेक्षा नहीं थी ।

तकनीकी ज्ञान की कमी से प्रभावित मशीनरी की किस्में

4164. **श्री राजदेव सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस प्रकार की मशीनरी के निर्माण पर तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : उन क्षेत्रों का पता करना जिनमें प्रौद्योगिकी की कमी के कारण उत्पादन में गिरावट आई है कठिन है। फिर भी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के अन्तरालों का पता राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा गठित एक पेनल द्वारा लगाया जा रहा है । तथा उन्हें पूरा करने सम्बन्धी एक तकनीकी योजना निर्णय की अन्तिम प्रक्रिया में हैं ।

डाक तथा तार विभाग में गैर-विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई अपील

4166. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के गैर-विभागीय कर्मचारियों ने सरकार को एक अपील प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) विभागेतर एजेंटों की सेवा की शर्तों के समूचे प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

वातानुकूलन यंत्रों और प्रशीतकों का उत्पादन

4167. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वातानुकूल यंत्रों और प्रशीतकों का कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : गत तीन वर्षों में एयर कंडीशनरों और रेफ्रीजरेटरों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है ;

उद्योग	गणना की इकाई	उत्पादन		
		1969	1970	1971
1. रूम एयर कंडीशनर	हजार में	12.9	17.0	22.2
2. घरेलू रेफ्रीजरेटर	हजार में	48.6	65.4	87.1

योजना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4168. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**
श्री डी० एन० सिंह :

क्या **योजना** मन्त्री राज्य स्तर पर योजना तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के बारे में 22 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्तर पर योजना तन्त्र के किसी आदर्श ढांचे का सुझाव दिया गया है ; और यदि हां, तो सुझाये गये आदर्श ढांचे की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जैसा कि दिनांक 22 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर में बताया जा चुका है, योजना आयोग ने आयोजन

तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को मोटे मार्गदर्शक सिद्धान्त भेजे हैं। इसके अलावा, किसी अन्य मानक का सुझाव नहीं दिया गया है।

आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम

4169. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम, नेहरू हाउस, 4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1 के मूल शेयरधारी कौन-कौन हैं ;

(ख) क्या यह फर्म अमरीका की विशाल दूर-संचार फर्म, आई० टी० टी० से किसी प्रकार सम्बन्धित है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या अमरीकी पत्रकार, जैक एण्डरसन ने अपने एक लेख में लेटिन अमरीका में कुछ कथित कौतुकपूर्ण कार्यों में आई० टी० टी० और सी० आई० ए० के सम्बन्धों का रहस्योद्‌घाटन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अधीन दी गई परिभाषा के अनुसार आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम और आई० टी० टी० फार ईस्ट पैसिफिक इन्क०, दो विदेशी कम्पनियां हैं, जो भारत में कार्य कर रही हैं। ये कम्पनियां अमेरिका में संस्थापित हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन उनके लिए अपने शेयरधारियों के बारे में कोई सूचना देना अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार को अमेरिकन प्रेस में सी० आइ० ए० और आई० टी० टी० के बीच संबंधों के हाल के रहस्योदघाटन की जानकारी है और इस पर उचित ध्यान दिया गया है।

बालयोगेश्वर के मामले की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच

4170. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालयोगेश्वर से सम्बन्धित फाइलें और मामले का ब्यौरा प्रधान मन्त्री को सौंप दिया गया है ;

(ख) क्या इस मामले को आगे जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस ब्यूरो द्वारा जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी ; और

(घ) क्या ब्यूरो के निर्देश-पदों में सम्पूर्ण 'डिवाइन लाइट' की गतिविधियों की जांच

करना भी शामिल है जिसमें इसके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप और अमरीकी गुप्तचर एजेंसी के कथित सम्बन्ध भी शामिल हैं ?

गृह मंत्रालय उपमंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन) : (क) से (घ) में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो इस समय बालयोगेश्वर के मामले में कोई जाँच नहीं कर रहा है । अतारांकित प्रश्न संख्या 4224 दिनाँक 13 दिसम्बर 1972 को दिए गए उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

इकनामिक्स टाइम्स में 'आफिशियल क्लेम्स में वी बिलाइड नीयर जीरो ग्रोथ' के अन्तर्गत छपा लेख

4171. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 अक्तूबर, 1972 इकनामिक टाइम्स बम्बई में के 'आफिशियल क्लेम्स में वी बिलाइड नीयर जीरो ग्रोथ शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 1972-73 की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में औपचारिक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । अतः इस समय वर्ष की वृद्धि दर बताना संभव नहीं है ।

लेख में 1991-72 की जो औद्योगिक विकास दर दर्शायी गई वह 1971-72 की उपलब्ध दर से कम है । वर्तमान संकेतों के आधार पर 1972-73 में औद्योगिक उत्पादन और भी अधिक होने की सम्भावना है परन्तु कृषि उत्पादन काफी कम ।

Telephones at Panchayat of Udaipur District, Rajasthan

4172. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the name of the places and panchayat centres in the Udaipur District of Rajasthan where permission for the installation of telephones has been given ; and

(b) the time by which Government would be able to instal telephones at Panchayat Centres in the District not so far provided with telephones ?

The Minister of Communications (Shri H. S. Bahuguna) : (a) & (b). Out of eighteen Panchayat Samities in Udaipur District, telephone facilities have been provided in all except one *viz*. Girwa. A proposal to provide telephone facilities at Girwa is under examination.

Proposal for providing Public Call office at Mirpur in Udaipur District is also sanctioned and the facility will be provided within six months.

जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण

4173. **श्री नारायण चंद पाराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंकि कि :

(क) भारत का जनगणना 1971 में राज्यवार कितने व्यक्तियों ने निम्न भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया है ;

(1) अरबी	(11) कोणकणी	(20) पंजाबी
(2) असमिया	(12) मैथिली	(21) फारसी
(3) बंगला	(13) मलयालम	(22) पुर्तगाली
(4) डोगरी	(14) मणिपुर	(23) राजस्थानी
(5) अंग्रेजी	(15) मराठी	(24) संस्कृत
(6) फ्रांसीसी	(16) नेपाली	(25) सिंधी
(7) गुजराती	(17) उड़िया	(26) तमिल
(8) हिन्दी	(18) पहाड़ी	(27) तेलगू
(9) कन्नड़	(19) पाली	(28) तिब्बती
(10) काश्मीरी		(29) उर्दू

(ख) भारत के लोगों ने अपनी मातृभाषा के रूप में कुल कितनी भाषाओं और बोलियों को दर्ज कराया है ; और

(ग) भारत में कौन-कौन सी आदिवासी, आस्ट्रो एशियाई और चीनी-तिब्बती बोलियां बोली जाती हैं और इन्हें बोलने वालों की संख्या कितनी-कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित 29 मातृभाषाओं में से 27 के बोलने वालों की संख्या, जिनके बारे में अखिल भारतीय स्तर पर ही अस्थायी आधार पर आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं, संलग्न विवरण I में दी जाती हैं। सविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित 15 भाषाओं के अतिरिक्त राज्य वार आंकड़ों के संकलन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तथा प्रकाशित किया जाना है। विवरण II में ब्यौरे दिये गए हैं। [**ग्रथालय में रखे गए/देखिए** संख्या एल० टी० 4013/72]

(ख) 1971 के जनगणना में दर्ज कराई गई संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण मातृभाषाओं जिनके बोलने वालों की न्यूनतम संख्या 5,000 है के अस्थाई आंकड़े विवरण III में दिये जाते हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया/देखिए** संख्या एल० टी० 4013/72] अन्य मातृभाषाओं से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है .

(ग) 1971 की जनगणना में दर्ज कराई गई मातृभाषाओं का अभी वर्गीकरण किया जाना है।

ग्राई० टी० ग्राई०, बंगलौर में हड़ताल के कारण श्रम घन्टों की हानि

4174. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में ग्राई० टी० ग्राई०, बंगलौर में हड़ताल के कारण कुल कितने श्रम घन्टों की हानि हुई ; और

(ख) हड़ताल के कारण ग्राई० टी० ग्राई० को कितनी राशि का घाटा हुआ ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में वर्ष, 1971 के दौरान कोई हड़ताल नहीं हुई, फिर भी, जून, 1971 के कुछ ग्रनुभागों के कुछ कामगरों द्वारा कहीं-कहीं काम बन्द कर दिया गया था। इसके कारण लगभग 35,227 श्रम-घण्टों की हानि हुई। इस घाटे को कामगरों द्वारा ग्रक्तूबर, 1971 के दौरान रविवार के दिन ग्रतिरिक्त काम करके कुल हदतक पूरा किया गया था। घाटे की रकम ललभग 4.5 लाख रुपये थी।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग

4175. **श्री समर गुह** :
डा० रानेन सेन :

क्या **ग्रौद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में हाल ही में ग्रायोजित वाणिज्य मण्डल की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गए उस वक्तव्य की ग्रोर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में ग्रौद्योगिक संस्थानों की ग्रप्रयुक्त ग्रन्तर्निहित क्षमताओं का तेजी से उपयोग करने का ग्रनुरोध किया था चाहे उसका ग्रर्थ तथाकथित स्वाधिकार गृहों का विस्तार करना ही क्यों न हो ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल के ग्रौद्योगिक विकास के संदर्भ में एकाधिकार गृहों की समस्या की ओर निर्देश किया था।

(ख) और (ग) . सरकार की समय नीति औद्योगिक वृद्धि की ग्रावश्यकता को ध्यान में रखकर हमारे सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप आर्थिक-संक्रेन्द्रण का निराकरण करते हुये होगी।

'दुर्गा पूजा' पर वृत्त चित्र

4176. **श्री समर गुह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन अथवा टेलीविजन यूनिट ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर कलकत्ता में हुई सजावट के भव्य दृश्य तथा जनसाधारण की प्रसन्नता पर कोई वृत्त चित्र बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया तथा वे किस प्रकार के हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) कलकत्ता में हुए दुर्गापूजा समारोह न्यूज कास्टों तथा टेलीविजन पर फिल्म पत्रिका कार्यक्रमों, 'देशविदेश' और' वातायन' में कवर किये गये थे तथा भारतीय समाचार चित्र (संख्या 1254 तथा 1257) में भी शामिल किये गये थे।

प्रशासनिक पद्धति में सुधार करना

4177. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय प्रशासनिक पद्धति में क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) प्रशासनिक पद्धति में सुधार करने के लिए इस दिशा में और क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और आर्थिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने जिसका जनवरी 1966 में प्रशासनिक प्रणाली की पूर्ण-रूप से जांच करने के लिए स्थापित किया गया था प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों पर सरकार को 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। सिफारिशों के केन्द्र तथा राज्य दोनों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन समेत अनेक विषय को समाहित किया गया है। केन्द्र से सम्बन्धित 527 सिफारिशों में से 375 पर निर्णय किया गया है और इनमें से 336 (89 प्रतिशत) को संशोधन अथवा बिना संशोधन के स्वीकृत किया गया है। इनका ब्यौरा क्रमशः 31-7-70 व 17-11-71 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। स्वीकृति सिफारिशें कार्यन्वयन के विभिन्न स्तरों पर है और इस प्रकार इन परिवर्तनों के द्वारा प्राप्त परिणामों का विश्वासनीय मूल्यांकन कर सकने में कुछ समय लगेगा।

जब कभी मंत्रालय अपने संगठन तथा प्रणालियों में परिवर्नन करते हैं तो ये परिवर्तन और उनके परिणाम उनकी वार्षिक रिपोर्टों में समाविष्ट किए जाते हैं जिनको सदन में माननीय सदस्यों को भी परिचालित किया जाता है।

(ग) प्रशासनिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी गतिविधि के स्वरूप तथा क्षेत्र में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तदनुसार प्रशासक प्रणाली की उपयुक्त रूप से सुव्यवस्थित करके प्रशस्त प्रशासनिक क्षमता बनाने के लिऐ निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रशासन प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग एक मुख्य संबंधित एजन्सी है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः मंत्रालयों में उनसे सम्बन्धित कार्यों को अध्ययन करने के लिए अपने आन्तरिक कार्य अध्ययन अथवा संगठन तथा कार्यप्रणाली एकक हैं। ये एकक प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ निकट सम्पर्क रख कर कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग तथा वित्त मंत्रालय के क्रमशः कार्मिक प्रशासन और वित्तीय प्रशासन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबन्ध में सुधार के लिये अपने विशेष उत्तरदायित्व है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुभाग अधिकारियों के कोटा का भरा जाना

4178. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अनुसूचित जनजातियों के अनुभाग अधिकारियों के बारे में 23 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षित कोटे को भरने के लिए अनुसूचित जातियों के उन अभ्यार्थियों को कब तक बुलाया जायेगा जिन्होंने हाल ही में अनुभाग अधिकारियों के लिए आयोजित खुली परीक्षा उत्तीर्ण की थी ; और

(ख) अनुभाग अधिकारियों के लिए वर्तमान पैनल में सीधी भरती से कब तक नियुक्ति की जाएगी।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अनुसूचित जाती के अभ्यार्थियों में से एक को अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, जिसने अनुभाग अधिकारी की खुली परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विभिन्न प्रशासनिक स्तरों में निश्चलता आ जाने के परिणामस्वरूप अनुभाग अधिकारियों की अग्रिम भर्ती खुले बाजार से दो साल के लिये बन्द कर दी गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती के अनुभाग-अधिकारियों का पैनल अब परिचालित नहीं है।

पत्र-बमों का पता लगाने के लिए धातु डिटेक्टर

4179. **श्री के० लकप्पा** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग में काम में लाए जाने वाले धातु डिटेक्टरों की किस्म

के डिटेक्टर उन पत्र-बमों का पता लगाने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जो नवम्बर, 1972 के पहले और दूसरे सप्ताह में भारत से समुद्र-पार के देशों को भेजे गए थे ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में और कौन से उपाय किए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने एक मेटल डिटेक्टर का डिजाइन तैयार करके उसे विकसित किया है। यह डिटेक्टर तारीख 15-11-1972 को पहली बार प्रयोग में लाया गया था। यदि लिफाफों, पैकेटों आदि के अन्दर धातु की कोई वस्तुएं रखी होती है तो यह यंत्र उन्हें पकड़ लेता है। नाजुक जगहों पर मेटल डिटेक्टर प्रयोग में लाने के अलावा देश के सभी डाकघरों को इस बारे में सावधान कर दिया गया है और उन्हें ऐसी उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वे विस्फोट विशेषज्ञों द्वारा बताए गए ढंग से डाक की बारीकी से छान-बीन करें।

Irregularities in Selection of Lineman at Agra Centre

4180. **Shri Mahadeepak Singh Sakhya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether irregularities were committed in the selection of Telegraph Linemen at Agra Centre of Agra Division held on the 2nd, 3rd and 4th November, 1972 ;

(b) whether many complaints in this regard have already been submitted to his Ministry :

(c) the number of candidates alongwith their qualifications who appeared for the selection and the number of candidates selected and their qualification ; and

(d) the reaction of his Ministry to the complaints submitted in this regard?

The Minister of Communication (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (d). Complaints were received about alleged malpractices in the recruitment examination for linemen held by the Divisional Engineer Telegraphs, Agra, in November, 1972, Preliminary enquiries revealed that the Divisional Engineer Telegraphs had not followed the prescribed rules. The examination has, therefore, been held null and void.

On completion of enquiries appropriate action will be taken against the persons found responsible.

M. Ps. Communications regarding Wrong Telephone Bills

4181. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a number of communications have been sent by Members of Parliament regarding wrong bills of Telephones ; and

(b) if so, the number of communications received and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) 72 complaints from Members of Parliament have been received in Delhi Telephones in connection with excess bills from April to November, 1972.

Out of these complaints 51 cases were rejected as no rebate was justified. Rebate was allowed in 17 cases. Four cases are still under investigation.

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा पुराने किस्म के टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

4183. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज पुराने किस्म के टेलीफोन उपकरणों का निर्माण कर रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या देश में आधुनिक टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिए विदेशी तकनीकी सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) टेलीफोन उपकरणों और पारेषण उपस्कर के अलावा इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 'स्ट्रोजर टाइप' और 'क्रासवार टाइप के टेलीफोन स्विच उपकरण का निर्माण कर रही है। विश्व का वर्तमान झुकाव 'क्रासवार टाइप' के उपकरण की ओर है और इससे स्वचालित उपभोक्ता ट्रंक डायल के लिए अधिक सुविधाएं सुलभ होती हैं।

(ख) भारत सरकार और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने 21-5-1964 को दो करारों पर हस्ताक्षर किए थे जिनमें से (एक) क्राम वार उपस्कर के निर्माण के लिए पूंजी निवेश, ऋण तथा लाइसेंस के लिए न्यूयार्क की इण्टर नेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन के साथ और (दो) भारत में क्रासवार स्विचिंग उपस्कर के निर्माण के लिए, बैल्जियम की बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के साथ किया गया था। मूल रूप में ये करार 20-5- 971 तक विधिमान्य थे। बाद में इन करारों को 20-5-1973 तक के लिए बढ़ा दिया गया है बढ़ाई की गई इस अवधि के लिए स्वामिस्व की अदायगी नहीं की जायेगी।

आकाशवाणी के सहायक स्टेशनों का दर्जा बढ़ाना

4184. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश को आकाशवाणी के प्रसारणों के अन्तर्गत लाने के लिए आकाशवाणी के सभी सहायक स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गए निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान 20 सहायक केन्द्र प्रतिदिन तीनों ट्रांसमिशनों के कार्यक्रम रिले करेंगे और 90 मिनट के स्थानीय कार्यक्रम भी मूल रूप से प्रसारित करेंगे।

(ग) उम्मीद है योजना 1973 के अन्त से पूर्व पूर्णतया कार्यान्वित हो जायेगी।

टेलीविजन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता का मूल्यांकन

4185. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जन प्रचार संस्थान ने टेलीविजन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप टेलीविजन के कार्यक्रमों में कोई सुधार लाया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) टेलीविजन समाचारों के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए भारतीय जन सम्पर्क संस्थान द्वारा 2 सर्वेक्षण किए गये हैं।

(ख) सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) कार्यक्रमों का सुधार एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के श्रोता अनुसंधान स्कन्ध द्वारा किए गए साधारण सर्वेक्षणों, केन्द्र को प्राप्त श्रोताओं के पत्रों और भारतीय जन सम्पर्क संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की भाँति अन्य सर्वेक्षण रिपोर्टों को टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रमों के ढांचे और स्वरूप में सुधार लाने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

भारतीय जन सम्पर्क संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कर्ष।

सर्वेक्षण से पता चला कि उत्तर देने वालों में से 85 प्रतिशत व्यक्ति टेलीविजन समाचारों को देखते हैं। 49 प्रतिशत दर्शक हिन्दी टेलीविजन समाचार और 40 प्रतिशत दर्शक अंग्रेजी टेलीविजन समाचार नियमित रूप से देखते हैं। उत्तर देने वालों में से 45 प्रतिशत व्यक्ति टेलीविजन समाचारों को देखते हैं और अंग्रेजी या हिन्दी के रात्रि रेडियो बुलेटिन भी सुनते हैं। उत्तर देने वालों में से 31 प्रतिशत संख्या ऐसे दर्शकों की है जो प्रायः 'समाचार समीक्षा' देखते हैं और इतने ही दर्शक 'आजकल भी देखते हैं। उत्तर देने वालों में 40 प्रतिशत लोग टेलीविजन पर सामयिक विषयों संबंधी चर्चाओं के नियमित दर्शक हैं।

2. उत्तर देने वाले 56 प्रतिशत व्यक्तियों का विचार था कि रेडियो बुलेटिनों की तुलना में टेलीविजन पर अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार कम दिए जाते हैं। अधिकांश दर्शकों

का विचार था कि दिल्ली टेलीविजन द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र की घटनाएं दिल्ली में होने वाली घटनाओं को छोड़कर पर्याप्त रूप से कवर नहीं की जातीं ।

3. उत्तर देने वाले 90 प्रतिशत व्यक्तियों का विचार था कि टेलीविजन के मामले में दृश्यों को छोड़कर, टेलीविजन और रेडियो बुलेटिन में कोई अन्तर नहीं है । 45 प्रतिशत दर्शकों ने विचार व्यक्त किया कि दृश्य अपर्याप्त है और टेलीविजन पर और अधिक व्यापक दृश्य दिखाए जाने चाहिए । लगभग 40 प्रतिशत दर्शकों का मत था कि दृश्य प्रासंगिक नहीं होते अथवा प्रासंगिक दृश्य दिखाए नही जाते ।

4. काफी दर्शकों ने विचार व्यक्त किया कि 'समाचार समीक्षा' और 'आजकल' के लिए चुने जाने वाले विषय उपयुक्त होते हैं लेकिन इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए चुने जाने वाले अच्छे होने चाहिए । कुछ दर्शकों का विचार था कि 'आजकल' और 'समाचार समीक्षा' की तरह अंग्रेजी में और कार्यक्रम होने चाहिए ।

5. एक अच्छी संख्या में दर्शकों ने बताया कि राजनैतिक समाचारों पर अत्यधित बल दिया जाता है । उन्होंने सुझाव दिया कि सामुदायिक समाचार अधिक दिए जाने चाहिए ।

6. समाचार पढ़े जाने के बारे में आमतौर पर सन्तोष व्यक्त दिया गया लेकिन दृश्यों की अपर्याप्तता के कारण पर्दे पर अधिकांश समय तक जो कुछ देखा जाता है, वह है समाचार-वक्ता का प्रतिबिम्ब, जिसे कुछ लोगों के विचार में सम्बन्धित दृश्यों द्वारा कम किया जाना चाहिए । कुछ दर्शकों ने सुझाव दिया कि समाचार वक्ता को हर समय स्क्रिप्ट पर नीचे देखने की बजाय दर्शकों की ओर देखना चाहिए ।

7. अंग्रेजी समाचारों के समय को छोड़कर जिन्हें कुछ दर्शकों के अनुसार 9 बजे प्रसारित किया जाना चाहिए, अन्य समय उपयुक्त पाए गए ।

8. एक अन्य सुझाव यह था कि आर्थिक और सांस्कृतिक समाचार अधिक दिए जाने चाहिए ।

यात्री कारों और व्यापारिक वाहनों का उत्पादन

4186. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अनुमान के अनुसार समूची पांचवी योजना की अवधि में यात्री कारों और व्यापारिक वाहनों की सप्लाई कम रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरी करने के लिए इन वाहनों की सप्लाई में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) योजना आयोग ने अभी तक पांचवीं योजना के अनुमान और कार्यक्रम पर अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के विचार से सरकार ने पूर्णतः देशी नमूने पर आधारित कारें बनाने के लिये अनेक योजनाएं स्वीकृत की हैं। सरकार ने वाणिज्यिक गाडियों के वर्तमान तीन निर्माताओं को अपने उत्पादन को प्रतिवर्ष 24,600 संख्या की अतिरिक्त क्षमता तक बढ़ाने की भी स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त, चार नए एककों को 54,000 संख्या प्रतिवर्ष की कुल क्षमता के लिये आशय पत्र दिये गये हैं।

अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश तथा बिहार को वित्तीय सहायता

4187. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की शेष अवधि में उत्तर प्रदेश और बिहार के अल्प-विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए क्या काफी वित्तीय सहायता दिए जाने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) क्या दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की गई है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों की योजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता का जो सूत्र निर्धारित किया गया है उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश तथा बिहार को क्रमशः 109.12 करोड़ रुपए तथा 77.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके लिए इन दोनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है, पर ध्यान दिया गया। साथ ही, केन्द्रीय सहायता के इसी सूत्र के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर असम तथा नागालैंड राज्यों के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् उपलब्ध कुल केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत भाग विशेष समस्याओं वाले राज्यों के लिए अलग रखा गया है। इस आधार पर भी उत्तर प्रदेश को 25 करोड़ रुपये तथा बिहार को 9 करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

1962 में योजना आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल (टीम) नियुक्त किया जिसका उद्देश्य था—(क) आर्थिक-सामाजिक दशाओं तथा विकास की समस्याओं का अध्ययन करना, (ख) दो योजनाओं के दौरान हुई प्रगति का तथा तीसरी योजना में परिकल्पित विकास का मूल्यांकन करना तथा (ग) इन जिलों में प्रगति बढ़ाने के लिए प्रशासन एवं विकास सम्बन्धी उपाय सुझाना।

अध्ययन दल ने जनवरी, 1964 में अपनी रिपोर्ट दे दी। दल ने उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन के लिए इन चार जिलों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु एक नीति का सुझाव दिया। इसने इन चार जिलों की तीसरी योजना अवधि के दौरान वित्तीय आवश्यकता 10.49 करोड़ रुपए आंकी।

2. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के विकास के लिए योजना आयोग में गठित निर्देशन समिति के कहने पर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में हाल ही में निम्नलिखित सर्वेक्षण प्रारम्भ किए गए हैं :—

(क) कार्यशील जोतों का नमूना सर्वेक्षण ;

(ख) खाद्य फसलों का फसल प्राक्कलन सर्वेक्षण ;

(ग) फलों के अन्तर्गत क्षेत्र का तथा उनके उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण ; तथा

(घ) फलों की उत्पादन लागत तथा विपणन का अनुमान।

ये सर्वेक्षण अभी चालू हैं।

3. मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद् की सिफारिश पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की हाल ही में गठित संयुक्त समन्वय समिति के कहने पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिट्टी तथा भूमि-संसाधन सर्वेक्षण प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। संयुक्त समन्वय समिति द्वारा इन सर्वेक्षणों का ब्यौरा किया जा रहा है।

4. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्रों के विकास के लिए बिहार सरकार ने एक अलग मसौदा दृष्टिकोण निर्धारित किया है।

5. अनौपचारिक परामर्शों के साथ-साथ इन दोनों राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रश्न भी प्रत्येक वर्ष अधिकारियों तथा मुख्य मंत्रियों और दोनों राज्यों के अन्य मंत्रियों के साथ वार्षिक योजना के सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श आयोजित किए जाते हैं, उनमें उठाया जाता है और अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के ही अन्तर्गत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में समुचित व्यय-व्यवस्था की जाती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की मास्को की यात्रा

4188. **श्री राज सिंह देव :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में मास्को की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य से ?

औद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यात्रा, व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी भारत-रूस समझौते पर वार्ता तथा हस्ताक्षर करने के लिए सोवियत संघ के आमन्त्रण पर की गई थी।

न केवल ऐसे एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं बल्कि मन्त्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिध-मण्डल और सोवियत पक्ष के परवर्ती विचार-विमर्श में 1973-74 के लिए सहायक परियोजनाओं का एक ठोस कार्यक्रम भी बनाया गया है।

Licences Issued to New Units for Manufacturing TV Sets

4189. **Shri Hari Singh : Will the Prime Minister be pleased to state :**

(a) whether licences have been issued to the new units for manufacturing television sets ;

(b) if so, the names of the persons/units who have been issued licences and the places where these uuits have been set up ;

(c) the time by which television sets are likely to be produced in these units ; and

(d) the percetage by which existing price of television set is likely to be reduced as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Yes Sir ; three industrial licences for the manufacture of television (sets (in theorganised sector) have been granted to new units over the period from May 1971 to July 1972 for a capacity of 35,000 TV sets; a large number of cases for production of TV sets in the small scale sector have also been cleared; and the total approved capacity in the small scale and the organised (private and public) sectors is over 2.8 lak h TV sets per annum.

(b) The names of the three new units (licensed in the organized sector) the annual capacities and the locations are given below :—

Sr. No.	Name of the Licensee.	Annual Capacity	Location
1.	M/s. John Prasad, Madras.	10,000	Jammu & Kashmir.
2.	M/s. Electronics Corporation of India Ltd. Hyderabad. (A Government of India Undertaking)	20,000	Andhra Pradesh.
3.	M/s. Radio and Electricals Manufacturing Co. Ltd. Bangalore.	5,000	Mysore.

(c) One unit has already gone into production ; the other two are expected to go into production during 1973.

(d) Approvals have been given to a large number of parties and with the increased production of TV sets it is hoped the supply will be adequate in relation to the demand and there will be sufficient commercial competition which will bring down the prices. it is, however, difficult to anticipate the percentage by which the prices will come down as that would depend on many factors including the market conditions. There is no price control on this item by Government.

Other important steps being implemented in order to bring down the prices of TV sets are given below :—

(i) Gradual reduction in the prices of electronic components by setting up large volume production; components account for a substantial portion of the cost of TV sets; in particular, Government is considering ways of bringing down the price of the TV picture tube which is the largest single item;

(ii) production of transistorised TV sets;

(iii) through the introduction of TV sets with small screens; there are technical marketing aspects relating to small TV tubes/screens which are under examination and decision will be taken shortly.

ग्रावश्यक वस्तुग्रों की वितरण व्यवस्था में त्रुटियां

4190. **श्री वयालार रवि** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रावश्यक वस्तुग्रों की वितरण-व्यवस्था में सरकार ने कोई त्रुटियां देखी हैं ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जी, हां । देश में आवश्यक वस्तुग्रों की वितरण प्रणाली में कमियाँ हैं, सरकार को इस बात की जानकारी है । कुछेक राज्यों को छोडकर, उचित मूल्य की दूकानें नहीं हैं । उचित मूल्य की दूकानों के काम करने के ढंग में भी संचालनात्मक कमियां हैं ।

(ख) ग्रावश्यक वस्तुग्रों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों में निहित है । केन्द्र ने राज्यों से ग्रनुरोध किया है कि उसे युक्ति संगत बनाये, विस्तार करे तथा संचालनात्मक कुशलता में सुधार करे । अन्य जो उपाय अपनाएं जा रहे हैं वे समुचित वितरण प्रणाली के ग्रंश के रूप में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के गतिशील करने तथा पुन: सक्रिय करने से सम्बंधित हैं ।

प्रत्येक पंच-वर्षीय योजना में खेती-बाड़ी करने वाले लोगों की संख्या

4191. **श्री दिग्विजय नारायण सिंह** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन योजनाग्रों में से प्रत्येक योजना के ग्रन्त में कृषि में लगी जन संख्या का अनुपात क्या था ; ग्रौर

(ख) चौथी योजना के अन्त में इस अनुपात में कितना परिवर्तन होने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विभिन्न योजना अवधियों के अन्त में खेती-बाड़ी करने वाले वाले लोगों की जनसंख्या के अनुपात का अनुमान लगाने के लिए जनगणना या सर्वेक्षण नहीं किया गया। जनगणना आयुक्त द्वारा तैयार किए गये भारती जन-गणना का आर्थिक वर्गीकरण से विदित होता है कि इनका प्रतिशत 1961 है 69.49 तथा 1971 में 68.93 था।

(ख) चौथी योजना के अन्त में कितना परिवर्तन होने की सम्भावना है इसके ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। यह परिवर्तन नाममात्र का होने की सम्भावना है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में उत्पादन

4192. **डा० कर्णी सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड में गत तीन वर्षों में, वर्ष वार कुल तैयार उत्पादन कितना हुआ ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड का कुल तैयार माल की निपज गत तीन वर्षों में अर्थात् वर्ष 1969-1970 से 1971-72 तक वर्षवार इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल तैयार माल की निपज
	(लाख रुपये में)
1969-70	1735
1970-71	2758
1971-72	3465

1972 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रत्याशित मांग

4193. **डा० कर्णी सिंह :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 के अन्त तक कितने टेलीफोन कनेक्शनों की मांग होगी तथा आई० टी० आई बंगलौर द्वारा कितनी मांग को पूरे किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आई० टी० आई० बंगलौर के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : आशा है कि 1972 के अन्त में 4 लाख 50 हजार टेलीफोन कनेक्शनों की मांग बाकी रह जाएगी। मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और दूर संचार फैक्टरियों से जो साज-सामान मिलेगा और एक्सचेंजों की जो मौजूदा क्षमता है, उससे ऐसी आशा की जाती है कि 1972-73 के दौरान 1 लाख 20 हजार टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

(ख) सरकार का प्रस्ताव है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर के निर्माण के लिए रायबरेली में एक दूसरी फैक्टरी स्थापित कर दी जाए। इस बीच में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की वर्तमान उत्पादन क्षमता भी यथासम्भव बढ़ाई जा रही है।

राज्य वित्त निगमों द्वारा लघु एककों को ऋण देना

4194. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री प्रभु दास पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य वित्त निगमों में नगरीय तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लघु एककों में ऋण देने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर नियमों की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) . राज्य वित्त निगमों की स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मझौले तथा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए की गई थी। राज्य वित्त निगम लघु औद्योगिक एककों को चाहे वे शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो। सम्बन्धित एककों की विकास क्षमता सहित विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं इन निगमों ने विशेष रूप से अल्पविकसित क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।

समुद्रपार विकास के ब्रिटिश मंत्री के साथ बातचीत

4196. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्ता समुद्रपार विकास के ब्रिटिश मन्त्री, के साथ जिन्होंने हाल में भारत की यात्रा की थी, उन्होंने बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत से क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Exhibition Trains Highlighting the Progress made on Silver Jubilee of Independence

4197. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a provision was made in the proposed programme on the occasion of the Silver Jubilee of India's Independence to run exhibition trains highlighting the progress made by the country; and

(b) the reasons for which these have not been run ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) (a) & (b) . The proposal for an exhibition Train (to be organised by the Directorate of Advertising and Visual Publicity) was not finally included in the programme for the 25th Independence Jayanti in view of the high cost and several practical difficulties. However D. A. V. P. has arranged for an exhibition to be shown at 300 places in the country. Already 100 out of these have been arranged. Besides, D. A. V. P. has two railway coaches in which exhibits can bc taken round and shown.

पश्चिम बंगाल में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग को धक्का

4198. **डा० रानेन सेन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमों बंगाल में इलक्ट्रोनिक्स उद्योग को दस वर्ष से भी अधिक समय से बड़ा धक्का पहुच रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में इस उद्योग को पुर्नजिवित करने के लिए कोई नये प्रयास किये हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णाचन्द्र पन्त): (क) से (ग). देश में इलक्ट्रानिक्स उद्योग तीव्र गति से विकास कर रहा है इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन जो 1964-65 में 30.5 रुपये करोड़ था 1970-71 में बढ़ कर 175 करोड़ हो गया। बंगाल सहित सभी राज्यों में इस क्षेत्र में प्रगति हुई है। उद्योग के क्षेत्र में विकास कई तत्वों पर निर्भर करता हैं जैसे कि वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर, उस विशेष उद्योग के लिये खास आवश्यकतायें, उद्योग-कर्तापन तथा अन्य तत्व जो इसके लिये जरूरी हैं। बंगाल में इलैक्ट्रानिक्स विकास अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हैं। इलैक्ट्रानिक्स विभाग गम्भीर रूप से प्रयत्नशील है कि देश में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग का विशाल तथा समान वितरण हो सके। इलैक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारियी को यह कार्य सौंप दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के साथ उद्योग के लिये स्थानीय योजनाओं में सहायता दें जो राष्ट्रीय योजनाओं की अंततः पुष्टी करें, और यह भी देखें कि राज्य से प्राप्त सुझावों पर शीघ्र से अनुपालन हो रहा है।

पश्चिम बंगाल में कुछ आवश्यक कदम जो इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिये उठाये गये हैं नीचे दिये हैं :—

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा :

(1) राज्य स्तर पर "इलैक्ट्रानिक्स के लिये विकास समिति" स्थापित कर दी गई है

जिसमें सरकार के इलैक्ट्रानिक्स विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र तथा विश्वविद्यालय उस राज्य में इलैक्ट्रानिक्स विकास के लिये योजना बनायेंगे।

(2) नवम्बर 1972 में कलकत्ता में एक इलैक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री सेमिनार लगा था। इस सेमिनार में उद्योगपतियों, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, उद्योगकर्ताओं, पश्चिमी बंगाल तथा केन्द्र सरकार दोनों के अधिकारियों, राज्य के मुख्य मंत्री तथा दूसरे राज्यों के मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। इस सेमिनार का उदघाटन इलैक्ट्रानिक्स कमीशन के अध्यक्ष ने किया।

(3) पश्चिम बंगाल में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के प्रसार के लिये, सम्मिलित उद्योगों तथा पूर्णतः सरकारी क्षेत्र उपक्रम की स्थापना की सम्भावनाओं को खोजा जा रहा है, इलैक्ट्रानिक्स विभाग पश्चिम बंगाल सरकार के निकट सम्पर्क में हैं।

(4) इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्र में छोटे उद्योगकर्ताओं की सहायता करने और उन्हें इस बात के लिये समर्थ बनाने कि उनके द्वारा निर्मित मद्द किस कोटि की है केन्द्रीय सरकार इलैक्ट्रानिक्स परीक्षण तथा विकास केन्द्र स्थापित करने के लिये 25 लाख रुपयों तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है।

सीमेंट और टायर का कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को आशय-पत्र जारी करना

4199. **डा० रानेन सेन : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट और टायर का कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को दो आशय-पत्र जारी किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित किए जाएंगे तथा उनकी क्षमता कितनी होगी और क्या वे सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख).

(1) **सीमेन्ट :**

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० को 17 दिसम्बर, 1971 को पश्चिम बंगाल के पुलिया जिले में स्थित सालवा में २ लाख मी० टन सीमेंट बनाने की वार्षिक क्षमता का एक नया संयंत्र लगाने के लिये आशय-पत्र जारी किया गया है। संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा।

(2) **टायर :**

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० को 8 सितम्बर, 1972 को पश्चिम बंगाल हल्दिया में प्रतिवर्ष चार चार लाख आटोमोबाइल टायर और ट्यूबे बनाने की क्षमता का एक

नया एकक स्थापित करने के लिये आशय-पत्र जारी किया गया है। संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता की मन्जूरी की शर्तों में ढील

4200. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के लिए किन्हीं सामान्यतय: लगाई जाने वाली शर्तों में मध्य प्रदेश के मामले में ढील दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह रियायत किस आधार पर दी गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). राज्य योजनाओं के लिए दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य के लिए कोई भी शर्त नहीं हटाई गई है। सामान्य केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार दी जाती है। विशेष रोजगार कार्यक्रमों, जिनके लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकारों को चालू वर्ष में कतिपय विशेष अनुदान दिया गया, के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से आशा की गई थी कि वे भी केन्द्रीय सरकार के अनुदान के बराबर अतिरिक्त संसाधन जुटायेंगी। अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कई राज्यों की अपनी कठिनाइयाँ थीं। उसके मामले में शर्त में कुछ छूट दे दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के सम्बंध में भी इसी प्रकार की छूट दी गई क्योंकि वे इस प्रयोजन से अतिरिक्त संसाधन जुटाने में असमर्थ थे।

देश में डाकुओं द्वारा आत्म-समर्पण

4201. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के भिन्न-भिन्न भागों में कुल कितने डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया, और चम्बल घाटी के कितने डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया ; और

(ख) आत्म-समर्पित डाकुओं के विरुद्ध चलाये गए मुकदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अप्रैल, 1972 से 459 डाकुओं ने मध्य प्रदेश में ही आत्म समर्पण किया है। इसके अतिरिक्त कहीं भी कोई आत्म-समर्पण नहीं किया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल, 1792 से मध्य प्रदेश में जिन डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया था, उनके अभियोजन के सम्बन्ध में हुई प्रगति

		जिन डाकुओं का सम्बन्ध	
		चम्बल क्षेत्र	बुलन्द खण्ड क्षेत्र से है
1.	आत्म समर्पित डाकुओं की कुल संख्या	349—3†	110
2.	उन डाकुओं की कुल संख्या, जिनके विरुद्ध न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किए गए हैं।	322	26
3.	छोड़े गए अथवा मुक्त किए गए डाकुओं की संख्या	23	...
4.	सेशन को सुपुर्द किए गए डाकुओं की संख्या	226	...
5.	दण्डित डाकुओं की संख्या	39	12
6.	उन डाकुओं की संख्या जिन्हें मुक्त तो किया गया किन्तु उनके विरुद्ध कुछ अन्य आरोप होने के कारण नहीं छोड़ा गया।	6	...

†चम्बल क्षेत्र से बाहर किए गए अपराधों के लिए इन 3 डाकुओं की तलाश है। दी गई रियायतों का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भी चम्बल क्षेत्र के डाकुओं के साथ आत्म-समर्पण किया था।

आकाशवाणी तथा टेलीविजन से खेल-कूद संबंधी प्रसारण

4202. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल खेल-कूद के ही प्रसारण के लिए आकाशवाणी में एक विशेष अनुभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या भारत में खेल-कूद सम्बन्धी समस्याओं के बारे में टेलीविजन कार्यक्रम भी नियमित रूप से रिले किए जायेंगे ; और

(घ) क्या खेल-कूद अनुभाग एक अनुभवी और प्रतिभावान अधिकारी के अधीन रखा गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (घ) योजना विचाराधीन है।

(ग) जी, हां।

इलक्ट्रोनिक्स आयोग में अवर सचिव तथा उससे बड़े रैंक के अधिकारी

4203. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या प्रधान मंत्री इलैक्ट्रोनिक्स आयोग/इलैक्ट्रानिक्स विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों के बारे में 9 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1517 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक्स आयोग के आरम्भ होने से पूर्व तथा उसके बाद इस में अबर सचिव स्तर के तथा उससे बड़े रैंक के सचिवीय पदों का विवरण क्या है ;

(ख) इन पदों को किस प्रकार भरा गया था ;

(ग) इलैक्ट्रोनिक्स तथा सचिवोय, दोनों क्षेत्रों में इन अधिकारियों के पास कौन सी तकनीकी तथा अन्य विशेष योग्यता थी ; और

(घ) प्रतिनियुक्ति पर आये प्रत्येक अधिकारी के मामले में, अगर कोई अवधि निश्चित की गई तो वह कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद पन्त) : (क) से (घ) फरवरी 1971 में नव निर्मित इलैक्ट्रोनिक्स कमीशन में अवर सचिव के स्तर के ऊपर के सचिवीय स्थानों का ब्यौरा, वे तरीके जिन के द्वारा इन स्थानों की पूर्ति हुई, तकनीकी तथा अन्य योग्यताएं जो सम्बन्धित अधिकारियों में थीं क्या भरे हुए स्थानों की अवधि भी इस संलग्न विवरण में दी गई है। इलैक्ट्रानिक्स कमीशन तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग दो अलग तथा विशिष्ट प्रशासकीय इकाइयां हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि माननीय सदस्य इसी प्रकार की सूचना इलैक्ट्रानिक्स विभाग के सम्बन्ध में भी चाहते हैं और यह भी संलग्न विवरण में दी जाती है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4014/72]

दिल्ली में दूसरे राज्यों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति

4204. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूसरे राज्यों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लाकर उनकी दिल्ली में नियुक्ति करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही दिल्ली के लिए एक पृथक् पुलिस संवर्ग बनाने के बारे में पुलिस आयोग की सिफारिशों के प्रतिकूल है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली पुलिस में नियुक्ति के लिए सामान्यतः अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों पर विचार किया जाता है जब संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग में अपेक्षित वरिष्ठता तथा अनुभव के अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय पुलिस सेवा का एक पृथक संवर्ग विद्यमान है जिससे सामान्यतः दिल्ली पुलिस में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ।

हिन्दुस्तान टेली प्रिंटर्स लिमिटेड का विस्तार

4205. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख). टेलीप्रिंटरों के अलावा, कम्पनी विद्युत-टाइप-राइटरों के निर्माण का काम हाथ में ले रही है । विद्युत टाइपराइटरों की मौजूता पंजीकृत निर्माण क्षमता 500 मशीनें प्रतिवर्ष है जिसे उत्तरोतर 12,000 अदद वार्षिक तक बढ़ाया जाएगा । हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड द्वारा निर्मत विद्युत टाइपराइटरों के अगले वर्ष में बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है ।

पंजाब और हरियाणा तथा मैसूर और महाराष्ट्र के अन्तर्राज्यीय विवादों का निपटारा

4206. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा तथा मैसूर और महाराष्ट्र के अन्तर्राज्जीय विवादों को मित्रतापूर्वक निपटाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). सरकार की इच्छा इन विवादों का एक परस्पर सम्मत हल प्राप्त करने की रही है और इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं ।

इन्जीनियर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि

4207. **श्री सरजू पांडे** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान को 1980 तक इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी वृद्धि होने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह भविष्यवाणी एक निजी गवेषणा प्रतिष्ठान के अध्ययन दल ने की है। सरकार का अपनी ओर से योजनाओं में इंजीनियरी उद्योगों का उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने की दृष्टि से व्यवस्था करने का विचार है। सरकार ने कच्ची सामग्री जैसे इस्पात के आयात को उदार बना दिया है। इसके अलावा, कतिपय चुने हुए उद्योगों को अपनी विद्यमान क्षमता का और अधिक उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अनुमति दे दी गई है।

पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण पत्र तैयार करते समय कार्मिक संघों से परामर्श लेना

4208. **श्री सरजू पांडे :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार योजना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में कार्मिक संघों का परामर्श लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन से परामर्श किस प्रकार लिया जायेगा ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय कार्मिक संघों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना

4209. **श्री राम प्रकाश** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन सभी भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों की सेवा-अवधि छह महीने तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो हाल ही में बने कानून के अन्तर्गत तुरन्त ही सेवा निवृत्त होने वाले थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, राज्य सेवा अधिकारियों के भूतपूर्व सचिव (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 6 में यह व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के आई० सी० एस० सदस्य जो नियत तिथि (जो कि अब 1 अक्तूबर, 1972 अधिघोषित की जा चुकी है) से छः महीने की

अवधि पूरी होने से पूर्व 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, उन्हें सेवा-अवधि बढ़ाने के आदेश के अभाव में, छः महीने की उक्त अवधि पूरी होने की तिथि पर अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया जाएगा अथवा उन्हें उस तिथि को जबकि वे उस नियत तिथि से शीघ्र पहले ऊपर लागू नियमों के अनुसार, जो भी पहले हो, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं, उठता।

कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी सलाहकार परिषद् का गठन और कृत्य

4210. **श्री राम प्रकाश :** क्या प्रधान मंत्री कार्मिक सुधारों सम्बन्धी सचिवों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में 22 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी सलाहकार परिषद् के कृत्य क्या हैं और उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी सलाहकार परिषद के गठन तथा उसके कृत्यों को दर्शाने वाली कार्मिक विभाग की संकल्प संख्या 103/70-पी० पी०, दिनांक 15 सितम्बर, 1972 की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी०-4015/72]

Law and order situation in Delhi

4211. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the law and ordar situation in Delhi is fast deteriorating ;

(b) whether incidents of day light robbery, murder in Delhi are increasing ; and

(c) if so, the remedial measures being adopted therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No.

(b) Incidents of day-light robbsry have not increased. There have been a slight increase in the incidents of murder. The reported figures are :—

	From 1.1.1971 to 1.11.71	From 1.1.1972 to 1.11.72
Day-light Robbery	114	107
Murder	106	119

(c) The following preventive measures have been adopted by the Delhi Police for keeping the law and order situation under control :

(i) The Delhi Police with its various agencies, remain constantly vigilant and steps are taken to collect intelligence. Special preventive patrolling is enforced in sensitive areas and anti-social elements are not allowed to raise their head.

(ii) On pay days, preventive patrolling and other necessary measures are enforced near the banks and commercial areas, with a view to prevent robberies, dacoities etc.

(iii) The Delhi Police Dog Squad supplements the police patrolling during night in certain areas of the city. The police dogs are also being utilized in their normal functions to trace out the clues of crime by scent.

(iv) Special armed patrolling is done on the out-skirts and far flung areas of Delhi where criminals are usually expected. In addition, Mounted Police patrolling and 'Naka-bandies' at stretagic points are organised.

(v) Raids are organised at the places of criminal hide outs.

(vi) Patrolling round the clock is done regularly by the Police Control Room Vehicles in their respective areas. This is meant to ensure prompt collection and dissemination of information to strengthen public confidence by prompt response to the calls for help.

(vi) Crime Prevention Week is organised from time to time for seeking public co-operation.

Foreign Companies Manufacturing Leather Goods

4212. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to stated :

(a) the number of foreign companies dealing in leather goods in the country and the period for which they have been functioning and the names of the articles being produced by them ;

(b) the capital invested by these foreign companies ; and

(c) whether Government propose to nationalise these leather companies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : There is only one foreign company dealing in leather goods in the country *viz* M/s. Bata Shoe Company Private Ltd., Calcutta. They are manufacturing leather footwear. The Company was established in 1931.

(b) The total investment of M/s. Bata Shoe Co. Private Ltd., as represented by its total net assets stoood at Rs. 27,63 crores as on 31-12-1971.

(c) There is no such proposal at present.

Issue of licence for Manufacture of T.V. sets in M.P.

4213. **Shri Dhan Singh Pradhan :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Central Government have issued any licence to any unit for manufacturing T.V. sets in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the number of persons to be provided with employment therein, the capital to be invested and also the capacity of the proposed unit ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K.C. Pant) : (a) and (b). The only request received from the State of Madhya Pradesh for the manufacture of T.V. Sets was from a unit in the Small-Scale Sector, which has been approved for a capacity of 2500 T.V. Sets per annum.

The Unit is likely to provide employment to 75 persons and the entrepreneur proposes to invest about Rs. 8 lakhs.

बिहारी मुसलमानों की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ

4214. **श्री धनशाह प्रधान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के "बिहारी मुसलमानों" ने पिछले कुछ महीनों में भारत में घुसपैठ की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर से नवम्बर, 1972 की अवधि में ऐसे 85 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य राज्यों के बारे में सूचना प्रत्याशित है। सीमा पार से व्यक्तियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है।

उद्योग में स्वदेशी प्रौद्योगिकी

4215. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे बड़े उद्योग कौन कौन से हैं जिनको स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ पहुँचा है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : उन प्रमुख उद्योगों की एक सूची जिनमें स्वदेशी तकनीक का विकास पर्याप्त माना गया है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4016/72]

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में मशीन संबंधी खराबियां

1216. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से बंगाली में समाचारों के प्रसारण को मशीन की खराबी के कारण कितनी बार बंद करना पड़ा और इस प्रकार दिल्ली

केन्द्र से बंगाली समाचारों के रिले किये जाने और कलकत्ता केन्द्र से समाचारों के सीधे प्रसारण में कितना समय नष्ट हुआ ; और

(ख) इन खराबियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) मशीन की खराबी के कारण अक्तूबर और नवम्बर के गत दो महीनों के दौरान, आकाशवाणी, कलकत्ता के मीडियम वेव चैनल पर बंगला में समाचारों के प्रसारण को 12 बार 18 मिनट 35 सेकिण्ड की कुल अवधि के लिए बंद करना पड़ा। दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों तथा कलकत्ता से सीधे प्रसारित किये जाने वाले समाचारों के प्रसारण में जो समय नष्ट हुआ, वह इस प्रकार है :—

(1) दिल्ली से रिले किये जाने वाले समाचारों में व्यवधान—15 मिनट 5 सेकिण्ड।

(2) कलकत्ता से सीधे प्रसारित किए जाने वाले समाचारों में व्यवधान—3 मिनट 30 सैकिण्ड।

(ख) मशीन की इस प्रकार की खराबियों को कम करने के लिए नियमित आधार पर उपचारात्मक देखरेख की जाती है।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र का कमजोर ट्रांसमीटर

4217. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र का पारेषण उपकरण बहुत कमजोर है और उस केन्द्र से प्रसारित समाचार और अन्य कार्यक्रम दिल्ली में तथा कलकत्ता से दूर स्थित अन्य स्थानों में साफ नहीं सुनाई देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता केन्द्र से प्रसारण संबंधी कमजोरी को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली के श्रोतागण ढाका केन्द्र से प्रसारित समाचार और अन्य कार्यक्रम साफ-साफ सुन सकते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं। कलकत्ता ट्रांसमिटरों के प्रसारण उनकी प्राथमिक प्रसारण परिधि, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य का दक्षिणी भाग और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं, में अच्छी तरह सुनाई देते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ढाका के जिन शार्ट वेव ट्रांसमिटरों से विदेशों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उनके प्रसारण दिल्ली में सुने जा सकते हैं।

छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन

4218. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे और मध्य श्रेणी के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की, सभी तरह से, तथा उन्हें सरकारी विज्ञापन देकर और उदारतापूर्वक अखबारी कागज का कोटा देकर सहायता करने सम्बन्धी घोषित नीति को पूरी तरह क्रियान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वितीय वर्ष के दौरान इन समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन देकर कुल कितनी राशि खर्च की गई और उसका राज्य वार व्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन साप्ताहिक और दैनिक पत्रों एवं पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं और इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा छोटे तथा मझोले समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आवंटन देशी तथा आयातित कागज की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष निर्धारित की जाने वाली नीति के अनुसार किया जाता है।

(ख) 1971-72 के दौरान 81,23,400.00 रुपए। एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्य वार व्यौरा दिया गया है।

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय इस प्रकार के समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं की कोई स्थायी सूची नहीं रखता। प्रत्येक प्रार्थना पर गुण-दोष आधार पर विचार किया जाता है और यदि प्रकाशन इस बारे में निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करता है, तो उसका आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए उपयोग किया जाता है।

विभिन्न सरकारी विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैं :—

(1) प्रभावी खपत (सामान्यत: 1000 से कम बिक्री वाले समाचार पत्रों का उपयोग नहीं किया जाता) ;

(2) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है) ;

(3) पाठकों की श्रेणी ;

(4) पत्रकारिता सम्बन्धी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन ;

(5) अन्य बातें जैसे छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देने हैं ; और

(6) विज्ञापन की दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिए उचित और स्वीकार्य समझी जाएं।

सरकारी विज्ञापन देने में यह बात ध्यान में नहीं रखी जाती कि समाचार पत्र या पत्रिका किस राजनैतिक दल से सम्बद्ध है। सरकारी विज्ञापनों के लिए सभी राजनैतिक दलों के पत्रों तथा विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं का समर्थन करने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता है। तथापि, सरकारी विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को नहीं दिये जाते तो साम्प्रदायिक भावना भड़काते हैं या हिंसा का प्रचार करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के सामाजिक तौर से स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाते हैं।

विवरण

वर्ष 1971-72 के दौरान छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों पर राज्यवार व्यय

क्र० सं०	राज्य का नाम	व्यय (रुपये)
1.	पंजाब	3,66,295
2.	महाराष्ट्र	10,99,949
3.	जम्मू और कशमीर	98,138
4.	चन्डीगढ़	22,294
5.	मैसूर	1,70,041
6.	गोआ	51,076
7.	केरल	1,65,152
8.	मध्य प्रदेश	4,75,950
9.	हिमाचल प्रदेश	9,694
10.	अंडेमान निकोबार	8,604
11.	गुजरात	3,81,621
12.	आंध्रा प्रदेश	4,72,808
13.	त्रिपुरा	22,931
14.	तमिल नाडू	4,71,945
15.	पांडीचेरी	6,013
16.	बिहार	5,87,506

क्रम सं	राज्य का नाम	व्यय (रुपये)
17.	हरियाणा	15,200
18.	असाम	2,92,744
19.	मणिपुर	7,217
20.	उड़ीसा	2 38,973
21.	उत्तर प्रदेश	14,26,758
22.	पश्चिमी बंगाल	4,38,965
23.	दिल्ली	11,08,825
24.	राजस्थान	3,84,701
	कुल रु०	81,23,400

Traders Allegedly making Free Telephone calls in Connivance with Employees

4219. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of Communication be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the traders make free Telephone calls in connivance with the employees and thus avoid payment of just dues to Government ;

(b) whether Government propose to appoint an Enquiry Committee to go into the matter ; and

(c) if so, the gist of the proposal ?

The Minister of Communication (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Government are aware that unscrupulous persons can make free telephone calls in collusion with employees of the P. &. T. Department.

(b) & (c). These is nothing obscure about this malady, which may call for further enquiry by any committee.

भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों का पांच वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली में रहना

4220. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में उप-सचिव से ऊपर की श्रेणी ऐसे कितने अधिकारी हैं जो दिल्ली में पांच वर्षों से अधिक समय तक काम कर चुके हैं ;

(ख) उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इन अधिकारियों को उनकी मूल सेवाओं अथवा उनके राज्यों में वापस भेजने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 85 अधिकारी।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** एल० टी० 4017/72]

(ग) "हालांकि उप-सचिव से ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों की सामान्य पदावधि पांच वर्ष की है, किन्तु लोकहित में अपवादिक परिस्थितियों में पदावधि में बढ़ोतरी किए जाने की अनुमति है। ऐसे अधिकारियों को, अपनी पदावधि की बढ़ोतरी की समाप्ति पर, उनके मूल संवर्गों को वापस भेज दिया जाता है। अब तक पदावधि नियम को अपर सचिव तथा उससे ऊपर की श्रेणी के पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के मामले में लागू नहीं किया गया। अब तक पदावधि नियम को केन्द्रीय प्रशासनिक पूल के लिए चिन्हित अधिकारियों के मामले में भी लागू नहीं किया जा रहा था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। पदावधि के नियम को क्रमिक विधि से सभी ऐसे मामलों में लागू करने की प्रक्रिया का प्रश्न सरकार के पास विचाराधीन है।"

दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् का चुनाव

4221. **श्री एस० सी० बेसरा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने सरकार को सलाह दी है कि मुख्य कार्यकारी पार्षद् को इस पद पर 6 महीने पूरे करने से पहले दिल्ली महानगर परिषद् के लिए चुनाव लड़ना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य कार्यकारी पार्षद को बिना जीते तथा इस प्रकार परम्परा को तोड़ते हुए पद पर बने रहने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 में यह व्यवस्था नहीं है कि मुख्य कार्यकारी पार्षद को पद पर 6 महीने पूरे करने से पहले महानगर परिषद दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहिए।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के संयंत्र में फालतू क्षमता

4222. **श्री सत्य चरण बेसरा** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पास अपने संयंत्रों में फालतू क्षमता है ; और यदि हां, तो वह कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : वर्ष 1971-72 के उत्पादन आँकड़ों के अनुसार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के मशीनी औजार एककों में विकसित

क्षमता का उपयोग 91% तक हुआ। घड़ियों वाला कारखाना भी अधिकतम उपयोग के आधार पर चल रहा है।

Proposal of Freedom Fighters Assistance Committee Bihar

4223. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Freedom Fighters Assistance Committee, Bihar has forwarded a proposal to the Government in regard to the sanction of pensions ;

(b) if so, main points thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The difficulties of certain categories of freedom fighters in applying for a pension and some suggestions for removing them have been received and the matter is under consideration.

Memorandum submitted to Prime Minister regarding Activities of Balyogeshwar

4224. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a delegation of some leaders of the Arya Samajmet the Prime Minister in connection with the activities of Balyogeshwar during the second or third week of November, 1972 and presented a memorandum to the Prime Minister in this regard ; and

(b) if so, the outlines thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) A memorandum dated 10th November, 1972, regarding Premal Singh Rawat @ Balyogeshwar and the Divine Light Mission was presented to the Prime Minister by S/Shri Ram Gopal Shalwale, President. Arya Kendriya Sabha, Om Prakash Tyagi, M. P., Secretary, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, and two others.

(b) The memorandum contains allegations regarding undesirable activities of Balyogeshwar and the Divine Light Mission affecting national interest, with the help of foreign elements; involvement in offences under the Customs and allied revenue laws etc. A reference is invited to the reply given to starred question No. 331 on 6th December, 1972, in this connection.

पटना शहर में टेलीफोन कनेक्शन

4225. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना शहर में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ;

(ख) क्या टेलीफोन कनेक्शनों सम्बन्धी कुछ आवेदन पत्र टेलीफोन प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको टेलीफोन कनेक्शन देने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 30-11-1972 को पटना में एक्सचंज-वार टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या इस प्रकार थी :

पटना	5612
राजेन्द्रनगर	2702
पटना सिटी	1216
दानापुर	228

(ख) जी हां ।

(ग) 30-11-1972 के विभिन्न एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची में टेलीफोन की जो अर्जियां बाकी थीं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

एक्सचंज	प्रतीक्षा सूची	
	ओ० वाई० टी०	गैर-ओ० वाई० टी०
पटना	20	246
राजेन्द्रनगर	—	33
पटना सिटी	—	7
दानापुर	—	1

इन समय पटना एक्सचेंज में और कनेक्शन देने की क्षमता न होने के कारण कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । दूसरे एक्सचेंजों में बकाया अर्जियों पर टेलीफोन देने के लिए पहले से ही कार्रवाई की जा रही है ।

Five Year Scheme for Space Research

4226. **Shri Ramavatr Shastri** : Will the Minister of Space be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a five year scheme for Space Research ; and

(b) if so, the outlines of the Scheme ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Informations and Broadcasting and Minister of space (Shrimati

Indira Gandhi) : (a) & (b). The Fifth Five Year Plan for Space activities is still under fomulation.

Use of Hindi in Departmental Examination

4227. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the use of Hindi language in place of English has also been allowed in the Departmental Examinations of the Ministry of Agriculture ; and

(b) if so, the reasons for not providing such facilities in other Ministries of the Government and the time by which these facilities will also be provided in the other Ministries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the existing instructions, the optional use of Hindi is to be authorised in the various departmental examinations held by the Ministries and their attached and subordinate offices located in Hindi speaking areas. In answering certain question papers including those relating to departmental manuals codes, etc. of which Hindi translation are available. This Ministry has been sorting out in meetings with individual Ministries, the problems involved in authorising the optional use of Hindi in all the departmental examinations held by them, without waiting for the Hindi translations of manuals, codes, etc. As a result of these efforts, in addition to the Ministry of Agriculture, the P & T Department, D.G., AIR. Ministry of Defence and Department of Company Affairs have issued orders for optional use of Hindi in their departmental examinations in respeet of all papers, including those relating to departmentals, codes, etc. of which Hindi translations ate not yet available. The Ministries of Finance (Deptt. of Revenue & Insurance), Railways (Railway Board), Education and Social Welfare, Petroleum & Chemical and Department of Mines have also agreed in principal to issue orders on similar lines. This Ministry is pursuing with the other Ministries/Departments so that they also fall in line with the Ministry of Agriculture, etc.

चलते-फिरते डाकघर

4229. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन स्थानों पर लेटर-बक्स लागाने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है जहां चलते-फिरते डाकघर रुकते हैं ताकि लोग अपने पत्र उनमें डाल सकें और इसीलिए ही उन्हें गाड़ी आने की प्रतीक्षा न करनी पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक अमल किया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एकाधिकार गृहों की वृद्धि पर रोक लगाना

4230. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो दशकों में हमारा

औद्योगिक विकास धीमी गति का मुख्य कारण हमारा आय और सम्पति के संचयन और देश में एकाधिकार गृहों की वृद्धि को रोकने में असफल रहना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश के विकास कार्यक्रम में बड़े एकाधिकार गृहों पर रोक तथा प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ग). गत दो दशाब्दियों में देश में पर्याप्त औद्योगिक आधार बना दिया गया है। सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि समग्रत: औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है या इसकी गति केवल एक ही कारण से निर्धारित की जा सकती है। सरकार ने आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए हर तरह से अनेक अभ्युपाय शुरू किए हैं, जिनमें संशोधित लाइसेंस नीति तथा एकधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम सम्मिलित हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दूर संचार सेवा के विकास के लिए धनराशि का आबंटन

4231. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दूर-संचार सेवा के विकास के लिए कुल कितनी धन राशि मांगी गई है ; और

(ख) क्या यह राशि चौथी योजना के परिव्यय के दुगुने से भी अधिक होगी ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पाँचवीं योजना में दूर संचार के विकास कार्यों के लिए मांगी गई कुछ निधि, लगभग 1359 करोड़ रुपये है। पांचवीं योजना की रूप-रेखा तैयार की जा रही है तथा ये आंकड़े अस्थाई है।

(ख) जी हाँ। ऊपर बताई गई रकम चौथी योजना के संशोधित परिव्यय के दुगुने से भी ज्यादा है जोकि 488.76 करोड़ रुपये है।

Advertisements to Daily Avantika (Ujjain)

4232. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state the attitude proposed to be adopted by Government in regard to the giving of advertisements to the daily Avantika (Ujjain) in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : Advertisements are released to this newspaper as and when necessary for meeting Government's publicity requirements.

Incidents of rioting and stabbing in Sarai Rohilla, Delhi

4233. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether incidents of rioting, thefts and stabbing in Sarai Rohilla, Delhi during

the past three months have shown an increase over the average incidents of last six months ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The incidents of rioting and theft during the last three months have shown an increase over the average of last six months. However, there was no increase in the incidents of stabbing. The figures reported are :—

	Three months 1.9.72 to 30.11.72	six months 1.3.72 to 31.8.72
Riot	9	6
Theft	131	136
Stabbing	Nil	Nil

(b) The local police and its various sources remained vigilant and steps were taken to collect intelligence. Special preventive patrolling was enforced in the affected areas. Special armed patrolling was also done in the areas. Police Control Room Vehicles patrol round the clock to ensure prompt collection and dissemination of information, to strengthen public confidence by prompt response to calls for help. Also raids are organized at places of criminal hide-outs.

Foreign Missionaries in India

4234. Shri B.S. Chowhan : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the number of foreign Missionaries in India at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : As on Ist January, 1972, their number was 5053.

बिहार के पालामऊ जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेन्स देना

4235. कुमारी कमला कुमारी : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बिहार में कुल कितने औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये तथा जिन पार्टियों को लाइसेन्स दिये गये उनके नाम क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पालामऊ जिले में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए किन-किन को औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये; और

(ग) उन उद्योगों की संख्या तथा नाम क्या है जो जुलाई, 1974 तक उत्पादन शुरू कर देंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) तथा (ख). 1969, 1970 और 1971 में बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए 54 औद्योगिक लाइसेन्स

जारी किए गए थे। जारी किए गए आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेन्स का जिलावार व्यौरा नहीं रखा जाता है। सरकार द्वारा जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों का व्यौरा समय-समय पर "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेन्सज, इम्पोर्ट लाइसेंसज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसज, साप्ताहिक इण्डियन ट्रेड जनरल" और मासिक जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) चूंकि उद्योग स्थापित करने की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की है इसलिए सरकार निश्चित रूप से वह अवधि नहीं बता सकती है किस समय तक परियोजना में उत्पादन प्रारम्भ होगा।

बिहार और उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेन्स देना

4236. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 बड़े औद्योगिक गृहों को उनके उद्योगों के विस्तार के लिए कितने लाइसेन्स दिए गए, जिनके अन्तर्गत 1973 में अधिक उत्पादन शुरू हो जायेगा; और

(ख) बिहार और उत्तर प्रदेश के गृहों और उद्योगों के नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1 जनवरी, 1970 से 30 सितम्बर, 1972 की अवधि में पर्याप्त विस्तार के 35 औद्योगिक लाइसेन्स 20 बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये थे।

कोयला तैयार करने का एक बिहार में तथा चीनी बनाने का दूसरा गृह उत्तर प्रदेश में स्थित है। चूंकि विस्तार की जिम्मेदारीं लाइसेन्सधारियों की है सरकार निश्चयपूर्वक नहीं बता सकती कि कोई विशेष परियोजना कब उत्पादन प्रारम्भ करेगी।

पांचवीं योजना में बिहार के पालामऊ जिले और छोटा-नागपुर डिवीजन का विकास

4237. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के पालामऊ जिले के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई हैं; और

(ख) योजना में छोटा-नागपुर डिवीजन के अन्य जिलों के लिए कुछ कितनी राशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). पांचवी पंचवर्षीय योजना के परिव्ययों का निर्धारण अभी किया जाना है।

नैनी में पारेषण उपकरणों के निर्माण के लिए विदेशी सहायता

4238. श्री एम० एम० जोजफ :
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैनी में पारेषण उपकरणों के नवीनतम माडल के निर्माण में कुछ देशों से सहायता मांगने के बारे में कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे सहायता मांगी गई है तथा किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : (क) और (ख) . नैनी का पारेषण कारखाना इन दिनों उसी प्रकार के दूरवर्ती पारेषण उपस्कर का निर्माण कर रहा है जैसे आई० टी० आई० के बंगलौर कारखाने के निर्माणाधीन रहे हैं और जिनका प्रयोग देश के दूरसंचार तंत्र के लिए किया जाता है। आई० टी० आई० लिमिटेड को इस प्रकार के पारेषण उपस्कर के निर्माण की तकनीकी जानकारी है और अब तक विदेशी सहायता कहीं से भी प्राप्त नहीं की गई है।

दिल्ली टेलीफोन विभाग की विस्तार योजना

4239. श्री एम० एम० जोजफ :
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण के लिए भूमि हस्तान्तरित करने के मामले में स्थानीय निकायों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विलम्ब किए जाने के कारण दिल्ली टेलीफोन विभाग की विस्तार योजनाओं में बाधा पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण और म्युनिसिपल प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त जमीन अलाट कर दें। उन्होंने बताया है कि जब विकास योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, उस समय एक्सचेंजों के लिए जमीनें निर्धारित की जाएंगी। अभी तक कोई भूमि अलाट नहीं की गई है।

यथाशीघ्र इन मामलों का निपटारा हो सके, इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और म्युनिसिपल कारपोरेशन के साथ तत्परता से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

केरल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

4240. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के क्वालन जिले में पुनालास में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां स्वचालित टेलीफोन केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पुनालास नाम का कोई स्थान क्विलोन जिले में नहीं है। शायद यह प्रश्न पुनालूर स्थान के सम्बन्ध में हैं। पुनालूर में कोई आटोमेटिक एक्सचेंज नहीं है। वहां 300 लाइनों का एक मैनुअल एक्सचेंज है।

(ख) पुनालूर एथेलेटिक क्लब और कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया की ओर से पुनालूर एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) आटोमेटिक ऐक्सचेंज उपस्कर की कमी के कारण फिलहाल पुनालूर के एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जब दूसरी टेलीफोन स्विचिंग फैक्टरी उत्पादन करना शुरू कर देगी, तभी एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाना सम्भव हो सकेगा।

केरल का उसके पड़ोसी राज्यों की तुलना में औद्योगिक विकास

4241. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की औद्योगिक प्रगति उसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और मैसूर की तुलना में बहुत कम है यद्यपि केरल में कच्चा माल तथा बिजली उपलब्ध है ;

(ख) क्या उस राज्य में औद्योगिक प्रगति में बाधा का एक कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव है ;

(ग) क्या केरल राज्य के विकास में केन्द्रीय वित्त पोषक संस्थान कम रुचि ले रहे हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य के उद्योगों की असन्तोषजनक प्रगति तथा उनके पिछड़ेपन के कारणों की जांच की है और यदि हां, तो उनका क्या निष्कर्ष निकला तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांडे कार्यकारी दल की रिपोर्ट में तमिलनाडु तथा मैसूर के साथ-साथ केरल को भी पिछड़ा हुआ राज्य नहीं बताया गया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों ने केरल के विकास में रुचि दिखाई है।

केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों की रियायती दर पर वित्त प्रदान करने की योजनाओं में राज्य के 10 जिलों में से 5 जिले चुन लिये गए हैं। तथा उनमें से दो जिलों को 10 प्रतिशत केन्द्रीय राज्य सहायता-योजना के लिए चुन लिया गया है। ग्रामीण औद्योगिक परियोजना 2 और जिलों में लागू कर दी गई है तथा पंचवर्षीय योजनावधि में दो जिलों में उपरोक्त योजना और चला दी जायेगी।

केरल राज्य वित्त निगम ने लघु एककों की 602.27 लाख रुपये की सहायता की है। इसके अलावा, आई० डी० वी० आई० और आई० एफ० सी० आर० दोनों ही वित्तीय सहायता मंजूर करने में सक्रिय रहे हैं तथा उन्होंने केरल राज्य को क्रमशः .1421 तथा .51 लाख रुपये की सहायता दी है। आई० डी० वी० आई० ने त्रिवेन्दम जिले में औद्योगिक विभव का एक सर्वेक्षण भी किया है तथा राज्य में केरल औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्शदाता संगठन लिमिटेड की स्थापना की है।

स्वाभाविक रूप से औद्योगिकरण करने की प्रक्रिया में समय लगता है तथा इसे सावधानी से घोषित करना आवश्यक है। इस पहलु पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों ही पूरा पूरा ध्यान दे रही हैं तथा केन्द्र सरकार केरल में कुछ केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता दे रही है।

केरल को आशय पत्र जारी करना

4242. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केरल को किस-किस प्रकार के उद्योगों के लिए कितने आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) उनमें से कितने आशय पत्रों को लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिया गया है और इन उद्योगों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इनमें से कोई उद्योग केरल राज्य के पिछड़े जिलों में स्थापित किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक भी नहीं। किन्तु। जनवरी, 1969 से 30 सितम्बर, 1972 की अवधि में केरल सरकार के सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को 25 आशयपत्र जारी किए गए हैं। उत्पादन की वस्तुओं, जिनके लिए आशयपत्र जारी किए गये हैं, की एक सूची संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-4018/72]

(ख) तीन। ये सभी कार्यान्वियन की विभिन्न स्थितियों में है।

(ग) जैसा कि बताया गया है इनमें से तीन आशय-पत्र पिछड़े जिलों के लिए हैं।

उद्योगों की स्थापना के लिए केरल के जिलों में लाइसेन्स देना

4243. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेन्स देने की बात केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लाइसेन्स के आवेदनों के जिले-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सम्पूर्ण केरल राज्य के सम्बन्ध में 1.12.72 को 63 आवेदन अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) अनिर्णीत आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

केरल में लघु उद्योगों तथा औद्योगिक सम्पदाओं के लिए धन का उपयोग

4244. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में लघु उद्योगों और औद्योगिक सम्पदा के 1972-73 के सम्बन्ध में समस्त स्वीकृत परिव्यय का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा उपयोग होने की सम्भावना है ; और

(ख) लघु उद्योगों और औद्योगिक सम्पदाओं के कार्य के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल राज्य में 1972-73 के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण तथा लघु उद्योगों सम्बन्धी 208 लाख रु० के परिव्यय में से 1972-73 के दौरान निम्नलिखित व्यय किए जाने का अनुमान है :—

	(लाख रु० में)
लघु उद्योग	71.04
औद्योगिक बस्तियां	27.00

(ख) 31.12.1971 तक राज्य के उद्योग निदेशक के पास 12682 लघु एकक पंजीकृत किए गये है। औद्योगिक बस्तियों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

1.	औद्योगिक बस्तियों की कुल संख्या	18
2.	तैयार शेडों की संख्या	533
3.	आबंटित शेडों की संख्या	476
4.	अधिकृत शेडों की संख्या	451
5.	नियोजित कार्मिकों की संख्या	3560
6.	उत्पादन का मूल्य	38 करोड़ रुपये

Issue of Licences to Unemployed Engineers

4245. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state the number of licences issued to the unemp-loyed Engineers during the last three years for setting up industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : This Ministry is concerned with industrial licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1961. As the current licensing policy does not contain any special provision for unemployed engineers as a categary to set up industries in the middle, core or heavy investment seetor, which generally require such licences, information in this regard is not separately maintained under the Act.

Issue of Licences to Co-operative Societies

4246. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :

(a) the number of Co-operative Societies which have been granted Industrial Licences for starting new industries during the last three years ; and

(b) the steps taken or proposed to be taken for providing incentives to Co-operative Societies in this respect ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a)	1969	6
	1970	19
	1971	5
	Total :	30

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

1972 में छिपे नागाओं द्वारा सुरक्षा बल के कर्मचारी तथा अन्य लोगों की हत्या

4248. **श्री वी० मायावन :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिमा में जुल्का के स्थान पर 14 नवम्बर, 1972 को छिपे नागाओं ने एक सुरक्षा बल के कर्मचारी की हत्या कर दी थी और अन्य 11 को घायल कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कोहिमा के उत्तर पश्चिम में 8 मील पश्चिम क्षेत्र में दीनापुर—कोहिमा सड़क पर 33.3 मील पत्थर के पास 14 नवम्बर, 1972 की जब सुरक्षा बल की कानवाई पर भूमिगत नागाओं द्वारा घात लगाकर आक्रमण किया गया तो एक जूनियर कमीशन अधिकारी मारा गया तथा 14 अन्य पदाधिकारी घायल हुए ।

(ख) घटनास्थल चारों ओर के 10 गांवों में कर्फ्यू लगाया गया था । तलाशी के लिए सिविल पुलिस ने इन गांवों को घेर लिया और जांच आरम्भ की जो अभी प्रगति पर है । राज्य सरकार शान्ति भंग करने के किसी भी प्रयत्न के विरुद्ध कड़ी सतर्कता बरत रही हैं ।

Running Commentary in Hindi of Cricket Matches During M.C.C Tour of India

4249. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether full length commentary of Cricket matches in Hindi is not broadcast at present ; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to broadcast a running commentary in Hindi during the tour of M.C.C. Team to India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Running commentaries in Hindi are broadcast by Stations in the Hindi-speaking areas.

(b) Does not arise.

Regional Languages as Medium of Examinations

4250. **Shri M.S. Purty** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to provide facilities in regard to the making of regional languages the medium of examinations held for Civil and Military services ; and

(b) if so, the outlines of the proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). A beginning in the use of regional languages in the matter of recruitment by examinations to services under the Government was made in 1969 when candidates appearing at the Combined Competitive Examination for recruitment to the I.A.S. etc. were given the option to write their answers in two of the compulsory snbjects—Essay and General Knowledge—in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution besides English. Also, Hindi has been permitted as an alternative medium besides English for answering Essay and General Knowledge papers at the Assistants, Grade Examination conducted by the Union Public Service Commission since 1964. From 1971, candidates appear in the Stenographers' Examination have also been permitted the option to write answers to the General Knowledge papers and to take shorthand tests either in Hindi or in English. It has also been agreed in principle to permit the use of Hindi as alternative medium for the 'Arithmetic' paper in the Assistants' Grade Examination. Further, the Union Public Service Commission have agreed to introduce, with effect from 1974, Hindi besides English as medium of examination in respect of certain subjects included in the scheme of the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination, I, F. S. (B) Limited Departmental Competitive Examihation and Railway Board Secretariat Service Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination.

The question of extending the option to use the regional languages to other subjects and other examinations including those held for recruitment to Military Services, would have to be examined in the light of the experience gained from the above mentioned examinations.

माल डिब्बा उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता

4251. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्ष-वार देश में माल-डिब्बा उत्पादन की कितनी क्षमता अप्रयुक्त रही और इस दौरान अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (चार पहिये वालों की सं०)	उत्पादन	अप्रयुक्त क्षमता प्रतिशत
1969	33,869	12,199	65
1970	33,869	10,489	69
1971	33,869	8,016	70

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा बिजली के टाइपराइटर का निर्माण

4252. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के टाइपराइटर के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ;

(ग) इस टाइपराइटर में कितने देशी तथा कितने विदेशी पुर्जे होगें ; और

(घ) प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास मे० हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स का नाम प्रारम्भ में प्रतिवर्ष 500 विद्युत चालित टाइप राइटर बनाने के लिये पहले से ही दर्ज है। यह क्षमता अगले 4 वर्षों में बढ़ाकर 4,000 प्रतिवर्ष कर दी जायेगी। अन्तिम क्षमता 12,000 मशीनें प्रतिवर्ष होगी।

(ख) और (ग). देशी और विदेशी अंश समेत योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार

(1) वार्षिक क्षमता 500 मशीनें प्रतिवर्ष (शुरू करते समय)

	आयातित	देशी
(2) पूंजीगत माल की आवश्यकता	1.35 लाख	1.57 लाख

योग=2.92 लाख

(3) आयातित कच्चे माल और उपकरणों की वार्षिक आवश्यकता	उपकरण 29,000 रुपये कच्चा माल 39,000 रुपये

(4) इसमें विदेशी सहयोग करने का विचार नहीं है।

(घ) विद्युत चालित टाइप राइटरों की पहली खेप 1973 के शुरू में उपलब्ध हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की निधि

4253. **श्री राम भगत पास्वान :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की निधि को, शेयर पूंजी में वृद्धि कर, बढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन

4254. **श्री राम भगत पास्वान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन देने हेतु धार्मिक सम्मेलनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो धर्म परिवर्तन को रोकने तथा ऐसे धार्मिक सम्मेलनों की गतिविधियों को कुचलने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). इस प्रकार के धार्मिक सम्मेलनों के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। यद्यपि नागालैण्ड में बेपटिस्ट चर्चों की स्थापना के शताब्दी समारोहों के एक भाग के रूप में आयोजित धार्मिक समारोहों में विदेशियों को भाग लेने की अनुमति देने के सम्बन्ध में शिकायतें व्यक्त की गई हैं। बल प्रयोग, प्रलोभन तथा कपटपूर्ण तरीकों द्वारा धर्म परिवर्तन से निपटने के लिए वर्तमान कानूनी उपबन्ध पर्याप्त हैं।

मध्य प्रदेश में कागज का कारखाना

4255. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन से यह पता चला है कि एक नया कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में पर्याप्त बांस है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र का विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से पता लगा कि इस क्षेत्र में कागज की मिल स्थापित करने के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। तदनुसार पार्टी को एक आशय-पत्र स्वीकृत कर दिया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति में पूर्ण-कालिक सदस्यों की नियुक्ति

4256. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारी संघ ने सरकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति में पूर्ण-कालिक सदस्यों की नियुक्ति की मांग की ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) सरकार ने कुछ समाचार पत्रों में निकले प्रतिवेदन देखे हैं कि भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारी संघ ने एक प्रस्ताव में सरकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति में पूर्ण-कालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है।

(ख) उपस्थित सरकार वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के गठन में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं ले रही है। वर्तमान स्थिति में भी सदस्यों को विशिष्ट कार्यों के लिए सीमित समय तक पूर्ण-कालिक कार्य करना संभव है।

पांचवीं योजना में कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों में परिवर्तन करने की योजना

4257. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों में परिवर्तन करने की एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना तैयार की जा रही है और इस सम्बन्ध में अभी कोई खास मत निश्चित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

4258. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध लगाए गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो लिए गये निर्णयों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). श्री भगवत दयाल शर्मा, संसद सदस्य, द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 तथा 24 फरवरी, 1972 को हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को दो ज्ञापन प्रस्तुत किए गए जो अभी जांचाधीन है। श्री भगवत दयाल शर्मा से कतिपय स्पष्टीकरण करने तथा कुछ और सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया है। इस मामले में शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा विकास निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण

4259. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा विकास निगम में विभिन्न पदों, सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को आरक्षण का लाभ देने के उद्देश्य से गत तीन वर्षों में विभिन्न पदों पर कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति/भर्ती किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त निगम में इन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है तथा आरक्षित रिक्त स्थानों/पदों को कब तक भरा जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, लेकिन आरक्षण आदेश अधिकारियों के पदों के लिए लागू नहीं होते क्योंकि धारा 7 पत्र 4 ("अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण" की विवरणिका) के अनुसार ये "वैज्ञानिक या तकनीकी" वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ग	भर्ती		पदोन्नति	
श्रेणी 3	अनु० जा०/अनु० ज० जा०	अ० श्रे०	अनु० जा० अनु० जन जा०	अ० श्रे०
अ० श्रे० लि०	—	1	—	1
आशु टंकक	—	2	—	—
व० श्रे० लि०	—	—	2	2
सहायक	—	—	—	3
श्रेणी 4	—	—	—	—

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रार्थियों के हेतु सरकारी अधिनियमों के अनुसार स्थानों का आरक्षण करने के लिए कार्यवाही की गई है तथा भर्ती इन अधिनियमों के अनुसार की जायेगी।

पांचवीं योजना में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना

4260. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय असंतुलन को बड़े पैमाने पर कम करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या विशेष उपाय करने तथा उपबन्ध करने का विचार है ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या संस्थागत ढांचा बनाने का विचार है ताकि इन उपायों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). पांचवीं योजना के दृष्टिकोण को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अतः परिकल्पित विशेष उपायों, क्षेत्रीय असमानताओं को घटाने के लिए पांचवीं योजना में शामिल किए जाने वाले प्रावधान और इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत संगठन के बारे में इस समय बताना सम्भव नहीं है।

मलयाली कवि कुमारन असन पर वृत्त चित्र

4261. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि महान मलयाली कवि कुमारन असन के जीवन पर 1973 में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर वृत्त चित्र बनाया जाये ;

(ख) क्या केरल सरकार ने कुमारन असन की रचनाओं पर आधारित फिल्में बनाने हेतु फिल्म वित्त निगम से वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किये गए है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि कुमारन असन स्मारक समिति के सुझाव पर, कुमारन असन पर एक वृत्त चित्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलैक्ट्रोनिक सम्बन्धी भाभा समिति (1966) की सिफारिशों का क्रियान्वयन

4262. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय इलैक्ट्रोनिक उद्योग की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या सरकार ने भाभा समिति द्वारा 1966 में प्रस्तुत किए गये प्रतिवेदन पर गम्भीरता से विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). देश में इलैक्ट्रानिक्स बड़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है। भाभा कमीशन ने 1964-65 में यह मूल्यांकन किया था कि इस देश में इलैक्ट्रानिक्स साधनों तथा घटकों सहित इस उद्योग का कुल वार्षिक उत्पादन 30.5 करोड़ रुपये था। यह उत्पादन 1970-71 में 1975 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि कुल उत्पादन भाभा कमीशन रिपोर्ट की घोषित मात्रा से थोड़ा सा भिन्न है, कुछ क्षेत्रीय भिन्नतायें भी हुई, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स मद्दों का उत्पादन दुगुना हो गया जो भाभा रिपोर्ट की घोषणा से दुगना है और व्यावसायिक इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों के उत्पादन घोषणा का आधा रह गया। क्षेत्रीय ठोस उपलब्धियां जो भाभा रिपोर्ट ने स्थापित की उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आगे, सन 1965 में भाभा कमेटी रिपोर्ट पूरी होने तक इलैक्ट्रानिक्स में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जो सत्य की पुरानी धारणा है। विकास में लघुकरण भी सम्मिलित है इसने अनेक क्षेत्रों में सम्भावनाओं को बदल दिया है जैसे कि कप्यूटर्स इत्यादि इस प्रकार एक विचारणीय पुनः मूल्यांकन तथा वर्तमान स्तर पर लाने की आवश्यकता है। भाभा कमेटी द्वारा की गई सभी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया था। इन सिफारिशों को सरकार द्वारा कार्यान्वित कराने के लिए एक इलैक्ट्रानिक्स कमेटी की नियुक्ति स्वर्गीय डा० बी० ए० सारा भाई की अध्यक्षता में जून 1966 में हुई।

देश में संगठित तथा आत्मनिर्भर उद्योग के विकास के महत्व को पहचानते हुए, इस सम्बन्ध में तीव्र प्रगति की आवश्यकता, सरकार ने जून 1970 में एक अलग इलैक्ट्रोनिक्स विभाग

बनाया। फरवरी 1971 में सरकार ने प्रो० एम० जी० के० मेंनन, एफ० आर० एस० की अध्यक्षता में इलैक्ट्रानिक्स कमीशन का निर्माण किया।

इलैक्ट्रानिक्स कमीशन ने भाभा कमेटी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन किया है। सरकार ने जबकि भाभा कमेटी रिपोर्ट को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है परन्तु कार्यान्वित करने की दृष्टि से इसे सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता इलैक्ट्रानिक्स कमीशन ने इस जटिल कार्य को कार्यान्वित करने का भार सम्भाला है। इनफोरमेशन प्लानिंग तथा अनेलेसिस ग्रुप (आई० पी० ए० जी०) इलैक्ट्रानिक्स कमीशन, बम्बई इलैक्ट्रानिक्स में विभिन्न क्षेत्रों का गहन अध्ययन तथा विश्लेषण कर रहा है। इस ग्रुप ने लगभग 20 रिपोर्टें से अधिक तैयार की हैं इसके अतिरिक्त महत्व के विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञ तकनीकी पैनल बना दिए गए हैं। जैसे इलैक्ट्रानिक्स डैस्क कलक्यूलैटर्स, ग्लास बल्ब तथा टी० वी० के लिए पिक्चर ट्यूब, कनकटर्स, फराइट्रल, सेमिकंडक्टर्स तथा कम्प्यूटर्स।

चौथी योजना की क्रियान्विति में आई कठिनाइयां

4263. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार को पता है कि चौथी योजना की क्रियान्विति में कुछ बाधायें उत्पन्न हो गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ये बाधायें पांचवीं योजना की क्रियान्विति में उत्पन्न न हों, सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। माननीय सदस्य का ध्यान चौथी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन नामक दस्तावेज की ओर आकर्षित किया जाता है जिसे 22 दिसम्बर, 1971 को संसद में रखा गया था और जिस पर 5 तथा 6 अप्रैल 1972 को विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) उपर्युक्त दस्तावेज में उल्लिखित कुछ सुधारात्मक उपायों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है जैसे :—

(1) क्षमता के अष्टतम उपयोग को उच्च प्राथमिकता देना ;

(2) सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन से आवश्यक उपाय करने के लिए व्यापक कार्रवाई करना ;

(3) निर्यात वृद्धि पर अधिक बल देना ;

(4) अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात प्रतिस्थापन ;

(5) अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों को विस्तृत मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त भेजना ;

(6) राज्य स्तर पर आयोजन तन्त्र की स्थापना ;

(7) जिला आयोजन सहित बहुस्तरीय आयोजन प्रारम्भ करना ;

(8) आंकड़ा तथा सूचना तन्त्र की स्थापना ;

(9) कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए चुनींदा क्षेत्रों का प्रबोधन ;

(10) आधारभूत सामग्री की कमी का निर्धारण करना अथवा उसे दूर करने के लिए समुचित कदम उठाना ;

(11) परिवहन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय करना ।

दुग्ध उद्योग का विकास

4264. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुग्ध उद्योग के विकास के लिए मशीनों का आयात पुर्जों तथा उपकरण आयातित तथा स्वदेशी कच्चा माल पैकिंग सामग्री परिवहन सुविधाएं तथा ऋणों आदि के रूप में सहायता प्रदान करने सम्बन्धी योजना की रूप-रेखा क्या है ; और

(ख) क्या दूध की कमी वाले क्षेत्रों तथा नगरीय केन्द्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुग्ध उत्पादन संयंत्र लगाने हेतु सरकार ने उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है ; जहां दुध बहुतायत में उपलब्ध हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पशुओं की नस्ल में सुधार लाने और उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी एक पैकेज प्रस्ताव द्वारा दुग्ध उत्पादन में तेजी लाकर मुख्य रूप से संकरण द्वारा पशुओं की नस्ल में विकास करके किसानों को अधिक दूध देने वाले पशु उपलब्ध करा करके दुग्ध उद्योग का विकास करने का मूलविचार है । डेरी उपकरणों और मशीनों का अधिकतर उत्पादन देश में ही किया जा रहा है । डैरी उद्योग द्वारा अपेक्षित ऐसे उपकरणों और पुर्जों का जिनका निर्माण देश में नहीं हो रहा है आयात करने पर विचार किया जा रहा है ।

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास चार नगरों की दूध की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के विचार से सरकार ने बहुतायत में दूध खरीदने और डेरी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम "आपरेशन फ्लड" नामक पहले से ही चला रखा है जिसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र की डेरियों की दुग्ध प्रक्रिया सुविधाओं की वृद्धि करना है ।

शहरी आबादी को दूध संभरण करने को दुग्ध उत्पाद बनाने की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है । जहां कहीं भी अधिक अतिरिक्त तरल दुग्ध सुलभ है वहां उत्पादन सम्बन्धी कारखाने लगाने के लिए सभी सम्भव सुविधायें दी जा रही हैं ताकि दूध की कमी वाले क्षेत्रों की बढ़ती हुई आवश्यकतायें पूरी की जा सकें ।

संयुक्त क्षेत्र के अधीन लाए जाने वाले प्रस्तावित 75 बड़े व्यापार गृहों के औद्योगिक उपक्रम

4265. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री संयुक्त क्षेत्र की परिभाषा के बारे में 15 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े व्यापार गृहों और विशेषकर एकाधिकार आयोग द्वारा बनाए गए 75 गृहों के उन औद्योगिक उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों और ऋणपत्रों को ईक्वीटी शेयरों में बदलने का विचार है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टाटा बन्धु संयुक्त क्षेत्र के पक्ष में है; क्या टेल्को टिस्को और अन्य टाटा उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र में बदला जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा घोषित संयुक्त क्षेत्र के सिद्धान्त, जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को दिये गये ऋणों और ऋण-पत्रों को इक्विटी के रूप में बदलने के विकल्प की व्यवस्था है, वे सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने औद्योगिक उपक्रमों पर ऋण देते समय इस प्रकार की शर्त लगाना शुरू कर दिया है । इस प्रकार के ऋणों को इक्विटी में बदलने के विकल्प को व्यवहार में लाने के प्रश्न पर संस्था के लाभ अर्जित करने की स्थिति में पहुंच जाने के पश्चात ही विचार किया जा सकता है । चूंकि संस्थाओं ने इस प्रकार की शर्त हाल ही में लगाई है अतः अभी तक विकल्प के उपयोग का अवसर ही नहीं आया है ।

(ख) और (ग) . सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों के मामलों में ऋण के इक्विटी के रूप में बदलने के प्रश्न पर प्रत्येक मामले की स्थितियों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जायेगा ।

75 बड़े उद्योग गृहों को जारी किए गए आशय पत्र लाइसेंसों पर पुनर्विलोकन

4266. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री 1970-1971 और 1971-72 में जारी किए गए लाइसेंसों तथा आशय पत्रों के पुनर्विलोकन के बारे में 15 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन लाइसेंसधारियों को चेतावनी दी गई है अथवा जिनकी अवधि अन्तिम रूप से बढ़ाई गई है अथवा जिन लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो गई है अथवा जिनको रद्द कर दिया गया है उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या एकाधिकार आयोग द्वारा जिन 75 बड़े गृहों का नाम दिया गया था उनको दिए गए आशय पत्रों अथवा लाइसेंसों के मामले में हुई प्रगति के बारे में कोई पुनर्विलोकन किया गया है अथवा किया जायगा; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसे लाइसेंस-धारियों का ब्यौरा जिन्हें चेतावनी दी गई है अथवा जिन्हें अन्तिम अवधि विस्तार दिया गया/मना कर दिया गया है, सामान्य रूप से प्रकट नहीं किए जाते हैं। रद्द अथवा संहत किए गए लाइसेन्सों का ब्यौरा 'वीकली बुलेटिन ऑफ इण्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज', दि वीकली ट्रेड जरनल और मासिक 'जरनल ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' में बराबर प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) जहां तक बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किए गए आशय-पत्रों और लाइसेन्सों का सम्बन्ध है, उनकी प्रगति की संवीक्षा अन्य मामलों की ही भांति माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताये गये तरीके से की जाती है।

Embezzlement of loans granted to Bihar Khadi Gramodyog Sangh

4267. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government of India have advanced a loan of Rs. 6 crores to the Bihar Khadi Gramodyog Sangh through the Khadi and Village Industries Commission; and

(b) whether a sum of Rs. 50 lakhs has been embezzled in various centres of the Sangh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Khadi & Village Industries Commission had advanced a loan to the Bihar Khadi Gramodyog Sangh of which a sum of Rs, 5.46 crores was outstanding against the Sangh as on 31-3-1972.

(b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Decentralization of Bihar Khadi Gramodyog Sangh

4268. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Indusrrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Board of Directors of the Bihar Khadi Gramodyog Sangh at its meeting held on the 5th October, 1972 has decided to decentralize itself;

(b) whether the Bihar Khadi Gramodyog Sangh Workers Union has protested against the said decision and has demanded dissolution of the Board of Directors and take-over of the Sangh by Government; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

राजस्थान सरकार की ओर से बैराठ ग्राम का नाम बदलने का अनुरोध

4269. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से जयपुर जिले में महाभारत ख्याति के बैराठ ग्राम का नाम बदलकर विराट नगर रखे जाने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार से जिसने बैराठ ग्राम का नाम बदल कर विराट नगर रखने के सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुमति मांगी थी, जनवरी, 1972 में इस दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था कि प्राचीन काल में यह विराट नगर के नाम से ज्ञात था और उन्होंने जो सामग्री भेजी उस पर विचार किया जा रहा है ।

चौथी योजना अवधि में स्थापित किये जाने वाले एक्सचेंज

4270. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में 1500 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने और एक्सचेंजों की क्षमता में 5.65 लाख लाइनें बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ख) चौथी योजना में अब तक 834 नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जा चुके हैं और तारीख 30.9.72 तक एक्सचेंजों की क्षमता में 2.76 लाख लाइनें बढ़ाई गई हैं ।

सरकारी उपक्रमों के विज्ञापनों पर हुआ व्यय

4271. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपक्रमों द्वारा 1970-71 और 1971-72 में समाचार-पत्रों में दिए गए विज्ञापनों पर कुल कितना धन व्यय किया ; और

(ख) इस कार्य हेतु निजी विज्ञापन अधिकरणों को कितना धन दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है ।

समाचार-पत्रों में सरकारी उपक्रमों से विज्ञापन

*272. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दस समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से अधिकतम विज्ञापन प्राप्त हुए ; और

(ख) इन विज्ञापनों से प्रत्येक समाचार-पत्र को कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन उपक्रमों का कार्य-कलाप विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत आता है ।

Development of industries in Joint ventures in Bihar

4273. **Shri Madhukar** : Will the Minister of Industrial Dovelopment and Science Technology be pleased to state :

(a) whether Goverment of Bihar have formulated any scheme to develop industries in the form of joint ventures;

(b) whether the scheme has been received by the Central Government;

(c) if so, the number of new industries proposed to be set up in Bihar under the scheme the progress made in this regard so far ; and

(d) whether the Central Government have also made arrangements to call for time to time on the industrial progress in Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). No. such scheme has been received in the Ministry of Industrial Development. However, the Bihar State Industrial Development Corporation has submitted during 1972 six applications under the Industries (D & R) Act, 1951 for manufacture of Caprolactum Ammonia Sulphate, Glass Bottles, Beer, Particle Board, Oxygen and Acetylene, Soda Ash and Ammonium Chloride and there are under various stages of examination.

(d) Consultations are held with various State Governments from time to time,

Setting up of industries in Bihar in Private Sector rather than Public Sector

4274. **Shri Madhukar** : Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :

(a) whether more industries have been set up in Bihar in private sector than in public sector under the Fourth Five-Year Plan;

(b) whether it is the Government's policy to encourage public sector investment more than the private sector investment in Bihar;

(c) if so, the reasons for expanding private capital in Bihar; and

(d) the comparative figures of public and private sector investments in Bihar during the period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (d). During the Fourth Plan an outlay of approximately Rs. 800 crores has been envisaged for completion/setting up of about 15 Central Industrial projects in the State of Bihar. In addition, on outlay of the State Government, on medium and large industries for the Fourth Plan period has been indicated as Rs. 7 crores.

In the private sector, during the years 1969, 1970, 1971 and during the first half of 1972, 57 licences and 39 letters of intent have been issued in respect of the State of Bihar. A number of applications for licence/letter of intent are also under consideration. Data on actual investment in the above industrial projects in the private sector are, however, not available.

Government's policy is to secure balanced development of both public and the private sector.

Setting up of industries in backward Districts of Bihar

4275. Shri Madhukar : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any assessment in regard to the industrially backward Districts in Bihar has been made;

(b) if so, the names of such backward districts and the names of the industries being set up there with the help of Centre;

(c) whether Bihar Government have prepared a scheme in regard to the industries to be set up in such backward districts; and

(d) if so, the outlines thereof and the time by which this scheme is to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b). Bihar has been identified as one of the backward States by the Pande Working Group. Six of its Districts which have been selected for 10% Central subsidy scheme are Darbhanga, Bhagalpur, Champaran, Saharsa. Plamau and Santhal Parganas. In addition to these: the districts of Saran, Purnea and Muzzafarpur are also entitled to the concessional finance schemes of the Central Financing Institutions. The IDBI survey of industria, potential has thrown up project ideas for setting up industries relating to cement. coall aluminium, mica, ceramics, paper. petro-chemicals. textiles, jute goods, sugar. dairy, fertilizers, steel, etc. It is primarily for the State Goverment to create a climate to attract entrepreneurs in these fields to the backward areas with the incentives made available by Government of India and the Central Financing Institutions as well as its own incentive schemes. Units engaged in the manufacture of engineering and chemical items (including paper) in the districts of Champaran, Palamau, Darbhanga, Santhal Parganas, Bhagalpur, Purnea, have been sanctioned financial assistance on concessional terms by the Central financial institutions to the extent of about Rs. 17 crores.

(c) & (d). Government of India are not aware of any such plan so far.

Reopening of closed industrial units in Bihar

4276. **Shri Madhukar** : will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of medium and big industrial units in Bihar which have been lying closed for the last one year ;

(b) the number of labourers rendered jobless thereby ;

(c) the reasons therefor ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). The information has been called for and will be pleaced on the Table of the House, when reeeived.

Development of Small Scale Industries in Bihar during Fifth Plan

4277. **Shri Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Bihar State is lagging far behind several other States in the matter of development of small scale industries ;

(b) if so, the pace of investment in the small scale industries in Bihar during the Fourth Five Year Plan and how dons it compare with that in Maharashtra. Mysore, Gujarat, Punjab and Haryana ;

(c) whether Government have chalked out any scheme for the development of small scale industries of Bihar during the Fifth Plan at a faster pace ; and

(d) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b). The Fourth Plan outlay and the Progress of expenditure in respect of small scale industries in Bihar, Maharashtra, Mysore, Gujarat, Punjab and Haryana are as follows :—

S. No.	Name of the State	Fourth Plan Outlay	1969-70 Actuals	1970-71 Actuals	1971-72 Anticipated Expenditure.	1972-73 Approved Outlay	Total
1.	Bihar	385.00	42.31	60.78	78.79*	71.25**	253.13
2.	Maharashtra	300.00	34.53	56.48	68.42	7217	226.60
3.	Mysore	125.00	18.72	11.59	15.51	15.00	60.82
4.	Gujart	156.00	23.91	22.05	31.93*	88.12**	166.01
5.	Punjab	783.15	139.53	115.42	67.40*	65.05**	378.40
6.	Haryana	358.00	40.27	45.69	51.65*	34.57**	172.18

*Figures represent actual expenditure.

**Figures represent anticipated expenditure.

(c) and (d). The proposal drawn up by the Small Scale Industries Development Organisation envisages possibility for creation of 2 lakh new units in the country during the Fifth Five Year Plan period. Statewise details have not been workedout.

प्रेस सूचना व्यूरों द्वारा बम्बई के दैनिक 'मराठा' के नई दिल्ली संवाददाता के प्रत्यय पत्र को वापिस लिया जाना

4278. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस सूचना व्यूरो ने बम्बई के दैनिक समाचार पत्र 'मराठा' के नई दिल्ली स्थित संवाददाता का प्रत्यय पत्र हाल में वापिस ले लिया है ; और

(ख) क्या सरकार नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में इस संवाददाता के रुतबे तथा कार्य के बारे में इस समाचार-पत्र, प्रेस सूचना व्यूरो तथा उनके मन्त्रालय के बीच हुए पत्राचार का पूरा रिकार्ड सभा पटल पर रखेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्बन्धित पत्र-व्यवहार की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4019/72]

Special Employment Schemes Submitted by State

4279. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether a sum of about Rs. 90 crores has been sanctioned during the current year for special employment schemes sent by various States ; and

(b) if so the salient features of the schemes sent by various States and the number of persons who have been provided regular and suitable employment so far ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a and (b). A sum of Rs. 26.5 crores was allocated in the Central Budget for 1972-73 for providing assistance to various State Governments on population basis for formulating special employment programmes for the benefit of rural and urban job seekers, on the understanding that the State Governments would also mobilise additional resources at least to an equal extent. A sum of Rs. 50 lakhs was also allocated to the Union Territories for taking up similar Programmes. Some of the State Governments indicated their inability to mobilise additional resources and formulated programmes limited to the entent of Central assistance. Proposals involving an outlay of Rs. 42.2 crores formulated by State Governments and Union Territories have been approved by Planning Commission. It is expected that these programmes will generate employment opportunities to the extent of 3.70 lakhs including 11,000 engineers. The main features of these schemes have been described in the brochure on 'Employment Opportunities' copies of which are available in the Library of the Parliament and have also been circulated to the Members of Parliament.

देश में गरीबी के कारण

4280. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अत्यधिक गरीबी के क्या कारण हैं जब कि सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए अनेक उपाय करने का उपाय किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : भारत में गरीबी के कारण हैं—(1) अपूर्ण विकास (2) असमानताएं। देश के विकास तथा असमानतायें घटाने के लिये किए गए उपायों से कुछ प्रतिफल प्राप्त हुए हैं परन्तु वे इतने ज्यादा नहीं हैं कि स्थिति में आधारभूत परिवर्तन ला सकें। अतः पांचवीं योजना के दौरान इस दशा में किए जाने वाले प्रयत्नों में काफी वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में 'मराठा' का मान्यता-प्राप्त संवाददाता

4281. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई का समाचार पत्र 'मराठा' दैनिक प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो की सुविधाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के समाचार भेजने के लिए नई दिल्ली में कब से पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त संवाददाता रखे हुए हैं ;

(ख) क्या फरवरी, 1972 में प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो को इस समाचार-पत्र की ओर से एक पत्र मिला था जिसमें उसे यह बताया गया था कि सम्बन्धित संवाददाता केवल संसद् के दोनों सदनों के ही समाचार भेजता है, सरकार के समाचार नहीं भेजता है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संवाददाता को दी गई मान्यता की सुविधाओं को तुरन्त वापिस न लेने के क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस पत्र का नई दिल्ली में 14 मार्च, 1969 से 27 अगस्त, 1972 तक एक प्रत्यायित संवाददाता था।

(ख) तथा (ग). महाराष्ट्र पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, जो पत्र के मालिक हैं, के प्रबन्ध निदेशक से अप्रैल, 1972 में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें, अन्य बातों के साथ, यह लिखा था "श्री दीपक बी० आर० चौधरी लोकसभा तथा राज्य सभा की कार्यवाहियां कवर करने के लिए हमारे दिल्ली के संवाददाता हैं। वह हमारे नियमित सवेतन कर्मचारी नहीं हैं।"

जब इस पत्र पर कार्रवाई विचाराधीन थी, श्री चौधरी को अव्यावसायिक आचरण में रत पाया गया, मामले पर केन्द्रीय प्रैस प्रत्यायन समिति द्वारा विचार किया गया और उनकी सिफारिश पर उनके प्रत्यायन को वापिस ले लिया गया।

प्रेस संवाददाता का शत्रु देशों का एजेंट पाया जाना

4282. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से प्रत्यय पत्र प्राप्त एक प्रेस संवाददाता को, जो पहले 'बसुमती' के लिए तथा अब 'मराठा' के लिए कार्य करता है शत्रु देशों का एजेंट—जानकारी देने वाला पाया गया है ; और

(ख) इस पत्रकार के सम्बन्धों के बारे में प्रेस सूचना ब्यूरो को सूचित करने में गृह मंत्रालय तथा अन्य ब्यूरो के असफल रहने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) इस प्रकार की कोई असफलता नहीं हुई तथा प्रश्न नहीं उठता ।

समाचारपत्रों में कैबरे नर्तकियों के नंगे तथा भड़काने वाले चित्रों के विज्ञापन

4283. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य बड़े नगरों के लगभग सभी समाचारपत्रों में विज्ञापनों के रूप में कैबरे नर्तकियों के नंगे तथा भड़काने वाले चित्र छापे जाते हैं ;

(ख) क्या ऐसे विज्ञापनों से युवा पीढ़ी के नाजुक मन पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की आशंका है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में ऐसे विज्ञापनों को छपने से रोकने का है ; और यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). नंगे चित्र नहीं छापे जाते यद्यपि कभी-कभी चित्रों को अभद्र तथा उत्तेजक माना जा सकता है जिससे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है । इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर गृह मंत्रालय तथा अन्य सभी सम्बन्धित हितों के परामर्श से विचार किया जायेगा ।

(ग) समाचारपत्र उद्योग को अपीलें की गई हैं कि वे इस प्रकार के विज्ञापनों को न छापें। दण्डात्मक कार्रवाई सम्बन्धित राज्य सरकार के अन्तर्गत प्राधिकारियों द्वारा की जानी है ।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए काम

4284. **श्री पी० बैंकटा सुब्बया :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों को काम देने सम्बन्धी योजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही दी गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). शिक्षित बेरोजगारों की स्कीमों का सूत्रपात 1971-72 में किया गया था और निम्नांकित कार्यक्रमों के लिए 12.07 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी :

(1) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा कोटि में सुधार ;

(2) ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण ;

(3) कृषि सेवा केन्द्र ;

(4) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विस्तार ;

(5) उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता :

(6) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत पांचवीं योजना में सड़क निर्माण कार्यों के अन्वेषण पर अग्रिम कार्रवाई ; और

(7) ग्रामीण जलपूर्ति के लिए अभिकल्प (डिजाइन) एककों की स्थापना ।

ये नई स्कीमें हैं, अतः कार्यक्रमों को तैयार करने में मंत्रालयों को कुछ समय लगा और स्वीकृतियाँ नवम्बर, 1971 के बाद ही जारी की जा सकी । इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को अन्तिम रूप से 9.81 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी । वर्ष 1972-73 के दौरान इन कार्यक्रमों को जारी रखने तथा विस्तार के लिए 41.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1971-72 में पहले से तैयार की गई स्कीमों पर काम हो रहा है और आशा है कि 1972-73 के दौरान इन को पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को रोजगार देने की स्कीमों के लिए भी 1972-73 में 20 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है । जिन विभिन्न अभिकरणों के पास रोजगार देने की क्षमता है, उनके लिए आवश्यक स्कीमें तैयार की जा रही है । इस प्रकार की स्कीमों को तैयार करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिकों के पैनल गठित किए हैं । इन परिकल्पित स्कीमों में सामान्यतया ये बातें शामिल है :—

(1) सिंचाई और बिजली परियोजनाओं का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण ;

(2) प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण ;

(3) प्रौद्योगिकी स्वावलम्बन के लिए विकास और अनुसंधान परियोजनाएं ;

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रम ; और

(5) वैज्ञानिक तथा तकनीशियनों द्वारा अपना धंधा आरम्भ किया जाना ।

वैज्ञानिकों के लिए तैयार की गई गई 7.62 करोड़ रुपयों के परिव्यय की स्कीमें योजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं।

इसके अलावा, सरकार द्वारा जो अनेक अन्य स्कीमें शुरू की गई हैं और जिनका हवाला योजना आयोग की पुस्तिका रोजगार की सुविधायें (इम्पलाइमेंट अपरचुनिटीज) में दिया गया है, उनके द्वारा भी विभिन्न वर्गों के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

इन स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत निधियों के उपयोग की धीमी गति के मुख्य कारण थे—मार्गदर्शक सिद्धान्तों की तैयारी, केन्द्रीय मन्त्रालयों व राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रमों के निष्पादन में काफी समय लगने के साथ साथ कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक तन्त्र संगठित करने में भी काफी समय लगा।

इन स्कीमों का ठीक ठीक कितना प्रभाव पड़ेगा इस बारे में भी अभी बताना सम्भव नहीं, फिर भी इन स्कीमों की प्रगति की मन्त्रालय तथा योजना आयोग निरन्तर समीक्षा कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों के शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्यों में बेरोजगारी दूर करना

4285. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :** क्या योजना मन्त्री बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के बारे में 22 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य स्तर पर संगठित करने, चलाने तथा निष्पादन के लिए किसी उच्च निकाय के अभाव के कारण योजनाओं में विलम्ब हो रहा है और इस प्रयोजनार्थ कोई अनुवर्ती एजेंसी भी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). इन स्कीमों का सूत्रपात चालू वर्ष में किया गया है। इतनी जल्दी इनकी प्रगति का विश्लेषण करना सम्भव नहीं। राज्य सरकारों ने इन कार्यक्रमों के महत्व को मान लिया है और कार्यान्वयन और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्तर पर अपने यहाँ व्यवस्था की है।

जन आन्दोलन पर नियंत्रण रखने के लिए आंसू गैस गोलों का प्रयोग

4286. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अश्रु गैस के गोलों पर टार्च लाइट का उपयोग करने से उन में आग लग जाती है और गोलों से गैस का निकलना तुरन्त बन्द हो जाता है ;

(ख) क्या जन आन्दोलन पर नियंत्रण रखने के लिये यह हथियार बेकार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चन्डीगढ़ सम्बन्धी पंचाट का क्रियान्वयन

4287. श्री पी० वेंकटा सुब्बया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा जनवरी, 1970 में दिये गये पंचाट को कार्यरूप देने के मामले में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 29 जनवरी, 1970 को घोषित केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार चन्डीगढ़ को अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्र रहना है । अगली कार्यवाही इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त समय पर संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन कानून बनाना है ।

ग्रामीण लोगों के रोजगार के लिए लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना

4288. श्री पी० वेंकटा सुब्बया : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण निर्धनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये अधिक से अधिक लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). अर्ध-शहरी और पिछड़े क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण के आधार पर रोजगार के अवसर सुलभ करने के लिए मध्यम व लघु उद्योगों के संवर्धन के बारे में अनेक उपाय अपनाए गए हैं । विकास कार्यक्रम विशेषकर ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों में ऋण सुविधायें उपलब्ध करने, दुर्लभ सामग्री के सम्भरण, तकनीकी सलाह, फैक्ट्री के स्थान आदि की स्कीमें शामिल की गई हैं । चौथी योजना अवधि के दौरान, वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती दरों पर धन उपलब्ध किया जा रहा है और चुने हुए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में मध्यम तथा लघु उद्योगों के संवर्धन के लिये विनियोजन इमदाद की एक केन्द्रीय स्कीम शुरू की गई है । इन उद्योगों के संवर्धन की कुछ स्कीमों का ब्यौरा योजना आयोग की पुस्तिका "रोजगार की सुविधायें (इम्पलायमेंट अपरचुनिटीज)" में दिया गया है । इस पुस्तिका की प्रतियां संसद् सदस्यों में पहले ही प्रचारित की जा चुकी हैं ।

वर्ष 1973-74 के लिये आन्ध्र प्रदेश तथा केरल के लिये वार्षिक योजनायें

4289. **श्री वरके जार्ज :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश तथा केरल राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों के लिये वर्ष 1973-74 के लिए वार्षिक योजनायें केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिये भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अभी तक वार्षिक योजना 1973-74 के लिये प्रस्तावों का प्रारूप नहीं भेजा है। केरल सरकार ने ऐसे प्रस्ताव भेज दिये हैं।

(ख) वर्ष 1973-74 के लिये केरल के वार्षिक योजना प्रस्तावों के प्रारूप की मुख्य बातें बताते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) केरल सरकार के मसौदा प्रस्तावों पर 4 तथा 5 दिसम्बर, 1972 को कार्यकारी दलों द्वारा विचार-विमर्श किया गया था। वार्षिक योजना 1973-74 के कुछ परिव्यय तथा इसके क्षेत्रवार वितरण के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय राज्य सरकारों से और परामर्श कर शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

विवरण

1. **केरल वार्षिक योजना 1973-74 की मुख्य बातें**

(1) केरल सरकार द्वारा सुझाया गया वित्तीय परिव्यय—75.66 करोड़ रु०

(2) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये भौतिक लक्ष्य नीचे दर्शाये जाते हैं :—

मद	एकक	1973-74 प्रस्तावित लक्ष्य
1. कृषि		
(क) खाद्यान्न उत्पादन	000 मी० टन	1500
(ख) लघु सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र (शुद्ध)	000 हैक्टर	50
(ग) यंत्रीकृत नौकायें	संख्या	50

मद	एकक	1973-74 प्रस्तावित लक्ष्य
2. सिचाई क्षमता (शुद्ध)	000 हैक्टर	121.26
3. ऊर्जा		
(क) पैदा की गई विद्युत	एम० के० डब्ल्यू० एच०	2684
(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण		
विद्युतीकृत गांव (अतिरिक्त)	संख्या	100
4. यातायात एवं संचार		
सड़कें (पक्की)	000 किलोमीटर	10.40
5. सामान्य शिक्षा		
(क) नामांकन—कक्षा 1-5 6-11 आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार	प्रतिशत	112
(ख) कक्षायें 6-8 आयु-वर्ग 11-14	प्रतिशत	65
(ग) इंजीनियरिंग कालेजों में वार्षिक प्रवेश	संख्या	1046
6. आवास		
निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	300

आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं से आय

4290. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों की वाणिज्यिक सेवाओं से स्टेशनवार, कितनी आय हुई;

(ख) आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं की आय को देखते हुए क्या रेडियो टेलीविजन लाइसेंस शुल्क में कटौती की सिफारिश करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4020/72]

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठाता।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में टेलीविजन सैटों का बनाया जाना

4291. नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न आकार के टेलीविजन सैट बनाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है;

(ख) देश में भावी तीन वर्षों के दौरान अनुमानत: कितने टेलीविजन सैटों की आवश्यकता होगी; और

(ग) विभिन्न प्रकार के टेलीविजन सैट जनता को कम से कम कितने-कितने मूल्यों पर उपलब्ध होगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सभी प्रकार के स्क्रीन साइज के टी० वी० सैटों की स्वीकृत क्षमता प्रति वर्ष 2.8 लाख से ऊपर है। इसमें से 1,10,000 सैटों की क्षमता संगठित (निजी तथा सरकारी दोनों) क्षेत्र के लिये स्वीकार की जा चुकी है और 1,70,000 से अधिक सैट लघु उद्योग क्षेत्र के लिये हैं।

(ख) 1969 में आकाशवाणी द्वारा मांग सम्बन्धी अध्ययन किया गया, और अनुमान लगाया कि चतुर्थ पँच वर्षीय योजना के अन्त तक 3,70,000 सैटों की आवश्यकता पड़ेगी। इस आधार पर टी० वी० सैट की कीमत 2000/- रुपये निर्धारित है जो पहले लगाये जा चुके हैं, आगामी तीन वर्ष तक की सम्भावित आवश्यकता जो 1975 के अन्त तक होगी तीन लाख से अधिक ही होगी। टी० वी० सैटों की मांग से टी० वी० सैटों को कीमत दुगनी 1250-1500/- प्रति सैट होने की सम्भावना है।

(ग) देश में निर्मित सैटों की कीमत, जो जनता के लिये उपलब्ध हैं एक्साइज तथा बिक्री कर को निकाल कर निम्नलिखित है :—

स्क्रीन साइज	कीमत
23"/24"	2,050 रुपये
19'	1,800 रुपये

टी० वी० सैटों की कीमते नीचे लाने के लिये कुछ आवश्यक कदम विचाराधीन है :—

(1) उत्पादन की अधिक मात्रा स्थापित करके इलैक्ट्रानिक्स घटकों की कीमतों में क्रमिक कमी, घटक टी० वी० सैटों के मूल्य को प्रभावित करने वाला एक ठोस भाग है, विशेष रूप से,

भारत सरकार टी० वी० पिक्चर-ट्यूबों की कीमत घटाने के उपायों पर विचार कर रही है जो एक मात्र रूप से बड़ी मदद है।

(2) टी० वी० सैटों की बड़ी मात्रा का उत्पादन, ताकि मांग के अनुकुल सम्पूर्ति हो, इस दिशा में पार्टियों को एक बड़ी संख्या को स्वीकृति प्रदान की गई है विशेषरूप से लघु उद्योग क्षेत्र में और यह आशा की जाती है कि इससे काफी वाणिज्य स्पर्धा जागृत होगी।

(3) ट्रांजिस्टर युक्त टी० वी सैटों का उत्पादन,

(4) छोटे पर्दे वाले टी० वी० सैटों का आरम्भ करके, छोटे टी० वी० ट्यूबों/पर्दों से सम्बन्धित तकनीकी/मार्केटिंग स्वरूप है जो विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

Loss incurred by Bihar Khadi Gramodyog

4292. **Shri M. S. Purty : Will the Minisler of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :**

(a) whether Bihar Khadi Gramodyog has been incurring loss of rupees four thousand per day;

(b) if so, since when it has been running in loss and the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (c). Information is being collected and will be placed on the table of the House.

दिल्ली कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में लघु उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमकर्ताओं को सहायता देना

4293. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली कलकत्ता, बम्बई मद्रास के लघु उद्योग उद्यमियों को केन्द्रीय सरकार ने पृथक पृथक कितनी राशि बांटी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किसी एक उद्यमी को सहायता की अधिक से अधिक कितनी राशि दी गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार व्यक्तिगत उद्यमियों का रुपया नहीं बांटती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी ऐजन्सी के माध्यम से बेरोजगारी विज्ञान स्नातकों को रोटरी प्रिंटिंग प्रेस आदि देना

4294. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बेरोजगार विज्ञान स्नातकों को सरकारी एजेन्सी के माध्यम से रोटरी प्रिंटिंग प्रेस, फेब्रीकेटिंग तथा वैल्डिंग मशीनों आदि देने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). किराया खरीद योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, और अन्य लोगों के साथ बेकार वैज्ञानिक स्नातक किराया खरीद के अधार पर मशीनें प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा इस श्रेणी के लोगों के लिए अलग से कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

इंजीनियरों को रोजगार देने के किए नियोक्ता एककों में उत्पादकता बढ़ाने की योजना

4295. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत नियोक्ता एककों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए सभी राज्यों से एक योजना की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). बेरोजगार इंजीनियरों और डिप्लोमा धारियों को रोजगार मुहैया करने की दृष्टि से तैयार की गई कई स्कीमों में से एक स्कीम सरकार द्वारा इस वर्ष शुरू की गई है, जिसके द्वारा 25 लाख रु० या इससे कम जमा पूंजी वाले उद्योगों में इंजीनियर और डिप्लोमाधारियों को नियुक्त किया जा सकता है। इस स्कीम के अनुसार सरकार एक इंजीनियरी-स्नातक के लिए 50 प्रतिशत राज सहायता, जो 200 रु० प्रतिमाह से अधिक न हो, तथा एक डिप्लोमाधारी के लिए 125 रु० प्रतिमाह की राज सहायता एक वर्ष की अवधि के लिए देती है। इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों की रोजगार मिलने के अतिरिक्त इस योजना से यूनिटों की उत्पादकशीलता में पर्याप्त सीमा तक सुधार करने की सहायता मिलेगी। एक वर्ष की अवधि पूरी हो जाने पर उद्योगपति चाहें तो ऐसे इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों की सेवा जारी रख सकता है जो उनकी समझ में उनकी यूनिट के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। दूसरे लोगों को इससे इतना अनुभव मिल जाएगा कि वे आम निजी रोजगार स्थापित कर सकें।

इस स्कीम की प्रगति का अभी से अनुमान लगाना सम्भव नहीं क्योंकि यह स्कीम केवल कुछ ही महीने पूर्व प्रारम्भ की गई थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना

4296. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए गंभीर प्रयास करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके कोई परिणाम निकले है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के वित्त पोषण में राज्यों के अतिरिक्त संसाधनों से कितनी सहायता मिली है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां, राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि विकास की गति में तेजी लाने के लिए वे अपनी योजनाओं के लिए अधिकतम अतिरिक्त संसाधन जुटायें।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों तथा उनके उद्यमों द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए जो उपाय बरते गये उनसे चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 657 करोड़ रुपये और चौथी योजना अवधि के दौरान लगभग 996 करोड़ रुपये उपलब्ध होने की सम्भावना है जब कि चौथी योजना का लक्ष्य 1098 करोड़ रुपये रखा गया था।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी दल के दौरे पर हुआ व्यय

4297. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दल के रूस के दौरे पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) दल में कौन-कौन व्यक्ति सम्मिलित थे तथा उनके पदनाम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) लगभग 55,608.00 रुपये।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के नाम उनके पदनामों के साथ निम्नलिखित हैं :—

1.	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	मंत्री
2.	श्रीमती सी० सुब्रह्मण्यम	
3.	डा० वाई० नयुदम्मा	महा निदेशक तथा भारत सरकार के सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली।
4.	श्री एम० एम० सूरी	सदस्य, विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति।

5.	डा० बी० डी० तिलक	निदेशक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के सदस्य।
6.	डा० ए० के० घोष	आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय।
7.	श्री पी० बी० कृष्णस्वामी	मंत्री के निजी सचिव।

भारत में खाद्य निर्यात एककों के बारे में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा निदेशिका का प्रकाशन

4298. **श्री के० लकप्पा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने हाल में एक निदेशिका प्रकाशित की है जिसमें भारत में खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रहे लगभग 10,000 कारखानों से सम्बन्धित समेकित जानकारी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस निदेशिका में क्या जानकारी दी गई है ; और

(ग) खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए यह जानकारी कितनी लाभप्रद रहेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) नाम, पते, दूरभाष संख्या, तार के पते, उत्पादों के नाम, किस्म और निर्माता एककों की स्थापना के वर्ष सम्बन्धी सूचना निदेशिका में दी गई है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सरकारी विभागों, अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों, निर्यात उन्नत करने वाले अभिकरणों, खाद्य उत्पाद के निर्यातकों, खाद्य मशीनरी एवं उपकरणों के संभरणकर्ता एवं निर्माणकर्ता, भारतीय खाद्य नियमों, खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक संस्थान के उल्लेख और खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मुख्य-मुख्य पत्रिकाएं सम्बन्धी सूचना भी इस निदेशिका में प्रदान की गई है।

(ग) देश में खाद्य उद्योगों को प्रोत्साहित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी को विकासशील बनाने के लिए ये सूचनाएं महत्वपूर्ण होंगी। सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों, योजना विभागों, अनुसंधान कार्मिकों, परामर्शदात्री फर्मों और खाद्य उद्योगों के क्षेत्र में उद्योग प्रारम्भ करने वालों के लिए भी यह लाभदायक होंगी।

सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षित कोटे को भरना

4299. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा सम्बन्धी मामलों विशेषकर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियों

के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1971 से 1 नवम्बर, 1972 के बीच कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए कार्यालय ज्ञापनों की संख्या क्या हैं ;

(ख) सीधी भर्ती और पदोन्नति में उनके लिए आरक्षित कोटे को भरने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को अधिकाधिक नौकरियां देने में उनसे (ज्ञापनों से) कहां तक सुविधा मिली है ; और

(ग) क्या प्रत्येक कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ग). 1 जनवरी, 1971 से 1 नवम्बर, 1972 तक कार्मिक विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को उनकी नियुक्ति का सम्बन्ध में दिए गए आरक्षण। सुविधाओं के बारे में जारी किये गये कार्यालय ज्ञापनों की एक एक प्रतिलिपि संलग्न की जाती है (अनुबन्ध I से XIII तक)। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी०-4021/72]

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को सेवाओं में दी गई रियायतों तथा आरक्षणों और इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों के परिणामस्वरूप, सरकार के अधीन सेवाओं में इन जातियों के उम्मीदवारों को अधिकाधिक नौकरी देने का प्रतिनिधित्व निरन्तर बढ़ता रहा है। तथापि, यह सही रूप से नहीं बताया जा सकता कि इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी विशेष अनुदेश के द्वारा आरक्षित कोटे को भरने में कहां तक सुविधा मिली है।

सेवाओं के मामलों में उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के निर्णय

4300. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाओं के मामलों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1972 से उच्चतम न्यायालय अथवा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कितने निर्णय दिये ;

(ख) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति लिये जाने में उनका (निर्णयों से) कहां तक अच्छा प्रभाव पड़ा है अथवा बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार प्रत्येक निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ग). सेवा के मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को सर्विसेज ला रिपोर्टर" तथा अन्य 'लॉ जरनलों' में प्रकाशित किया जाता है। सेवा के मामलों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1972 से उच्चतम न्यायालय के 25 निर्णय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के 46 निर्णय दिये गए हैं जो कि 'सर्विसेज लॉ रिपोर्टर' के जनवरी 1972 से दिसम्बर, 1972 तक के उसके अंकों में प्रकाशित किए गए हैं। चूंकि निर्णयों की संख्या काफी

बड़ी है, अतः विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारियों या उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालयों से उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना और उन्हें सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

(ख) सेवा के मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से सम्बन्धित अनेक प्रकार के सेवा मामले समाहित है। किसी राज्य सरकार के अधीन सेवाएं केवल उस सरकार के क्षेत्राधिकार का ही विषय है, अतः निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति लिए जाने में निर्णयों का कहां तक अच्छा प्रभाव पड़ा है अथवा बुरा प्रभाव पड़ा है।

प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व

431. **श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केवल उनके लिए विशेष भर्ती करने का है ताकि कमी दूर की जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार के अधीन सेवाओं / पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था किसी संवर्ग या सेवा की कुल संख्या से सम्बन्धित न होकर समय-समय पर होने वाली रिक्तियों के समानुपात से की गई है। पदों की कुछ श्रेणियों में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तयां इन जातियों के उम्मीदवारों से भरी जा रही है। उदाहरणतः, वर्ष 1964 से आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में तथा साथ ही साथ श्रेणी—I तथा II केन्द्रीय सेवाओं में जिनमें भर्ती भारतीय देशासनिक सेवा आदि परीक्षा के आधार पर की जाती है, वर्ष 1971 की परीक्षा को छोड़कर जहां अनुसूचित जन-जातियों के सम्बन्ध में कुछ न्यूनता रही है, सभी आरक्षित रिक्तयां इन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जा रही हैं। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए श्रेणी I तथा II पदों में कुछ आरक्षित रिक्तयां विशेषतः वे जिनमें विशेषज्ञ तथा तकनीकी योग्यताओं की आवश्यकता थी, उन्हें इन जातियों के उम्मीदवारों से न भरा जा सका, क्योंकि निर्धारित योग्यताएं आदि प्राप्त किए हुए और आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त उक्त जातियों के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध न थी।

(ख) तथा (ग) : टी० देवदासन बनाम भारत संघ तथा अन्य के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, किसी भर्ती वर्ष में भरी जाने वाली 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तयों पर

आरक्षण देना संविधान के अनुच्छेद 16 के उपबन्धों के शक्तिवाह्य होगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों तथा निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए विद्यमान आरक्षणों की सीमा पहले ही 50 प्रतिशत की उच्चतम अनुज्ञेय सीमा तक पहुंच गई है। अतः केवल अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिए ही किसी विशेष भर्ती को सीमित करना सम्भव नहीं हो सकेगा। यथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षणों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गये आदेशों में पहले से ही व्यवस्था है कि एक वर्ष के दौरान, आरक्षित रिक्तयां जो इन जातियों के उम्मीदवारों से न भरी जा सकें, उन्हें आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रेनीत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ, अग्रेनीत अवधि के अन्तिम वर्ष में अनुसूचित जातियों के लिए की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जन-जातियों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और इसके विपरीत क्रम से (अनुसूचित जन-जातियों के लिए की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के उपयोग में लाया जा सकता है)।

अमृतसर के अनेक गांवों के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां

4302. **श्री आर० एल० भाटिया :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर के ग्राम मारजिन्दपुरा तथा दूसरे गांवों के स्वतन्त्रता सेनानियों से उनके द्वारा भुगती गई कैद के समर्थन में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के सिलसिले में उनके द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों के बारे में अक्तूबर, 1972 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों को जेल प्रमाण-पत्र प्राप्त कराने में हर सुविधा देने के लिए सभी उप-आयुक्तों को अनुदेश जारी किये हैं।

Possibility of gap in balance of payment in respect of Foreign Loans during Fifth Plan

4303 **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) wehther there is a possibility of a gap of about Rs. 3,000 crores in the balance of payment in respect of foreign loans during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) whether it will have direct impact on deficit financing during the plan period?

The Minister at State in the Ministry of hlanning (Shri Mohan Dharia) : (a) Approach to the Fifth Five Year Plan and other relevant studies are yet under discussion and it may not be possible to indicate exten t of such gap at this stage.

(b) Does not arise.

प्रवर्तन उप-निदेशक, मद्रास, द्वारा फिल्मस्टार श्री एम० जी० रामचन्द्रन् को जारी किये गये निदेश

4304. **श्री सी० चित्तिबाबू :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन उप-निदेशक, मद्रास द्वारा फिल्म-स्टार श्री एम० जी० रामचन्द्रन् को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत एक निदेश जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस तारीख से जारी किया गया था ;

(ग) क्या उस व्यक्ति से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी अथवा करने का विचार है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान । प्रवर्तन उप- निदेशक, मद्रास, द्वारा श्री एम० जी० रामचन्द्रन् को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एक निर्देश जारी किया गया था ।

(ग) तथा (घ) : श्री एम० जी० रामचन्द्रन् से प्राप्त हुए उत्तर भी जाचांधीन हैं । इस विषय में अन्य ब्यौरा प्रकट करना उचित न होगा, क्योंकि इससे जांच कार्य में बाधा पड़ सकती है । जांच के परिणामों के आधार पर विधि के अनुसार यथोचित कार्यवाई की जाएगी ।

पूर्वोत्तर परिषद के सलाहकारों का कार्य तथा उत्तरदायित्व

4305. **श्री रोबिन काकोटी :**

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर परिषद् के विभिन्न सलाहकारों का कार्य तथा उत्तरदायित्व क्या है ?

गृह मंत्रालय मे उपमन्त्री (श्री एम० एच० मोहसिन) : सलाहकार, परिषद के सचिवालय के एक भाग हैं तथा परिषद के अध्यक्ष के निर्देशन, निरीक्षण व नियन्त्रण में कार्य करते हैं । उनके कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का विकास परिषद की प्रगति के साथ होगा । वर्तमान में उनके कार्य इस प्रकार हैं :--

(1) योजना सलाहकार से परिषद के योजना विभाग से नियोजन, मन्त्रणात्मक एवं सांख्यकीय खंडों में मार्गदर्शन तथा निरीक्षण करने और उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम 1947

की धारा 4 की उपधारा (1), (2) तथा (3) में निर्धारित किये गये कार्यों में सहायता करने की आशा की जाती है।

(2) आर्थिक सलाहकार का कार्य योजना विभाग में प्रयोजना तथा परियोजनाओं की आर्थिक दृष्टि से जांच तथा पुनरीक्षण करने में सहायता करना है और गृह व्यवस्था विभाग के आर्थिक मामलों में सलाह देना है।

(3) सुरक्षा सलाहकार का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थिति, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में निर्धारित की गई है, की समीक्षा करने में सहायता करना है।

Recovery of a gas revolver and capsul from a Foreigner by Delhi Police

4306. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of Home Affiars be pleased to state:

(a) whether foreign made gas revolver and capsule were recovered by Delhi Police from a foreigner in the month of November, 1972;

(b) the use of the revolver and its results after use; and

(c) the action since taken by Government against the accused?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) According to the expert opinion the teargas revolver is a fire-arm and the capsules are ammunition within the meaning of The Arms Act 1959. When used it would produce tears in the eyes.

(c) A case was registeread under The Arms Act, 1959, the accused was arrested and the revolver along with the capsules was taken into pessession by the police, The case will be put in the court shortly.

संकटग्रस्त औद्योगिक कारखाने

4307. श्री **नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े तथा मध्यम स्तर के ऐसे औद्योगिक कारखानों की संख्या कितनी है जिन्हें 31 जुलाई, 1972 तक संकटग्रस्त घोषित किया गया है अथवा जो बन्द होने वाले हैं ; और

(ख) हजारों मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए सरकार इन कारखानों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ऐसी कोई भी निर्धारित प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा उन औद्योगिक एककों को जो बन्द होने की

स्थिति में पहुंच गये हैं उन्हें "रुग्ण" घोषित किया जा सके। फिर भी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित औद्योगिक उपक्रमों के कार्यों जहाँ कहीं भी उत्पादन में अनुसूचित गिरावट आ गई है या एकक का प्रबन्ध "लोक हित" के लिये घातक तरीके से किया जा रहा है, की जांच करने के लिये सरकार को पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। उक्त अधिनियम के उपबंधों में इस प्रकार के एकक के पुन: स्थापन के लिये अधिग्रहण की भी व्यवस्था है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा विभिन्न समितियों में सदस्यों का नामांकन

4308. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने जल प्रदाय और मल व्ययन समिति तथा दिल्ली परिवहन निगम में बहुत समय तक अपने सदस्यों को नामांकित नहीं किया जिससे इन निकायों की कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान् सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू होता है के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड का नामांकन जहाजरानी व परिवहन मन्त्रालय द्वारा किया जाना है और 3 नवम्बर, 1971 को उसके स्थापित होने के दिन से ही बोर्ड में दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधित्व दिल्ली परिवहन के निदेशक द्वारा किया जाता रहा। जहाँ तक जल प्रदाय तथा मल व्ययन समिति का सम्बन्ध है दिल्ली के उप राज्यपाल ने सर्वश्री जे० एम० दवे, सलाहकार (पी० एच० ई०) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय, भारत सरकार और बी० पी० वर्मा, लोक स्वास्थ्य इंजीनियर, दिल्ली प्रशासन को क्रमश: सर्वश्री टी० दुराई राज तथा बी० पी० शर्मा जिनका अब स्थानान्तरण किया गया है, के स्थान पर 3 अक्तूबर, 1972 से उक्त समिति के सदस्यों के रूप में नामांकित किया है।

Delivery of Mail in Delhi

4309. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the frequency of delivery of mail is not uniform throughout Delhi;

(b) if so, the number of times the mail delivered zone-wise; and

(c) the reason for the difference in delivery schedule and the efforts made or proposed to be made to make it uniform ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguan) : (a) Yes, Sir.

(b) In the established urban area, unregistered articles are delivered thrice a day and accountable articles *viz.*, registered, parcels and money orders are delivered once a day through Postmen. In rural areas the mails are delivered only once a day, the delivery being comibned when all categories of mails are delivered at one, and the same time. A statement the number of deliveries Zone-wise is placed on the table of the Lok Sabha. [**Placed in Library. See No. LT.-4022/72**]

(c) The reosons for difference in the number of deliveries in different localities are mainly quantum of mails, mode of eonveyance and the distance of various post offices from despatching points. The arrangements are revised as and when necessitated by a change in any of the factors mentioned above. Since these factors, on the basis of which number of deliveries are determined, are not uniform in various zones, the number of delivery can also not be uniform.

Compensation demanded of I. T. I., Bangalore

4310. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore has been asked to pay compensation for supplying defective cross bar equipment; and

(b) if so, the amount of compensation demanded and the reaction of the company thereto ?

The Minister of Communication (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b). Issues relating to the supply of cross-bar switching equipment, which did not conform to the standards laid down, were taken up with the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, who replied that the equipment supplied by them was according to the designs furnished by the foreign collaborators *viz.*, Bell Telephone Manufacturing Company of Belgium. The issue of rectification of the crossbar equipment supplied by the Bell Telephone Manufacturing Company to the Posts & Telegraphs Department was raised with them and the same is under execution. The cost of the rectification for the 48,000 lines of crossbar switching equipment supplied by the Belgian Company to the Posts & Telegraphs Department is being borne by them. A Task Force consisting of the engineers of the Posts & Telegraphs Department and Indian Telephone Industries Limited is currently working out solutions for further improvements to be adopted in future production by the Indian Telephone Industries Limited.

जयपुर में टेलीविजन सुविधाएं

4311. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान क्षेत्र के लिए जयपुर में टेलीविजन सुविधाए आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जयपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

निषिद्ध राइफलें आदि (बोर आर्म्स) के लिये भूतपूर्व नरेशों को हथियारों का लाइसेंस

4312. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष मामले के रूप में भूतपूर्व नरेशों को निषिद्ध राइफलों आदि के लिए लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) . भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्रत्येक भूतपूर्व नरेश अथवा उसके परिवार के भूतपूर्व छूट प्राप्त सदस्य को लाइसेंस के अधीन, किसी श्रेणी की एक निषिद्ध हथियार रखने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि (I) छूट के अधीन अतीत में भूतपूर्व छूट प्राप्तकर्ता द्वारा पहले ही ऐसा हथियार रखा गया है, और (II) निषिद्ध राइफल को रखने के लिए छूट उसके लिए निजी है और यह उसकी मृत्यु पर स्वतः समाप्त हो जायगी । यह निर्णय आपवादिक मामलों में विशिष्ट अथवा भावनात्मक आधार पर जनता के अन्य व्यक्तियों को निषिद्ध हथियार के लिए लाइसेंसों की स्वीकृति के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

फटे-पुराने करेंसी नोटों को नष्ट करने के लिए अपनायी गई विशेष प्रक्रिया के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रकट किये जाने की समाचार

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं माननीय वित्त-मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

"फटे-पुराने करेंसी नोटों को नष्ट करने के लिए अपनाई गई विशेष प्रक्रिया के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रकट किये जाने के समाचार ।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में साधारणतः, प्रेषणाओं या टेण्डरों से प्राप्त प्रत्येक पृथक नोट की परीक्षा और गणना सिक्का/नोट परीक्षक द्वारा की जाती है और उसके बाद उनके काम की प्रतिशत आधार पर जांच की जाती है । जारी किए जाने के अयोग्य समझे जाने वाले नोटों को नष्ट कर दिया जाता है । यद्यपि यह कार्यप्रणाली 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की सभी प्रेषणाओं के सम्बन्ध में अपनाई जा रही है, तदपि रिजर्व बैंक समय-समय पर कम मूल्य की विशिष्ट प्रेषणाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जांच को, टेण्डर से प्राप्त कुल नोटों की एक प्रतिशतता तक सीमित करने के आदेश जारी कर देता है । यह विशेष कार्यप्रणाली कार्यभार और संचित परिमाण की निकासी की आवश्यकता के अनुसार, किन्तु सभी समय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपनाई जाती है ।

संशोधित कार्य-प्रणाली का विरोध करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के बम्बई कार्यालय में गत जून में पड़ताल हुई । समझौते की शर्तों के अनुसार, जिस पर पहली जुलाई, 1972 को हड़ताल समाप्त की गई, बैंक ने अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ से 14 नवम्बर, से लेकर

18 नवम्बर तक संशोधित कार्यप्रणाली से उत्पन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। कर्मचारी-संघ से बातचीत के दौरान बैंक ने अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों के खराब नोटों की जांच करने और निबटाने सम्बन्धी अनुभव का उल्लेख किया और बताया कि हमारे देश में अपनाई गई कार्यप्रणाली में न तो कोई असामान्य बात है और न हो यह अभूतपूर्व है। बैंक से कर्मचारी-संघ को यह आश्वासन भी दिया कि इस बात की कतई सम्भावना नहीं है कि सिक्कों अथवा नोटों के परीक्षकों के पद समाप्त किए जाएंगे बल्कि इसके विपरीत पदों की संख्या में वृद्धि हुई है और वृद्धि होती ही रहेगी। कर्मचारी-संघ ने इस बात पर जोर दिया कि संशोधित कार्यप्रणाली को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए और बैंक से तदनुसार आश्वासन भी चाहा। बैंक इस प्रकार का आश्वासन देने की स्थिति में न था।

अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के कहने पर बैंक के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी 5 दिसम्बर, 1972 से लगातार, या तो कार्यालय का समय होने से पूर्व अथवा भोजन के समय प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 दिसम्बर को रिजर्व बैंक के अधिकांश कार्यालयों में कर्मचारी काम प्रारम्भ होने पर एक घण्टे देर से आए। इस प्रकार के विरोध-प्रदर्शन में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया इसकी संख्या अलग-अलग कार्यालयों में अलग-अलग थी।

प्रो० मधु दंडवते : इस प्रक्रिया से कुछ लोगों की नौकरी भी समाप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण करेंसी नोटों में लोगों के विश्वास क्या हैं। करेंसी के विनियमन का कार्य तथा कुछ नोटों को खत्म की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है।

पुरानी प्रक्रिया के अनुसार फटे पुराने तथा खराब तथा अप्रयुक्त नोटों की गणना की जाती थी तथा उनमें से अच्छे तथा पुन: जारी किये जा सकने वाले नोट निकाले जाते थे और उनकी सौ सौ की गठिया बनाई जाती थी। अच्छे नोटों को नये नोटों के साथ नत्थी कर दिया जाता था और खराब नोटों को नष्ट कर दिया जाता था। खराब नोटो को पंच कर दिया जाता था। अत: उनके पुन: जारी किये जाने की सम्भावना नही रहती थी।

1964 में 'आयात प्रक्रिया' लागू की गई और 1970 में विशेष प्रक्रिया जिसे रूपभेदित प्रक्रिया भी कहा जा सकता है लागू की गई। इससे प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों का कार्य समाप्त हो गया। पुरानी प्रक्रिया को लागू करने का उद्देश्य यह देखना था कि वित्त का लेने देन ठीक हो, धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके तथा अच्छे नोटों की छटनी की जा सके। इससे नये नोटों की प्रिंटिंग तथा नोटों के लिए कागज व आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा में काफी बचत हो जाती थी। नई प्रतिक्रिया के अनुसार विभिन्न संस्थाओं द्वारा भेजे गये पुराने नोटों की छटनी नहीं की जाती और उन्हें सीधे जलाने के स्थान पर ले जाया जाता है और पर्यवेक्षकों के समक्ष लाखों रुपयों के नोटों को नष्ट कर दिया जाता है। सौ रुपये के नोटों के बंडल में 50 अथवा 60 अच्छे नोट होते हैं जिनको पुन: जारी किया जा सकता है। परन्तु रेलवे 'बेस्ट' जैसे सामान उनको खराब कह देते है और रिजर्व बैंक द्वारा बिना जांच किये उनको नष्ट कर दिया जाता है। इन नोटों को पंच भी नहीं किया जा सकता है। अत सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इनको चोरी कर

[प्रो० मधु दडंवते]

पुन: बाजार में चलाया जा सकता है ऐसी शंका है । इससे मुद्रास्फीति की नई प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। अतः यदि करेंसी में लोगों का विश्वास खत्म हो गया तो यह एक खतरनाक बात होगी ।

माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में कुछ गलत आंकडे प्रस्तुत किये हैं । उन्होंने कहा है कि 100 रुपये के नोटों के बंडल में अधिकांश नोट फटे पुराने होते हैं ? यदि आप दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भेजे गये नोटों के बंडल को देखें तो आपको पता लगेगा कि उसमें 50 अथवा 60 नोट अच्छे होते हैं जिनको पुन जारी किया जा सकता है इस प्रक्रिया के विरोध में रिजर्व बैंक, बम्बई के कर्मचारियों ने जून 1972 में 14 दिन तक हड़ताल की थी । कलकत्ता, दिल्ली तथा कुछ अन्य स्थानों पर भी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी । बाईकुला में काम करने वाले दो अधिकारियों ने नई प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने से इन्कार कर दिया था । अत: उनको निलम्बित कर दिया गया था । इसके कारण 14 दिन की हड़ताल हुई । वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि नई प्रक्रिया के बारे में अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ से बातचीत की जायेगी और किसी भी कर्मचारी को दड नहीं दिया जायेगा । इसके पश्चात सम्बन्धित अधिकारियों की वार्षिक वृद्धियाँ स्थगित कर दी गई । वित्त मन्त्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की जांच करेंगे । सरकार ने पद समाप्त करने, संगणक लगाने तथा तबादले की नीति के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रकट किये जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया है । माननीय मंत्री ने इस अपने वक्तव्य में इन समस्याओं पर विचार नहीं किया है ।

कल 18 केन्द्रों में एक घण्टे के लिए कार्य बन्द रहा । इन मामलों की ओर अनेक मजदूर संघों तथा अर्थ शास्त्रियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है । अत: मैं इन सभी समस्याओं पर माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । इस बात को देखने के लिए नोटों को नष्ट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाये रिजर्व एक उचित प्राधिकार है । नोटों को जारी करने तथा समूची करेंसी पद्धति की सुरक्षा की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है । 1964 से ही संशोधित कार्य-प्रणाली पर कार्य हो रहा है । पुरानी प्रक्रिया 1934 अथवा 1935 में लागू की गई थी । परन्तु अब नोटों का परिचालन पहले से अब बहुत अधिक है । अत: रिजर्व बैंक के लिए नई प्रक्रिया अपनाना आवश्यक था । अत: इस बात का निर्णय करना कि कौन सी प्रक्रिया उचित रिजर्व बैंक का कार्य । उसके पास आवश्यक तकनीकी जानकारी भी है ।

जहां तक पद समाप्त करने की बात है मैं बताना चाहता हूं कि नोटों तथा सिक्कों की जांच करने वालों की संख्या 1966 में 2987 थी जो मार्च 1972 में बढ़कर 4509 हो गई है । अत: यह कहना ठीक नहीं है कि नौकरी के अवसर खत्म किये जा रहे हैं । संगठन तथा एशोशियन को आश्वासन दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की छटनी नहीं की जायेगी । अत: नौकरी के अधिक अवसर उत्पन्न हुए हैं । नोटों की जांच के 19 नये अनुभाग खोले गये है और इस प्रकार इस अनुभागों की संख्या 89 हो गई है । प्रत्येक अनुभाग में 45 व्यक्ति होते हैं । भावी आवश्यकताओं को देखते हुए नये अनुभाग खोलने पर विचार किया जायेगा । अत: आंकड़ों तथा तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि इस बारे में माननीय सदस्य की शंका ठीक नहीं है ।

100 रुपये तथा इससे अधिक के मूल्य के नोटों की शत प्रतिशत जांच की जाती है । इस बारे में प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । थोड़े मूल्य के नोटों के मामले में ही नई

प्रक्रिया लागू की गई है। स्टेट बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन नोटों को गारंटी संदूकों में भेजा जाता है और इस पर रिजर्व बैंक द्वारा अचानक जांच भी की जाती है। इस सम्बन्ध में परीक्षात्मक जांच की प्रक्रिया भी लागू है।

इस बात को देखते हुए कि थोड़े मूल्य के नोटों की जांच में बहुत अधिक व्यय होता है और इसमें जोखिम कुछ भी नहीं है, नई प्रक्रिया को लागू किया गया है।

मैं माननीय मंत्री को आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी पहलुओं पर सावधानी से काम लिया गया है।

समझौता करते समय इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि हड़ताल की अवधि को बिना वेतन की छुट्टी समझा जायेगा और इस अवधि को वार्षिक वृद्धि के लिए भी नहीं गिना जायेगा। यह नीति अनेक वर्षों से अपनाई जा रही है।

प्रो० मधु दंडवते : इस प्रक्रिया को लागू किये जाने से पूर्व रिजर्व बक म उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता था कि रेलवे, 'बैस्ट' तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा, भेजे जाने वाले प्रत्येक 100 नोटों में से 50 अथवा 60 अच्छे नोट होते थे जिसको पुनः जारी किया जा सकता था। अतः यह कहना ठीक नहीं है सभी नोटों की जांच कर ली जाती है और सभी फटे पुराने नोट अच्छे होते हैं।

जहां तक कानूनी स्थिति का प्रश्न है हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि रिजर्व बैंक को स्वायतता प्राप्त है परन्तु फिर भी यदि लोगों को विश्वास करेंसी से उठ जाता है तो मेरे विचार में माननीय रिजर्व बैंक को उचित परामर्श तथा निदेश दे सकते हैं। नोटों को नष्ट करने की जिम्मेदारी केवल दो अथवा तीन व्यक्तियों पर है। क्या उनके विचार में कदाचार नहीं हो सकता है ?

श्री० के आर० गणेश : में आंकड़ों का पता करूंगा और माननीय सदस्य के आंकड़े सप्लाई कर दूंगा।

——————

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

औद्योगिक विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1970-71 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

(2) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**मंत्रालय में रखे गये**। देखिए संख्या एल० टी०-4000/72]

भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) मैं श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तार (नौवां संशोधन) नियम, 1972, को भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1390 में प्रकाशित हुए थे। [**मंत्रालय में रखी गई**। **देखिए** संख्या एल० टी०-4001/72]

(2) भारतीय तार (दसवां संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर, में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1480 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई**। **देखिए** संख्या एल० टी०-4002/72]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 467(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) चौदहवां संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 473(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) उन्नीसवां संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 474(ङ.) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई**। **देखिए** संख्या एल० टी०-4002/72]

(2) (एक) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड 1) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4003/72]

Notification Under Compainies Act

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : I beg to lay on the table a copy of each of the follwing paper.

(1) A copy of the Annual Report (Hindi version) of the Tannery and Footwear Corporation of India Limited, Kanpur, for the yer 1970-71 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [**Placed in the Library. See No.** L.T.-4004/72]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Khadi and Village Industries Commission, Bombay, for the year 1970-71 under sub-section (3) of section 24 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 along With the Statistical Statements. [**Placed in the Library. See** No. L.T.-4005/72]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 11 दिसम्बर, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 1972 को पास किये गये बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1972 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

श्री वयालार रवि (चिरमिकील) : तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने इस पर आपत्ति की है। यह एक महत्वपूर्ण मामला हैं। सम्बन्धित मंत्री यहां पर उपस्थित है और वह इस बारे में एक वक्तव्य दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको कोई मामला उठाने की अनुमति नहीं दी है। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि पटना के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि 12 दिसम्बर, 1972 को केन्द्रीय राजस्व भवन के सामने सत्याग्रह धरना देते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/341 के अन्तर्गत श्री दिग्विजय नारायण सिंह, सदस्य, लोक सभा को गिरफ्तार कर लिया गया और फुलवाड़ी कैम्प कारावास में हिरासत में रखा गया है।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : बेरोजगारी के बारे में श्रीमती माया राय द्वारा पेश किये गैर-सरकारी संकल्प पर बहस में मैंने 24 नवम्बर, 1972 को भाग लिया था। श्रीमती माया राय ने 8 दिसम्बर, 1972 को बहस का उत्तर देते हुए अन्य बातों के साथ साथ मुझपर दुहरे मानदण्ड अपनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि यह कितना कठिन है कि इस सदन में जनता का समर्थन किया जाय और कर-अपवंचन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर से मुकदमा लड़ा जाय।

यह आरोप पूर्णतया गलत है कि कर-अपवंचन के किसी मामले के बारे में श्री हरिदास मूँदड़ा की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में मैंने मुकदमा लड़ा और अथवा अन्य किसी उद्योगपति को कर-अपवंचन करने में मदद दी। यद्यपि यह मेरा अधिकार है कि एक वकील के रूप में किसी की भी ओर से मुकदमा लड़ूँ। मेरे विरुद्ध श्रीमती मायाराय के आरोप सदन के एक सदस्य की गरिमा के प्रतिकूल हैं और वे पूर्णतया गलत और निराधार हैं।

जिस मामले में श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर से मैं सर्वोच्च न्यायालय में गया था, वह मैसर्स टर्नर मारिसन कम्पनी के कुछ शेयरों से सम्बन्धित था। उसमें श्री सिद्धार्थ शंकर राय भी मेरे साथ थे।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय जब वकील राजनीति में भाग लेने लगते हैं, तब उनके विरुद्ध ऐसे आरोप लगाये ही जाते हैं और उन्हें सहन करना पड़ता है। परन्तु जहां तक प्रतिष्ठा और गरिमा का सम्बन्ध है, श्री चटर्जी व्यवसाय और संसद दोनों में हो मुझ से वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं गरिमा के बारे में उनसे सीखने के लिए तैयार हूं। परन्तु 'गरिमा" एक सापेक्ष शब्द है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं रही है कि जब एक सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दे, तो दूसरा सदस्य उसके बाद फिर और कुछ कहे। खैर, श्रीमती माया राय को कुछ कहना था कह ही दिया।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन एक विशेषाधिकार प्रस्ताव से सम्बन्धित एक मामले के बारे में मैंने आपको एक पत्र लिखा था। यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आपसे विचार विमर्श करना चाहूंगा। परन्तु मेरे विचार में विशेषाधिकार समिति को इस नई जानकारी पर भी विचार करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रश्न सदन के विशेषाधिकार से सम्बन्धित है, अतः सदन को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह पाइप लाइन जांच आयोग के बारे में है। विशेषाधिकार समिति इस विषय पर पहले से ही विचार कर रही है। इसी बीच, श्री नायक ने भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल सचिव श्री एस० एस० खेड़ा को पत्र लिखा। उसके आधार पर श्री खेड़ा ने 1 जुलाई, 1972 को एक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री नायक ने एक पत्र में उन्हें लिखा है, जिसमें श्री नायक ने यह लिखा है कि संसदीय समिति पर कुछ लोगों द्वारा दबाव डाला जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस समय आप उस समिति के सभापति थे। श्री नायक के पत्र के अनुसार आपने और समिति के अन्य सदस्यों ने दबाव में आकर 66वीं रिपोर्ट लिखी थी। मेरा आप से यह अनुरोध है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

अध्यक्ष महोदय : समिति इस पर पहले ही विचार कर रही है। इस नई जानकारी सहित आपके पत्र की भी मैं समिति के पास भेज दूंगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में मैंने आपको पत्र लिखा था। आपने मुझसे प्रश्न करने के लिए कहा था परन्तु मेरे प्रश्न का श्री एल० एन० मिश्र ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास जानकारी भेज दी जायेगी

भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में

RE. LAND CEILINGS

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : It was announced by the ruling party that the new land ceilings laws would come into force throughout the country by 31st December, 1972. The Bills in this regard have been passed by the assembolies of Bihar, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Hariyana and Maharasthra, but these bills are pending here for the last one year for want of President's approval. U. P. Punjab, Gujarat and many other states have not passed such bills so far. You kindly ask the hon'ble Minister to make a statement and explain to us how long would it take to enforce the land ceilings in the Country.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had given a Calling Attentions Notice regarding I. I. T. Delhi. A professor was dismissed from service, because he was organising class III and IV Union. Is it not victimisation?

Mr. Speaker : I neither commit nor accept, if you would pursuade me like this in the house.

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक विकास बैंक की 50 प्रतिशत शाखा है। इसलिए औद्योगिक वित्त निगम को विभिन्न प्रस्ताव स्वीकृति के लिए औद्योगिक विकास बैंक को भेजने पड़ते हैं।

जो प्रक्रिय अपनाई जा रही है उससे बाधायें उत्पन्न हो रही हैं और कुछ मामलों में तो निगम के कार्य में विकास बैंक द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है। इसलिए वित्त निगम को स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाना चाहिय और नीति निर्देश सम्बन्धी कार्य सरकार के अधीन रहना चाहिए।

देश में औद्योगिक क्षमता के लिए और जरूरतमन्द कारखानों की सहायता करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम और विभिन्न प्रान्तों के राज्य वित्त निगमों के बीच समन्वय होना चाहिए जिससे एक दूसरे की सहायता करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाये जा सकें।

यह सच है कि देश के औद्योगिक विकास में औद्योगिक वित्त निगम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, परन्तु वित्त निगम को केवल बड़े व्यापार गृहों और एकाधिकार गृहों की ही सहायता करने के बजाय छोटे उद्यमकर्त्ताओं और उन उपक्रमों की सहायता करनी चाहिए जो कठनाई में हों।

औद्योगिक वित्त निगम को जिन कठिनाइयों में कार्य करना पड़ रहा है और जो देश के उचित आर्थिक विकास में बाधा बन रही है, वे हैं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की गलत आर्थिक नीतियां है। इसलिए जब तक सरकार की नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया जाता और लघु उद्योगों की सहायता करने की दृष्टि से औद्योगिक वित्त निगम की नीति में परिवर्तन नहीं होता, अभीष्ट प्रभाव प्राप्त नहीं किया जा सकता।

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : संशोधनों का लक्ष्य यह है कि औद्योगिक वित्त निगम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, नये उद्यमकर्ताओं और पिछड़े क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता दे। अत: विधेयक का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करना। इससे बड़े एकाधिकार-गृहों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी कमी होगी।

धारा 25 में खण्ड 13 द्वारा संशोधन किया गया है जिससे निगम प्रभावी ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। अब तक वित्त निगम सुरक्षा प्रधान परियोजनाओं का वित्त पोषण करती रही है लेकिन अब परियोजनोन्मुख उद्यमों को वित्त निगम धन प्रदान करेगा।

अतारांकित प्रश्न सं० 2694 के उत्तर में मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया था कि 1948 से 30 जून, 1972 के बीच वित्त निगम द्वारा दिये गये कुल 397.86 करोड़ रुपये के ऋण में से 131.52 करोड़ रुपये के ऋण बड़े व्यापार गृहों को दिए गये जो कुल ऋण राशि का 35.6% है। इसी प्रकार 1970-71 और 1971-72 के दौरान बड़े व्यापार गृहों को दिए गए कुल

75.79 करोड़ रुपये के ऋण में से 17 32 करोड़ रुपये दिये गये जो कुल ऋण का 22.85% है। बड़े व्यापार ग्रह नौकरशाही की मदद से देश को लूट रहे हैं।

बाजोरिया और जालान 22.37 करोड़ रुपये के ऋण लेकर गैर-कानूनी रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। बाजोरिया, जालान, टाटा और बिड़ला को अब भी ऋण दिये जा रहे हैं। मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ना ही जा रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को 6 % ऋण दिये गये, जबकि पंजाब, हरियाणा को 1.4% ऋण दिये गये और उड़ीसा को बिल्कुल भी ऋण प्राप्त नहीं हुआ। उड़ीसा में औद्योगिक क्षमतायें हैं और विभिन्न उद्योगों की वहां स्थापना करने के लिए व्यापक औद्योगिक योजनायें बनाई जानी चाहिए। पारादीप में बन्दरगाह, उर्वरक कारखाना, तेल शोधक कारखाना और कोरापुट जिले में सीमेन्ट कारखाने के लिए आवेदनपत्र यहां भेजे गये हैं, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

दत्त समिति की सिफारिशों और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। धारा 43 के अन्तर्गत वित्त निगम विकास बैंक के परामर्श विनिमय बना सकता है। विकास बैंक का अध्यक्ष ही ऋणों को साम्य अंशों में बदलने के विरुद्ध था, अतः जब वह सरकार के घोषित सिद्धान्तों के ही विरुद्ध है फिर उसे अपने पद पर रहने का क्या अधिकार है ? इसलिए बिना किसी निर्देश के अगर परामर्श का कार्य विकास बैंक पर ही छोड़ दिया गया तो कोई लाभप्रद परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

श्री एम० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। निगम ने देश के औद्योगिक विकास में काफी सहायता दी है। वित्त निगम अब तक 365 करोड़ रुपये के ऋण दे चुका है और 527 कम्पनियों अथवा कारखानों को उसने मदद की हैं।

कुछ त्रुटियों की ओर भी मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वे सभी आवेदन पत्रों पर धन वापस मिलने की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं और अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं देते। लोग सारी सूचना तत्काल नहीं दे पाते और निराश होकर अपने आवेदन पत्र वापस ले लेते हैं। यह एक चिन्ताजनक बात है कि लगभग 44 प्रतिशत लोगों ने अपने आवेदनपत्र वापस ले लिए। अगर देश के औद्योगीकरण मे सहायता करनी है, तो इस नीति में परिवर्तन करना होगा।

अब धन वापस मिलने की सुरक्षा की बजाय इस पर पहले विचार किया जायगा कि परियोजना से उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी अथवा नहीं। केवल धन की सुरक्षा का ध्यान रखने से देश की द्रुतगति से औद्योगीकरण नहीं हो सकता।

वित्त निगम का मुख्यालय दिल्ली में है और तीन अन्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। इसलिये इन कार्यालयों के निकट के उद्यमकर्त्ताओं ने ही वित निगम से अधिक लाभ उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखना चाहेंगें ?

श्री एम० आर० दामाणी : जी, हां।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy speaker *in the chair*]

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मुझे प्रसन्नता है कि औद्योगिक वित्त निगम ने हैदराबाद, बंगलौर और आन्ध्र प्रदेश में नये कार्यालय खोलने का निर्णय किया है। वित्त निगम के कार्यालय भारत के सभी प्रमुख नगरों और सभी राज्यों की राजधानियों में खोले जाने चाहिए जिससे उद्यमकर्त्ताओं को आसानी से ऋण सुविधा प्राप्त हो सके।

इस विधेयक के द्वारा पूंजी में वृद्धि करने और वित्तीय सहायता देने की नीति को उदार बनाने का प्रस्ताव है। अब तक केवल गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र को ही ऋण मिल सकता था, परन्तु अब सरकारी क्षेत्र की मध्यम दर्जे की और छोटी कम्पनियां भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं। अब तक 25 लाख से अधिक की पूंजी वाली कम्पनियों के आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाता था, परन्तु अब छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लाभ के लिये इस सीमा को भी हटा दिया गया है।

वित्त निगम को परियोजना रिपोर्टों, नये उद्यमों और क्षेत्रों के बारे में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों का मार्गदर्शन करना चाहिये।

खण्ड 11 के द्वारा अनुच्छेद 23 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार निगम को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई पार्टी ठीक समय पर किस्तें देने में असमर्थ रहती है, तो सारी राशि ब्याज सहित सामान्य पूंजी के शेयरों में परिवर्तित की जा सकेगी। यह एक कठोर उपबन्ध है। यदि पूंजीगत सामान, बिजली मिलने अथवा इमारत बनने में विलम्ब होने के कारण उत्पादन शुरू होने में देरी होती है, तो सारी ऋण राशि साम्य अंशों में बदल दी जायगी। जब जनता से ऋण लिया जाएगा, तो एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जायगी, क्योंकि इससे लाभांश में कमी का भय बना रहेगा। इसलिये किन परिस्थितियों में इस उपबन्ध का प्रयोग किया जाएगा, सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे।

यदि कोई कारखाना घाटे में चला जाता है और ऋण की किस्तें अदा नहीं कर पाता, तो सारे धन को सामान्य पूंजी में बदल देने से निगम को क्या लाभ होगा ? निगम कारखाने का अधिग्रहण करके घाटे को लाभ में नहीं बदल सकता। इस बारे में मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

पिछले चार वर्षों में निगम के कार्यकरण में ह्रास हुआ है। व्यय में वृद्धि हुई है और आय में कमी हुई है और व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 1967-68, 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में क्रमश: 8, 20, 25 और 44 प्रतिशत वृद्धि हुई है। व्यय में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं?

धन की अदायगी करने के समय से वचनबद्धता शुल्क लगाने के बजाय आवेदन पत्र स्वीकार होने के समय से भारी मात्रा में वचनबद्धता शुल्क लगाया जाता है। यह उचित नहीं है।

अनेक उद्यमकर्ता राज्य सरकारों से गारण्टी पत्र प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु निगम उन गारण्टी-पत्रों को स्वीकार नहीं करता। मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि निगम राज्यों के गारण्टी पत्रों को स्वीकार करें और यदि वे चाहें, तो गारण्टी पत्र के लिए पत्र निर्धारित कर सकते हैं।

आवेदनपत्रों की जांच करते समय निगम को अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिये जिससे अधिक संख्या में कारखाने निगम से सहायता प्राप्त कर सकें। निगम को ऋण देते समय औद्योगिक रूप से पिछड़े ये क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

***श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** (श्रीपरेम्बदूर) : विधेयक के खण्ड 8 के अनुसार औद्योगिक वित्त निगम को वित्तीय संस्थानों के अंश खरीदने का अधिकार दिया गया है। मध्य प्रदेश की विनोद मिल्स के शेयर अपने सम-मूल्य से नीचे गिर गये थे। उस समय वित्त निगम ने अपने ऋण को सामान्य शेयरों में परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहन दिया गया। ऋण को सामान्य शेयरों में बदलने की निगम की इस नीति पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

विधेयक में यह प्रावधान भी है कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बनाये गये विनियमों को सभा पटल पर नहीं रखा जायगा। यह अनुचित है क्योंकि वित्त निगम अपना सभी धन केन्द्रीय सरकार से ही प्राप्त करता है, इसलिए सभा को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस धन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है।

औद्योगिक वित्त निगम कानूनी विभाग में केवल सालिसिटरों की भर्ती करने की नीति पर चल रहा है। सालिसिटर केवल पश्चिम बंगाल में ही होते हैं जिसके कारण अन्य राज्यों के एडवोकेटों को कोई अवसर नहीं मिल पाता। मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय इस बारे में पुनर्विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

केन्द्रीय सरकार ने 211 जिलों और 8 संघ राज्यक्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र अधिसूचित किया है। परन्तु औद्योगिक वित्त निगम ने रियायती वित्तीय सुविधा केवल 68 जिलों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि औद्योगिक

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री टी० एस० लक्ष्मणन्]

वित्त निगम की गतिविधियों में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रो को प्रमुखता नहीं दी गई है। उपरोक्त निगम द्वारा दी गई कुल सहायता में से केवल 28 प्रतिशत सहायता औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को दी गई है। यह बड़ी हैरानगी की बात है। अधिकांश सहायता 28 चीनी सहकारी समितियों और 22 कपड़ा निगमों को दी गई है। इससे पता चलता है कि पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक एककों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस निगम के कार्यकरण के इस पहलू की जांच करें और देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने के लिये उचित कार्यवाही करें। औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त करने वाले 565 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 70 प्रतिष्ठान, जिनके अधिकांश बड़े उद्योग हैं, संकटग्रस्त हैं और बन्द होने की स्थिति में बताये जाते हैं। यदि यह स्थिति रही तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र भी कुछ समय बाद भी पिछड़े क्षेत्र बन जायेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस गम्भीर स्थिति की जांच करेंगे।

औद्योगिक वित्त निगम के प्रबन्धक बोर्ड में लगभग सभी निदेशक औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों के हैं। यदि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना है तो उन क्षेत्रों से भी कुछ निदेशक प्रबन्धक बोर्ड में सम्मिलित किये जाने चाहिये।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम देश में योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास कर रहे हैं। परन्तु औद्योगिक विकास के लिये धन देने वाली एजेंसी का अभाव था। औद्योगिक वित्त निगम ने इस कमी को पूरा कर दिया है। गत 24 वर्षों में इस निगम ने सराहनीय कार्य किया है। पहले 22 वर्षों में 338 करोड़ रुपये की सहायता दी थी। इसका परिणाम यह निकला है कि अब इसने 1448 करोड़ रुपये की पूंजी जुटा ली है।

इस निगम ने चीनी और कपड़ा उद्योग सम्बन्धी सहकारी समितियों को लगभग 77 करोड़ की राशि दी है। इसके परिणामस्वरूप ये सहकारी समितियां औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों से 160 करोड़ रुपये की पूंजी एकत्र कर ली हैं। इस संशोधन से इस उपक्रम को निदेशक नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त हो जायेगी। दूसरे यदि किसी निदेशक को किसी औद्योगिक उपक्रम में हित होगा तो ऐसे उपक्रमों को औद्योगिक वित्त निगम सहायता देना बन्द कर सकता है। फिर इन संशोधनों से उपरोक्त निगम देश में औद्योगिक असंतुलन कम कर सकता है। कुछ राज्य और जिले ऐसे हैं जिनको औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किया गया है। इस समय इन राज्यों को बहुत कम सहायता दी जाती है। अब पिछड़े हुए क्षेत्रों को रियायती शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है। इससे साथ ही यह निगम पिछड़े क्षेत्रों में नया कारोबार चलाने वाले नये उद्यमकर्ताओं, प्रौद्योगिकी विद (टेक्नोलोजिस्ट) और इंजीनियरों को सहायता देने पर सहानुभूतिपूर्ण ढ़ग से विचार करेगा। इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि निगम जमानत पर ही ऋण दे। इसके परिणामस्वरूप यह निगम पिछड़े जिलों के लिये कुछ न कुछ अवश्य व्यवस्था कर सकेगा। मुझे आशा है कि उपरोक्त निगम योजनाबद्ध उद्देश्यों को

ध्यान में रख कर अपनी नीति बनायेगा और सहकारी समितियों को अधिक प्रोत्साहन देगा जिससे समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित हो सके। हमें चीनी और कपड़ा उद्योगों के स्थान पर उर्वरक, रासायनिक आदि नये किस्म के उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। नये उद्योगों को चौथे या पांचवें वर्ष के बाद ब्याज और पूंजी का भुगतान आरम्भ करने की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। इससे उद्योगीकरण के काम में सहायता मिलेगी।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मुझे यह नहीं समझ में आया कि इस विधेयक में सरकारी उपक्रम समिति की सिफारिशों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें 10 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी को बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये कर देने की व्यवस्था की गई है। सरकार उपक्रम समिति ने इसका समर्थन नहीं किया है। उनका कहना है कि इस निगम को अन्य साधनों से पूंजी एकत्र करनी चाहिये।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में एक ही किस्म का काम किया जा रहा है ये निगम आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिये बड़ा कठोर रवैया अपनाते हैं। औद्योगिक वित्त निगम को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और आवेदनों पर इस प्रकार विचार करना चाहिये जिससे इस काम में कम से कम समय लगे। कम संसाधनों वाले अनेक लोग फार्म भरने से और उन पर विचार करने के लिये लगने वाले लम्बे समय से बहुत दुःखी हैं। इन संस्थाओं के कार्यकरण में इस प्रकार सुधार किया जाना चाहिये जिससे जनसाधारण इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की जाने वाली सहायता क पूरा उपयोग कर सके।

सरकारी उपक्रम समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक विकास बैंक को मिला दिया जाना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि देश में सभी वित्तीय संस्थाओं पर एक ही संगठन का नियंत्रण होना चाहिये जिससे वे विभिन्न संस्थाओं को बिना कठिनाई के ऋण उपलब्ध कर सके।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस निगम की नीति रोषपूर्ण है। इसने अनेक पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करने हेतु कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के हिन्दी भाषी राज्यों की सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपेक्षा की गई हैं। अतः इन संस्थाओं को उपरोक्त पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करनी चाहिये।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र के बारे में भी बहुत बढ़चढ़ कर बातें की जाती थी परन्तु दुर्भाग्य से गत 25 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अतः प्राथमिकता वाले क्षेत्र को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इन निगमों का मुख्य कार्य यह होना चाहिये कि वे इन पिछड़े क्षेत्रों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करें और उनको शीघ्र से शीघ्र मंजूर कर लिया जाना चाहिए।

इस संशोधन विधेयक में यह सुझाव भी दिया गया है कि वित्तीय संस्थाओं को सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को भी वित्तीय सहायता देनी चाहिये। एक दृष्टि से यह नीति

[श्री बीरेन्द्र अग्रवाल]

बहुत अच्छी है । परन्तु इस समय सरकार यह चाहती है कि इस देश में नियमित औद्योगिक उपक्रम पूर्ण रूप से वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करें । यह कोई अच्छी नीति नहीं है । निगमित उपक्रमों को जनता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान पर निर्भर करना चाहिए, सरकारी संस्थाओं पर नहीं । हमने अनेक कानून बना दिये हैं परन्तु वास्तव में औद्योगिक प्रगति कम होती जा रही है । मेरे विचार से हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे हैं । यदि प्रगति शून्य हुई तो गरीबी और बेरोजगारी में अधिक वृद्धि होगी और निःसदेह मूल्यों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है । सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का ही यह परिणाम है ।

मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार आर्थिक ढांचे में पूंजी लगाने वाले के मन में पुन: विश्वास की भावना पैदा करना चाहती है ? यदि पूँजी लगाने वाला व्यक्ति पूंजी नहीं लगाता है तो हमारे देश का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा । वस्तुत: हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें जनसाधारण देश के आर्थिक जीवन में रुचि लेने लगे । इस समय देश में भयंकर मुद्रास्फीति है । अत: हमें मुद्रास्फीति विरोधी नीति अपनानी चाहिये और यह तभी सम्भव है जब देश में उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों का इतना अधिक विस्तार हो कि लोगों को वे सब वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें जिनकी उनको आवश्यकता है और मूल्य वास्तव में कम हो कर उचित स्तर पर आ जाये । आज मूल आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति का अनुसरण करे जिससे देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति दर बढ़े । ऐसा करने के लिए हमें खेतों और कारखानों में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने चाहिए । उत्पादन और प्रोत्साहन दोनों काम साथ साथ चलने चाहिये । सरकार ने अब तक जो आर्थिक नीति अपनाई है उससे आर्थिक गतिरोध पैदा हुआ है । प्रधान मंत्री को मन्त्रिमन्डल में ऐसे मन्त्री नियुक्त करने चाहिए जो देश की अर्थव्यस्था को नई दिशा प्रदान सकें ।

आर्थिक खुशहाली और सामाजिक न्याय के अभाव में राजनीतिक स्थिरता की बात निरर्थक होगी । लोगों ने यह महसूस करना आरम्भ कर दिया है कि यदि उनको आर्थिक खुशहाली और सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता तो राजनीतिक स्थिरता में उनकी कोई रुचि नहीं है ।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : औद्योगिक वित्त निगम ने पहले से ही औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों को धन दिया है । उड़ीसा में उद्योगों के विकास के लिए अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं परन्तु धन के अभाव के कारण उड़ीसा में उद्योगों का विकास उचित ढ़ंग से नहीं हो रहा है । सरकारी क्षेत्र का उद्देश्य देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है । अत: ऐसी योजनाएं बनाई जाने चाहिए जिनसे देश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके ।

उड़ीसा में विशेषकर कोरापुर जिले में वन आधारित उद्योग आरम्भ किए जा सकते हैं क्योंकि वहां अनेक खनिज समाधन उपलब्ध हैं और काफी पहाड़ भी हैं । राज्य सरकार ने कोरापुर में सुनकी के निकट सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए सितम्बर 1969 में एक प्रस्ताव भेजा था । मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की

अनुमति दें। औद्योगिक वित्त निगम को राज्य सरकार को धन उपलब्ध करना चाहिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों को अधिक धन मिलना चाहिये।

यदि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास भी किया गया तो इससे वहां के लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, क्योंकि वह लोग तकनीकी व्यक्ति नहीं हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि उन क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित किए जाएं।

Shri Dhanshah Pradhan (Shahdol) : Industrial Finance Corporation provides loans to Public Limited Companies and Co-operative Societies. The present amendment provides that this Corporation could provide loans to public sector undertakings also.

The Government is trying to get finances for Public Sector undertakings from all the sources There is no objection to it. But a question arises as to why production of consumer goods is not increased in Public Sector undertakings and other industries. It should be ensured that this Corporation provides loans to those Industries which produce products meant for daily use of the people. Public Sector undertakings need better management. Attention should be paid towards this aspect so that losses in these undertakings could be eleminated.

It would be better if financial help is provided to small scale Industries in place of big Public Sector Undertakings. Madhya Pradesh is a backward area from Industrial point of view. This corporation could help in remaining Industrial imbalance.

Industrial Finance Corporation in working since 1964. This Bill has been brought up in order to remove short comings in its working. Its area of operation was limited to Co-operative Societes and Private Companies. But now its scope is being enlarged to cover Public Sector undertakings also.

Leather Industry and raw Lac Industry is facing financial Crisis in Adivasi areas. Immediate orders should be issued to this Corporation to provide help to these Industries so that Adivasis could get employment.

Study team should be deputed to make assessment with regard to the needs of different areas and Specially in Madhya Pradesh in order to establish small Industries with minimum of finance complex and fine-consuming procedures should also be simplified.

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। इसके साथ ही मैं सबसे पहले यह सूचित करना चाहती हूं कि अगले वर्ष जून में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अपनी रजत जयन्ती मनाई जायेगी। यह निगम अपने प्रकार की प्रमुख संस्था हैं। सारे एशिया में इस प्रकार की यह अकेली संस्था है। अतः विकासशील देशों में इसकी अपनी सी प्रतिष्ठा है।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि किसी भी संस्था के योगदान पर विचार करते समय हमें संस्था के कार्य निष्पादन व उसकी सेवाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। इन दोनों दृष्टियों से यदि हम औद्योगिक वित्त निगम का मूल्यांकन करें तो पायेंगे कि यह सफल संस्था रही है। इसके लिए मैं इससे सम्बद्ध सभी को बधाई देना चाहती हूं।

इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकारी उपक्रमों को भी इसके अधीन लाया जा रहा है। इससे नये उद्यमों की स्थापना में सहायता मिलेगी इस निगम के कार्य में काफी विस्तार हुआ है

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

ग्रौर यह बहुत प्रशंसा की बात है कि निगम की ग्रारक्षित निधि इसकी प्रदत्त पूंजी के बराबर है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निगम के कार्य में काफी प्रगति हो रही है। इससे इसकी अधिकृत पूंजी को 10 करोड़ से बढ़ा कर 20 करोड रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे इसके भावी विस्तार में भी सहायता मिलेगी। यदि कार्य में विस्तार होगा तो निवेश बढ़ेगा तथा अधिक निवेश से स्वभावतया उत्पादन में भी वृद्धि होती हैं। इससे देश में भी ग्रधिक धन होता है। अत: यह स्वागत योग्य है।

इसके कार्य की अन्य विशेषता है छोटे उद्यमियों को विदेशी विनियम में ऋण उपलब्ध कराना। अब तक यह सुविधा नहीं थी परन्तु इस संशोधन विधेयक के द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह भी एक स्वागत योग्य उपाय है।

इस विधेयक के खड 6, 14 ग्रौर 15 के द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रतः इस सम्बन्ध में सिफारिशों के किसी उल्लंघन का ग्रारोप निराधार है।

प्रक्रिया की दुरूहता को समाप्त करने का कुछ सदस्यों ने ग्रनुरोध किया है। इस संबंध में मैं खंड 11 की ओर मानवीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

एक बात मैं यह भी बताना चाहती हूं कि रजत जयन्ती वर्ष होने के कारण इस वर्ष कुछ विशेष योजनाग्रों की घोषणा की गई है। परामर्श यात्री सेवाग्रों की व्यवस्था करने के विचार से एक विशेष प्रबन्ध संस्था की स्थापना की गई है। नये उद्यमियों की सहायता करने के विचार से कल्याण निधि का गठन प्रस्तावित है।

यह तर्क दिया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ग्रौर ग्रौद्योगिक वित्त निगम का विलयन किया जाना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान प्रवृति विलयन ग्रथवा बड़े बड़े निगमों की स्थापना करने के बारे में नहीं हैं। बहुत से लोगों का यह है कि देश पिछड रहा है। मेरे विचार से यह एक राजनैतिक मत है। ग्रतः इस बारे में कुछ बताने की ग्रावश्यकता नहीं हैं।

भारतीय ग्रौद्योगिक विकास बैंक भी वित्त लगाता है ग्रौर औद्योगिक वित्त निगम सहकारी संस्थाओं को ऋण देता हैं। यह कार्य भारतीय ग्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा नहीं किया जाता। इस प्रकार दोनों के कार्य ग्रलग ग्रलग हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह कहा है कि यह बात नहीं बताई गई कि ग्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा किस संस्था अथवा संस्थाओं के ऋणों का ग्रन्तरण किया जायेगा। क्योंकि यह संस्था केवलमात्र न्यास रूप में है ग्रतः इस बात की ग्रावश्यकता नहीं हैं।

'न्यायालय' शब्द की पहले ही व्याख्या की जा चुकी हैं ग्रौर यह स्पष्ट है तथा विधेयक तैयार करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : खंड 16 में यह बताया गया है कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अपने अधिकारों का अन्तरण किया जायेगा परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह अन्तरण किसे दिया जायेगा। माननीय मंत्री ने इस संबंध में खंड 1 का उल्लेख किया है परन्तु उसका सम्बन्ध तो धारा 18 के संशोधन से है जो औद्योगिक वित्त निगम की कार्यकारी समिति से स्थापित है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : विनियमों के सम्बन्ध में कहा गया है कि संसद में इनकी संवीक्षा होनी चाहिए। यह निगम 25 वर्ष से कार्य कर रहा है और इसको पर्याप्त अनुभव हो चुका है अतः यह समझा जाता है कि इसे बन्धन रहित होना चाहिये। विनियम रोजमर्रा की बात है। अतः संसद में उनकी संवीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसी विचार से पीछे कुछ समय से इसे संसद के समक्ष वार्ता के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। वास्तव में बहुत अधिक संवीक्षा से भी कार्य में रुकावट आती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अधीनस्थ विधान भी वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत निगम संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इस कारण संसद के हस्तक्षेप से इसमें कोई देरी नहीं होगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : पिछले छह वर्षों से बिल किसी संशोधन के यह नियम विद्यमान हैं। जहां तक लाभांश के वितरण की बात है हम यह अनुभव करते हैं कि पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा को भी समाप्त किया जाना चाहिये।

बहुत से सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया है कि निगम प्रादेशिक विषमताएं कम करने की नीति को ध्यान में रखकर ऋण दे। इस संबंध में पिछले आकड़ों को देखने से हमें प्रतीत होता है कि निगम ने अब तक कुल 565 योजनाओं के लिये 398 करोड़ की सहायता प्रदान की है। इसमें से 148 परियोजनाएं कम विकसित अथवा पिछड़े क्षेत्रों की थी और इन्हें 107 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। इसी प्रकार निगम सहकारी क्षेत्र को भी पर्याप्त सहायता देता है। बड़ी बड़ी सहकारी औद्योगिक समितियों को अन्य कोई वित्त संस्था से धन प्राप्त नहीं होता। यह समाज के कमजोर वर्ग की सहायक हैं।

निगम के अब तक के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इसकी सहायता का 26.9 प्रतिशत कम विकसित राज्यों और पिछड़े क्षेत्रों को, सहकारी समितियों को 22 प्रतिशत तथा नये उद्यमियों को 10 प्रतिशत अंश दिया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक वित निगम द्वारा दी गई सहायता से रोजगार के नये अवसर पैदा होते हैं। अतः यह नीति रोजगार प्रधान है।

कुछ सदस्यों ने यह जानना चाहा कि इसके धन का उपयोग किस विशेष दिशा में किया गया है। 30 जून 1972 तक नये उद्यमकर्ताओं को दी गई सहायता के आंकड़े बताते हैं कि उद्योगों की कार्य विस्तार आधुनिकीकरण तथा उत्पादन में विविधता लाने के लिए सहायता दी गई है। निगम ने 2006 करोड़ रुपये की राशि संसाधनों के रूप में जुटाई है। इस प्रकार यह देश में तथा बाहर एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में उठ रहा है।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि लघु उद्योगों की सहायता की जाए। यह कार्य औद्योगिक वित्त निगम के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। यह कार्य राज्य वित्त निगमों का है। औद्योगिक वित्त निगम 20 लाख रुपये से अधिक राशि के ही ऋण प्रदान करता है।

सहायता देने में भेदभाव अथवा प्रगतिशील राज्यों को अधिक सहायता देने व पिछड़े राज्यों द्वारा सहायता का पूर्ण उपयोग न किये जाने के बारे में जो कुछ कहा गया है उसकी सरकार ने जांच की है। हमने पाया है कि जून 1972 तक निगम ने महाराष्ट्र में निगमित क्षेत्र की 80 परियोजनाओं को 42.69 करोड़ रुपये की सहायता दी। पश्चिम बंगाल में 39.40 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। महाराष्ट्र में सहकारी समितियों को 40.36 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। पश्चिम बंगाल में इस रूप में कोई सहायता नहीं दी गई। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में कोई सहकारी समिति विद्यमान नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक स्थिरता नहीं है। इस प्रकार का वातावरण औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में अपनी कार्यवाहियां प्रारंभ करने से स्थिति में सुधार हुआ है। यदि यह स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो पश्चिम बंगाल भी निगम की सहायता करने में समर्थ होगा।

औद्योगिक वित्त निगम के कार्य निष्पादन में सुधार करने का सुझाव दिया गया है। इस में कोई सन्देह नहीं कि इस दिशा में सुधार की गुंजाइश है। सरकार इस बारे में पूर्णतया जागरूक है और इस दिशा में कुछ कार्यवाही की भी गई है। निगम ने कुछ नई शाखाएं खोली हैं। आपने तकनीकी कर्मचारियों में वृद्धि की है। राज्य वित्त निगमों तथा राज्य स्तर के अन्य अधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

एक सदस्य ने औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बजोरिया और जालान की सहायता का उल्लेख किया। एकाधिकार जांच आयोग के अनुसार बाजोरिया और जलान क्रमश बी० आई० सी० और सूरजमल तथा नागरमल समूहों के अन्तर्गत है। औद्योगिक वित्त निगम ने बी० आई० सी० समूह की किसी कम्पनी को कोई सहायता प्रदान नहीं की है। सूरजमल नागरमल समूह को जून, 1972 के अन्त तक 1.39 करोड़ रुपये की कुल सहायता प्रदान की गई है।

श्री डी० के० पंडा : बाजोरिया जालान ग्रह को कितनी अग्रिम राशि दी गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है। आप इसके लिए अलग से सूचना दे दें। आंकड़े उपलब्ध कर दिये जायेंगे।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि उप-कम्पनियों में से केवल 10 कम्पनियों ने ही 'कनवर्टिबिलिटी' शर्त स्वीकार की है। यह बात सही नहीं है। इन सबने यह शर्त स्वीकार की है। उड़ीसा सरकार ने कोई आवेदनपत्र नहीं दिया है।

मुझे विश्वास है कि सदन इस विधेयक को एक प्रगतिशील कदम के रूप में सर्वसम्मत समर्थन देगा।

श्री डी० के० पंडा : मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय ने उस विभाग से यह पता लगाया है कि उन्हें इस निगम से ऋण के लिए कोई आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ? मंत्री महोदया कृपया स्थिति स्पष्ट करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया को जब इस सम्बन्ध में आकड़े प्राप्त हो जाएँगे वह इसे आपको भेज देंगीं । प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खंड वार विचार करेंगे, प्रश्न यह है :
'कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 2 to 16 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खड 17 को लेंगे, । सरकार ने आज मध्याह्न पश्चात 2 बजकर 22 मिनट पर एक संशोधन का नोटिस दिया है ।

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :
"पृष्ठ 8, पंक्ति 12 और 13 :—

"District Judge" (जिला न्यायाधीश) के स्थान पर "District Judge or an Additional District Judge" (जिला न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) पढ़िए," (2)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "पृष्ठ 8, पंक्ति 12 और 13,

"District Judge" (जिला न्यायाधीश) के स्थान पर "District Judge or an Additional District Judge" (जिला न्यायधीश अथवा अतिरिक्त जिला न्यायधीश) पढ़िए ।" (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड 17 संशोषित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खंड 18 से 20 में जोड़ दिये गए

Clause 18 to 20 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुशीला रोहतगी का खंड 21 के लिए संशोधन है जो परिचालित किया जा चुका है।

संशोधन किया गया पृष्ठ 9 पृष्ठ 26 और 27 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िये :—

'(b) in Sub-Section (2) in clause (c) for the words "Board and the central Committee" this word "Board" shall be subsitited ;'

(क) खंड (ङ) की उपधारा (2) में "बोर्ड और केन्द्रीय समीति की" के स्थान पर 'बोर्ड' रखा जाये ; **(श्रीमती सुशीला रोहतगी)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 21 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 21, as amended, was added to the Bill.

खंड (1) अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause, Enacting formula and the title were added to the Bill

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये, "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

परिसीमन विधेयक

DELIMITATION BILL

विधि तथा न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा में विभिन्न राज्यों के लिये आवंटित स्थानों, का प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को जहां विधान सभा है तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को, लोक सभा और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं और दिल्ली की महानगर परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् कानून द्वारा लोकसभा में विभिन्न राज्यों के लिये आवंटित स्थानों का और प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन में पुनः समायोजन किया जायेगा, इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 170(3) में भी है। गत जनगणना का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई।

यह विधेयक वर्ष 1962 में इसी सभा में पारित विधेयक पर आधारित है। परन्तु इसमें पांच संशोधन हैं, जैसे, 1962 के अधिनियम का नाम 'परिसीमन आयोग अधिनियम' था जिसका नाम इस विधेयक में अब 'परिसीमन अधिनियम' कर दिया गया है। दूसरा, इसमें 'राज्य' की परिभाषा दी गई है ताकि जम्मू और काश्मीर राज्य को इसमें शामिल न किया जाये। इस राज्य का नियमन एक पृथक् अनुच्छेद के अन्तर्गत होता है। परिभाषा देने का दूसरा कारण यह है कि यह विधेयक संघ राज्य क्षेत्र, जहां विधान सभाएं हैं, तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है जबकि पूर्व विधेयक को पारित करने के समय विधि संग्रह में संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 का उल्लेख नहीं था। तीसरे संशोधन के अन्तर्गत खण्ड 4 में दो उपबन्ध और शामिल किए गए हैं। पहले उपबन्ध के अनुसार यदि किसी राज्य को लोकसभा में केवल एक स्थान आबंटित किया जाता है तो वह समूचा राज्य, एक प्रादेशिक निर्बाचन क्षेत्र माना जायेगा। दूसरे उपबन्ध के अनुसार लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आबंटित स्थानों का तथा इनके विधान सभाओं में कुल स्थानों के आबंटन को पुनः समायोजन करना आयोग के लिए आवश्यक नहीं होगा क्योंकि इनके लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 और दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में व्यवस्था है। इसी प्रकार खण्ड 5 के उपखण्ड (1) में एक परन्तुक जोड़ा गया है जो 1962 के अधिनियम में नहीं था। इसके अनुसार यदि लोकसभा में किसी राज्य के सदस्य चार अथवा उससे कम हैं तो ऐसे सभी सदस्य उस राज्य के लिए संयुक्त सदस्य कहलाये जायेंगे और इनकी कुल संख्या नौ से कम होनी चाहिए जिसमें लोकसभा में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 4 से कम हो। खण्ड 8 में स्थानों की संख्या का समायोजन

[श्री नीति राम सिंह चौधरी]

करने की व्यवस्था है ताकि परिसीमन करने का कार्य केवल परिसीमन आयोग करे न कि कतिपय मामलों में निर्वाचन आयोग करे जैसा कि पहले व्यवस्था थी।

इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों के लिये आवंटित स्थानों का प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य की और ऐसे प्रत्येक संघ, राज्य क्षेत्र को जहां विधान सभा है तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र, को, लोक सभा और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं और दिल्ली की महानगर परिषद के प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूलचन्द डागा का एक संशोधन है जिसके अनुसार इस विधेयक को विचारार्थ प्रवर समिति को सौंपा जाये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि लोक-सभा में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को, लोकसभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं और दिल्ली के महानगर परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 11 सदस्य हों, अर्थात्—

(1) श्री अरविन्द नेताम :
(2) श्री दीनेन भट्टाचार्य :
(3) श्री भान सिंह भौरा :
(4) श्री एच० आर० गोखले :
(5) श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :
(6) श्री समर गुह :
(7) श्री निम्बालकर :
(8) डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय :
(9) श्री नारायण चन्द पाराशर :
(10) श्री ए० पी० शर्मा; और
(11) श्री रामचन्द्र विकल :

और उसे आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री मूलचन्द डागा के इस संशोधन से सहमत हूं कि इस विधेयक को विचारार्थ प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। यह सच है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् संसद और विधान सभाओं में स्थानों की संख्या में वृद्धि करनी होती है। प्रधान मंत्री ने हाल ही में इस सम्बन्ध में विदेशी दलों की बैठक बुलाई थी परन्तु उसमें कोई निर्णय हो सका।

मेरा दल स्थानों की संख्या बढ़ाने का विरोधी नहीं है और न इस आधार पर इसको अस्वीकार करना चाहिए कि लोकसभा में स्थान की कमी है। मुझे बताया गया है कि तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार स्थानों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

मैं यह कहने में संकोच नहीं करूँगा कि हम बड़ा निर्वाचन क्षेत्र नहीं चाहते हैं, यदि एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख मतदाता होते हैं तो चुनाव लड़ना खर्चीला हो जाएगा। इससे किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ना कठिन हो जाएगा और इसमें केवल वे बड़े उद्योगपति आदि घुस आयेंगे जिनका किसी राजनीतिक दल अथवा विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि स्थानों की संख्या जनगणना के आधार पर बढ़ाई जानी चाहिए और सभी सदस्यों के लिए यहां स्थानों की व्यवस्था की आनी चाहिए। लोकसभा में हमारा यह अनुभव रहा है कि महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यवाही के दौरान भी सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों की उपस्थिति संख्या पूरी नहीं होती है। इसमें कठिनाई मतदान के समय आ सकती है, परन्तु यह कठिनाई इतनी जाटिल नहीं है कि हम स्थानों की संख्या ही न बढ़ायें।

परिसीमन आयोग के बारे में मेरा कटु अनुभव रहा है। वर्ष 1962 के चुनावों के दौरान मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन कर दिया गया था। श्रीमती सुशीला रोहतगी को जो क्षेत्र मिला उसमें चार सिनेमा हाल दो आयुध कारखाने और एक बड़ा बाजार है तथा इसे ग्राम्य निर्वाचन क्षेत्र का नाम दिया गया है। मुझे जो क्षेत्र मिला है उसमें 135 गांव हैं तथा इसे शहरी निर्वाचन क्षेत्र का नाम दिया गया है। इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था और मैंने यह जानना चाहा था कि क्या कोई अधिकारी तथ्य का पता लगाने वहां गया था।

परिसीमन आयोग का कार्य स्वयं जाकर यह पता लगाना होता है कि क्या अमुक क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है अथवा नही, होता यह है कि किसी के कहने के आधार पर साधारण निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अतएव परिसीमन आयोग को इन सब बातों की जांच करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए।

आयोग नियुक्त करने से पूर्व इस बात पार किया जाना चाहिए कि क्या इस विधेयक को विचारार्थ संयुक्त समिति को सौंपना उचित नहीं रहेगा। यहां हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं।

हमारा इस विधेयक के सिद्धान्तों से कोई विरोध नहीं है क्योंकि संविधान के अनुसार यह अपेक्षित है। मात्र तकनीकी आधार पर जनता से उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस विधेयक को संयुक्त सिमिति को विचारार्थ सौंपा जाये।

Shri M. C. Daga (Pali) : I want to know whether the Bill as introduced comes under Article 82 or Article 327. The Bill if passed can not be challenged in the High Court or the Supreme Court under Article 329. I suggest that the sitting Judges of the Supreme Court should be included in be Commission and there is no need to take the Judges of the High Courts.

Who should be these nine members and who will nominate them. I think there are Divisions in the states. MPs and MLAs of the concerned Divisions should be associated with the Commission so that they can speak for their Divisions.

Publication of the notice of the Commission in the Gazette is not sufficient. Delimitation of the constituencies should also be notified at the Zilla Parishad, Tehsil and Block levels. I want to know whether the opinion of the various associated members will be given any weitage.

***श्री आई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : यह विधेयक लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन करने हेतु परिसीमन आयोग का गठन करने के लिये लाया गया है ।

देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वियन के फलस्वरूप तमिलनाडु जैसे राज्यों की जनसंख्या घटी है। इस प्रकार जनसंख्या घटने के कारण तमिलनाडु दो संसद की सीटों से वन्चित हो गया है । क्या परिवार नियोजन को सफल बनाने का यही इनाम है ?

परिसीमन आयोग को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए । मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करते हैं उनके लोकसभा के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए]
[Shri N.K.P. Salve *in the chair*]

यदि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात से लोकसभा की सदस्य संख्या न बढ़ायी जाये तो एक सदस्य को दस लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा जिसका अर्थ यह होगा कि वह अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में सफल न होगा । अत: जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लोक सभा की सीटों में वृद्धि करना जरूरी है । इसी प्रकार विधान सभा की सीटों में भी वृद्धि होनी चाहिए ।

तमिलनाडु के मामले में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन हेतु 1961 से पूर्व की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिये । लोकसभा और विधान सभा की सीटों का परिसीमन करते हुए परिसीमन आयोग को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि आयोग में ऐसे अर्ध राजनीतिक अथवा पूरे राजनीतिक व्यक्ति नहीं लिए जायेंगे जो सारी स्थिति का न्यायसंगत दृष्टिकोण न अपनाते हों। इस सम्बन्ध में मैं श्री डागा का समर्थन करूंगा जिन्होंने कहा है कि न्यायपालिका के वर्तमान न्यायाधीश ही इस आयोग में लिये जायें।

मेरे विचार में निर्वाचन क्षेत्र के आकार के प्रश्न को निर्वाचन में होने वाले व्यय से नहीं जोड़ा जाना चाहिये। निर्वाचन क्षेत्र के बढ़ते हुए अवसर के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की गई है। उससे मैं सहमत हूं। 156 करोड़ की जनसंख्या के लिए यदि 560 संसद सदस्य भी हों फिर भी एक सदस्यको 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि मतदाता और निर्वाचित व्यक्ति व्यक्तिगत सम्पर्क की पारस्परिक कठिनाइयों को समझेंगे।

अब तक निर्वाचन क्षेत्रों के भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुये सीमांकन करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जहां तक व्यवहारिक हो हर पहलु को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्र का इस प्रकार गठन किया जाना चाहिए जो एक तरह से अटूट बने रहें। संसद सदस्यों को बिना मतदान के अधिकार के एसोसियेट मेम्बर के रूप में क्यों रखा जाये ? विधान सभा के सदस्य भी 5 के स्थान पर 4 क्यों न किये जायें ? आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देगें और इस बात को देखेंगे कि संसद सदस्यों का इसमें बहुमत रहे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दमान) : आयोग के पास निस्सन्देह बहुत बडा काम है। भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुये, इसे न केवल लोक सभा बल्कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का भी सीमांकन करना पड़ता है। इस गठित कार्य को निभाने के लिए आयोग के आवश्यक आंकड़े तथा चित्र उपलब्ध करने पडने हैं। चुनाव आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि पिछले सीमांकन के दौरान आयोग को चित्र उपलब्ध नहीं किये गए जो बहुत आवश्यक थे। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि आज समूचा परिसीमन कार्य अकेले परिसीमन आयोग का ही कार्य नहीं रह गया है क्योंकि इसे उन्हीं अपर्याप्त आँकड़ों के अनुसार चलना पडता है जो इसे दिये जाते हैं, यदि इसे मानचित्र भी नहीं दिये जाते तो यह किस आधार पर परिसीमन करेगा ? प्रशासनिक तंत्र इस आयोग को आंकड़े और सामग्री देना है और यह आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की अपनी सूची तैयार करना है। परिसीमन आयोग के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों की व्यक्तिगत रूप से जांच करें। मैं जानना चाहता हूं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों का किस आधार पर परिसीमन किया गया था और सीमाएं बनाई गई थी ? अतः हम चाहते हैं कि परिसीमन का कार्य न केवल उन व्यक्तियों को ही दिया जाये जो राजनीति से ऊपर हो अपितु परिसीमन कार्य में ऐसी कोई गुन्जाइश नहीं रखी जानी चाहिये जिसमें यह सम्भव हो कि परिसीमन इस तरह से किया जाये कि विरोधी उम्मीदवार को सरलता पूर्वक हराया जा सके।

परिसीमन निष्पक्ष तथा उचित ढंग से किया जाना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि परिसीमन आयोग को, सही आंकड़े, मानचित्र तथा जो कुछ भी सूचना उसे चाहिये,

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

देने के लिये क्या प्रबन्ध किये जायेंगे अथवा किये जा रहे हैं? वर्ष 1967 में एक चेतावनी दी गई थी अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या भिन्न-भिन्न प्रशासनिक एककों अथवा जिलों के सम्बन्ध में 1972 में परिसीमन आयोग को देने हेतु उचित मानचित्र तैयार कर लिए गये हैं ?

जो कर्मचारी नियुक्त किये गये थे उनके बारे में इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। गत परिसीमन आयोग को अपना कार्य पूरा करने में साढ़े तीन वर्ष लगे थे और इसे निर्वाचन आयोग के विद्यमान कर्मचारियों की सहायता से अपना काम करना पड़ा था। जैसा कि वे कहते हैं कि यह किसी तरह से पर्याप्त नहीं है। परिसीमन आयोग को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी। क्या सरकार ने कभी यह जानने की कोशिश की है और जितने आवश्यक कर्मचारी इस आयोग को चाहिये उतने कर्मचारी देने की कोशिश की है ताकि वह सुचारु रूप से कार्य कर सकें ?

इस देश के संविधान के अन्तर्गत हमने बहुमत पर आधारित मतदान प्रणाली अपनाई है परन्तु अधिकांश देशों में जहां लोकतांत्रिक चुनाव हुये हैं अथवा होने चाहिये वहाँ सामान्यतया शायद जो प्रणाली अपनाई जायेगी अथवा अपनाई गई है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त है। लोक-सभा और राज्यों की विधान सभा के चुनावों के परिणाम से मतदान की प्रतिशतता का पता नहीं लगता है। यदि हम चाहते हैं कि वास्तविक चुनाव हो, यदि हम चाहते हैं कि इस सभा अथवा राज्यों के विधान-मंडलों में उचित प्रतिनिधित्व हो तो हमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनानी चाहिये।

मैं नहीं समझता कि इसका कोई विरोध करेगा। ये तर्क दिये गये हैं कि हमारे देश में पर्याप्त साक्षरता नहीं है अतः इससे काफी व्यय होगा परन्तु निष्पक्ष चुनाव के लिए ये अड़चने मार्ग में बाधक नहीं हैं।

इस आयोग के कार्यों की सहायता करने हेतु विधेयक के खण्ड 4 में उपबन्ध है कि 9 व्यक्ति होंगे जिनमें लोक-सभा के सदस्य और 5 विधायक होंगे परन्तु जो राज्य राष्ट्रपति के शासन के अधीन होगा उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा ? इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है यह एक कमी है।

जब किसी विशेष जिले अथवा डिवीजन का परिसीमन किया जाये तो स्थानीय संसद सदस्य अथवा विधायक का सहयोग लेने के लिये उपबन्ध क्यों नहीं किया गया है परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं हैं क्योंकि पिछले अधिनियम की नकल की गई है।

दूसरा पहलू उस प्रक्रिया के बारे में है जो अपनाई जायेगी। यह कहा गया है कि यह आयोग अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करेगा और आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् एवं आदेश तैयार करेगा जिसे तत्काल लागू किया जायेगा परन्तु कठिनाई यह है कि आयोग के प्रस्तावों का पर्याप्त प्रचार नहीं होता है क्योंकि प्रकाशन के लिये चुने गये स्थान ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अतः व्यापक अधिसूचनाएं जारी की जानी

चाहिये तथा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये ताकि समाधनों पर उचित विचार किया जा सके और आपत्तियों को ठीक समय पर प्रस्तुत किया जा सके।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : यह बड़े खेद की बात है कि संसद में, जो जनता की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाये जो संसद सदस्यों को मतदान के अधिकार से वञ्चित करे। यह सुझाव दिया गया है कि आयोग अर्द्ध-न्यायिक आयोग होगा।

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasganj) : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है अब गणपूर्ति हो गई है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : यह कहा गया है कि आयोग अपने कार्य के प्रति व्यय करेगा परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में शायद ही ऐसा किया जा सके।

आयोग के गठन को देखने से पता चलता है कि सहयुक्त सदस्यों का विचार कतई लोकतांत्रिक नहीं है। जो संसद सदस्य इस आयोग के सदस्य हों उन्हें मतदान का पूरा अधिकार होना चाहिए। दूसरे, संसद सदस्यों की संख्या विधायकों से अधिक होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि 5 विधायक कौन-कौन होंगे तथा कौन-कौन से संसद सदस्य होंगे। यह पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिये कि यदि किसी जिले में एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो तो आयोग में उस जिले के विधायक को नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसी एक समूह के हाथ में एक शक्ति है और वह समूह अपनी सुविधानुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करके अपना काम बनाने की कोशिश कर सकता है। हमारे देश में कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो गत 25 वर्षों से अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित हैं। इस विधेयक में इस आशय का स्पष्ट संकेत होना चाहिये कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि लोगों को समान अवसर मिल सके।

हम चाहते हैं कि इस योजना में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को भी उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। इस विधेयक में इस प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिये कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले।

जब निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की बात होती है तो प्रत्येक व्यक्ति जनगणना के आंकड़ों की बात करता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें 7 जिले हैं। मण्डी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश का आधा क्षेत्र आता है। आयोग ने मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करके उस क्षेत्र के लोगों के प्रति घोर अन्याय किया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो क्षेत्र ऊंचाई पर है और दूर-दूर तक बसे हुए है उन क्षेत्रों के लिये जनसंख्या के आंकड़ों को आधार न मानकर भौगोलिक तथा जनांकिकीय आधार पर विचार किया जाना चाहिये।

[प्रो० नारायण चन्द पाराशर]

इस विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन के अनुसार इस आयोग से राजकोष को लगभग 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष की लागत उठानी पड़ेगी। जिन लोगों के लिये यह आयोग बनाया गया है उनकी इच्छाओं के प्रति इसे जागरूक रहना चाहिए।

Shri R.V. Bade (Khargone) : I was an associate Member of the Commission which was instituted in 1961 but the experience has shown that the associate members can do nothing if the decision of the Commission is wrong because they have no power to vote.

In the present Bill there should be a provision for increasing the number of associate members and at the same time no provision has been made to associate the M.Ps. or M.L.As. belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. When we raised this issue, they agreed that one member from Scheduled Castes or Tribes should be associated. Our population is increasing at a rapid rate. We should consider whether the total membership of Lok Sabha can be increased on the population basis. The time has come to consider the question of changing the present system of representation.

It is further mentioned that 'two members of each shall be a person who is or has been a judge'. The words 'has been' are in the interest of the Government. Therefore, these words should be deleted.

Apart from that the geographical position should be taken into consideration when the delimitation is done, If a person is not satisfied with any of the decisions of the Commission, he has no right to appeal to the High Courts or Supreme Court. There should be a provision in this Bill which may enable the people to go to Courts in case they are not satisfied with the decisions of the Commission. In regard to clause 7 the Commission shall have all the powers of a civil court under the code of Civil Procedure, 1908 but in respect of certain matters *viz*. contempt of Court, the Commission has no power. Therefore, I think the Commission should be considered as a Court for all purposes. There no such provision in this Bill. Therefore, I think that this Bill should go the Select Committee for consideration.

Under the Bill only the members of Lok Sabha can be made Associate Members. Why it has been not mentioned that Members of Parliament will be made Associate Members ?

This Bill should have been made applicable to Jammu and Kashmir.

Jammu and Kashmir is an integral part of India and all the laws should be equally apply to that State.

श्री आर० डी० भन्डारे (बम्बई मध्य) : प्रजातन्त्र ऐसी पद्धति है जिसमें अधिकांश सहमति पर निर्भर करता है। इसमें तीन बातों का महत्व है। सबसे पहले निर्वाचन पद्धति आती है। दूसरे उसी के अन्तर्गत वयस्क मताधिकार और मतदान की पद्धति में अनुपाती मतदान का सुझाव रखा गया है। इस विषय पर संविधान सभा में विचार किया गया था परन्तु इसे रद्द कर दिया गया है। देश के आकार तथा जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अधिमान्य मतदान को रद्द कर दिया गया है।

तीसरा स्थानों का वितरण है जिससे हमारा इस समय सम्बन्ध है। बेशक हमने जनसंख्या को मुख्य आधार माना है परन्तु उनमें कुछ कदाचार हो रहे हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों के पुनिनर्धारण में कुछ सदस्यों के कटु अनुभव हैं। राजनीतिक कारणों से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार होता है जिससे किन्हीं विशेष तत्वों का लाभ होता है।

निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जन-जातियों और आदिम जातियों की जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 332 में उनके लिए आरक्षणों की व्यवस्था है।

जनसंख्या को प्रतिनिधित्व का मुख्य आधार माना जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की कठिनाइयों के प्रमुख कारण हैं, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक स्थिति। जब तक अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को केवल सुरक्षित स्थानों पर नहीं अपितु अन्य स्थानों से भी खड़ा किया जाना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुबतुपुजा) : संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्था है कि स्थानों का संरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिये।

श्री आर० डी० भंडारे : मुझे भय है कि श्री स्टीफन ने संविधान के अनुच्छेद 330 का अध्ययन नहीं किया है। उक्त अनुच्छेद में जनगणना को ही आधार माना गया है।

हमने संयुक्त मतदान प्रणाली को अपनाया है। सामान्य मतदाता एवं अनुसूचित जातियों के मतदाता एक साथ एक ही स्थान के लिये मत देते है।

मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे सामाजिक सेवकों राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की विभिन्न स्थानों पर हत्या कर दी जाती है।

जनगणना में राजनीति के खेल खेले जाते हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पीटा गया, मतदान से रोका गया। उनके साहसी सदस्यों को जान से मार दिया गया।

इसलिये मैं समझता हूँ कि आयोग को स्थानों के पुनर्गठित करते जनसंख्या को मुख्य आधार मानेगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को सहायक सदस्य के रूप में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : पांचवे और छटे दशक में मैं परिसीमन आयोग का सदस्य था। मुझे आयोग से पूरा सहयोग मिला था। परन्तु सिफारिशों के प्रकाशन से ठीक पूर्व उसमें परिवर्तन किये गये थे। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। सहायक सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिये। केवल परामर्शदात्री रूप में कार्य करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में दिये गये सुझावों से मैं सहमत नहीं हूं।

[श्री पी० के० देव]

विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रारम्भ करने से पहले परिसीमन आयोग के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अद्यतन सूची होनी चाहिये क्योंकि उनकी पहली सूची पुरानी पड़ गई है अतएव उक्त सूची में संशोधन किया जाना चाहिये ।

यदि परिसीमन आयोग को पुरानी सूची के अनुसार परिसीमन के लिये कहा जाता है तो इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के साथ अन्याय होगा ।

मन्त्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि सभी चुनाव 1971 की जनगणना के अनुसार किये जायेंगे न कि पुराने परिसीमन के आधार पर ।

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

हमारे राज्य में राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर 1974 से पूर्व चुनाव हो सकते हैं ।

सभापति महोदय : यह असंगत है ।

श्री पी० के० देव : जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, कुछ असंगतियां विद्यमान हैं जैसे (भूयार) बिहार में अनुसूचित जाति है और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति है । राजवन्सी असम में अनुसूचित जनजाति है । और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है । इन सब पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अनुच्छेद 81 के अनुसार 8.70 लाख व्यक्तियों के लिये लोक सभा का एक स्थान रखा है , देश की जनसंख्या बढ़ रही है अतएव लोक-सभा की सदस्य संख्या बढ़ाना उपयुक्त है ।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखें ।

करों की बकाया राशि

ARREARS OF TAXES**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कर अदायगी में तीन प्रकार से गड़बड़ होती है अर्थात् कर अपवंचन, कम कर निर्धारण तथा कर की वसूली न किया जाना ।

श्री के० आर० गणेश ने 24 नवम्बर, 1972 को बताया था कि कर की बकाया राशि 1000 करोड़ रुपया न होकर केवल 438.60 करोड़ रुपया है । उन्होंने यह भी कहा था कि कर की बकाया राशि की समस्या 947 से ही चल रही है । प्रत्येक वर्ष कर वसूल किये जाते हैं तथा कुछ कर बकाया रह जाते हैं जिनके लिये नई मांग खोली जाती है । 438 करोड़ रुपयों की बकाया राशि केवल एक वर्ष की नहीं वरन् 1947 से लेकर अब तक की कुल राशि है ।

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

**Half-an-hour Discussion,

निगमित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि इस समय मेरे पास निगमित क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र के नाम बकाया राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा नहीं है। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने सही जानकारी नहीं है। नियंत्रक तथा महानिदेशक के 1970-71 के प्रतिवेदन में कुल बकाया राशि 738.77 करोड़ दी गई है तथा निगमित क्षेत्र की ओर 174.89 करोड़ रुपया बकाया बताए गए हैं। अतः उन्होंने सभा को जान बूझकर गलत जानकारी दी है। उन्होंने उपहार कर सम्पति कर आदि की बकाया राशि को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया है। नियंत्रक तथा महानिदेशक के प्रतिवेदन में बताया गया है कि सम्पत्ति कर की बकाया राशि 1201.37 लाख रुपया है, उपहार कर की बकाया राशि 238.73 लाख रुपया है तथा सम्पदा शुल्क की बकाया राशि 1571.34 लाख रुपया है।

लोक लेखा समिति के नवीनतम प्रतिवेदन में कर की बकाया राशि का पूरा-पूरा विवरण दिया हुआ है। उसमें कहा गया है कि मार्च, 1966 में 381 करोड़ रुपया, मार्च 1967 में 541-73 करोड़ रुपया, मार्च, 1968 में 622.61 करोड़ रुपया, मार्च, 1969 में 774.40 करोड़ रुपया और मार्च, 1970 में 840.7 करोड़ रुपया बकाया था।

वांचू समिति के अन्तिम प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1944 में कर की बकाया राशि 24 करोड़ रुपया थी जबकि एक दशाब्दि में बढ़कर 187 करोड़ रुपया हो गई। उससे अगली दशाब्दि में यह राशि 271 करोड़ रुपया हो गई तथा गत वर्ष तक यह राशि 840 करोड़ रुपया हो गई। यह भी बताया गया है कि यह राशि लगभग 16 लाख व्यक्तियों पर बाकी है। उक्त प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि इस समस्या के समाधान के लिये प्रभावोत्पादक उपाय करने की आवश्यकता है।

इन सब बातों को देखते हुये भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि सरकार स्वयं एकाधिकार को पनपने में सहायता दे रही है तथा राजनीतिक कारणों से कई एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहती। केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय आदि वित्त मंत्रालय से हटाकर प्रधान मंत्री के अधीन लाए गए फिर भी उसका कोई परिणाम नहीं निकला।

जहां तक माननीय मंत्री के अधीन मंत्रालय के कार्यकरण का सम्बन्ध है 1970-71 में आयुक्तों द्वारा केन्दीय सर्किल के पास जितने मामले भेजे गये उनमें से अधिकतर छोटे करदाताओं के बारे में थे। 1971-72 में 24 आयुक्तों ने ऐसे 57 मामले भेजे तथा उनमें भी अधिक छोटे करदाताओं के थे तथा बड़े व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पश्चिम बंगाल स्थित पांच आयुक्तों ने 1970-72 में मुकदमा चलाने के लिये एक भी मामला नहीं भेजा यद्यपि वहां अनेक उद्योग हैं।

यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कर वसूली के लिये पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं किन्तु वहां आयकर से सम्बन्धित पांच रेंज हैं इनमें से एक रेंज की जांच से पता चला है कि वर्ष 1971-72 के आरम्भ में कर भी बकाया राशि की कुल संख्या 53 करोड़ रुपया थी। केन्द्रीय

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कार्य कर अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि पश्चिम बंगाल स्थित कर विभागों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है।

खेद की बात है कि कई व्यक्तियों की ओर लगभग 50 करोड़ रुपयों का कर बकाया है। स्वयं प्रधान मन्त्री ने 13 मई, 1972 को एक वक्तव्य में यह कहा है कि भारत का एक सबसे धनी परिवार ने केवल आठ रुपया कर दिया।

वित्त मंत्रालय द्वारा गत वर्ष एक अभियान आरम्भ किया गया था जिसका उद्देश्य यह था कि कर की बकाया राशि कम से कम रहे। किन्तु वह अभियान सफल नहीं रहा बल्कि उससे इस विभाग के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके साथ-साथ विदेशी कम्पनियां इस अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठा रही हैं एक ओर तो विदेशी कम्पनियों की ओर कर बकाया है तथा दूसरी ओर उनके लाभांश और लाभ में वृद्धि होती जा रही है। इण्डियन टोबैको कम्पनी ने वर्ष 1969 में 138.29 लाख रुपया लाभ अर्जित किया तथा 1970 में 146.05 लाख रुपया। बजीर सुल्तान कम्पनी आफ इण्डिया ने वर्ष 1969 में 19.70 लाख रुपया तथा 1970 में 22.16 लाख रुपया लाभ अर्जित किया। इस प्रकार यह कम्पनियां दिन प्रति दिन प्रगति कर रही है किन्तु वे सरकार को कर का भुगतान नहीं कर रहीं।

इसी प्रकार विदेशी बैंकों की ओर कर बकाया है किन्तु उन्होंने अपने देशों को लाभांश के रूप में जो राशि भेजी है उनसे ज्ञात होता है कि उन्हें कितना लाभ हो रहा है। लॉयड्स बैंक तथा नेशनल ग्रिंडलेज बैंक ने मुख्य कार्यालय के खर्चे के लिये 1967 में 1,20,33,000 रुपये भेजे जबकि उनके लाभ की राशि 2,15,33,000 रुपया थी। वर्ष 1970 में उन्होंने इस सम्बन्ध में 2,01,82,000 रुपये की राशि भेजी तथा उनसे कुल लाभ 3,57,22,000 रुपया हुआ। मुख्य कार्यालय पर होने वाले खर्च पर आप कर वसूल नहीं होता। नेशनल ग्रिंडलेज बैंक ने मुख्य कार्यालय के खर्चे के लिये 1970 में 1,05,31,000 रुपये भेजे और उनके लाभ की राशि 1,53,30,000 रुपया थी। इन बैंकों ने वर्ष 1968-69 में इस बहाने से 38-67 करोड़ रुपया अपने देश भेजा तथा 1970 में उस राशि में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार का ध्यान बार-बार कम कर निर्धारण की ओर दिलाया गया है फिर भी इस प्रकार की भूलों में वृद्धि होती जा रही है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार 1965 में 803 ऐसे मामले पाये गये जिनमें 36.32 लाख रुपयों का व्यय कर निर्धारित किया गया था। बाद में ऐसे मामले बढ़ते ही गए तथा 1971 में इन मामलों की संख्या 2424 हो गई तथा व्यय निर्धारित कर की राशि 1,29,31,000 हो गई। इससे ज्ञात होता है कर विभाग का कार्य कितना दोषपूर्ण तथा अव्यवस्थित है। वास्तविकता यह है कि मध्य वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक परेशान किया जाता है किन्तु बड़े व्यापारियों और धनी व्यक्तियों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। इसके भी कारण हैं।

श्रेणी दो के आय कर अधिकारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण आयकर सर्किलों में 80 प्रतिशत श्रेणी दो के आयकर अधिकारी हैं। उन्हें भिन्न

वेतन दिये जाने के क्या कारण हैं ? प्रशासन की अकार्यकुशलता के कारण कर की वसूली नहीं होती। कलकत्ता के स्पेशल सर्किल में 10 प्रतिशत श्रेणी दो के अधिकारी हैं तथा मुख्यालय में भी 77.27 प्रतिशत कर्मचारी श्रेणी दो के हैं।

मेरा कहने का आशय यह है कि राजनीतिक उद्देश्यों और सांठ गांठ के कारण करों की वसूली नहीं होती। राजनीतिक दृष्टि से एक प्रभावशाली व्यक्ति की ओर कर की सारी राशि बकाया थी तथा तत्कालीन वित्त मंत्री ने उसे समन जारी किये थे।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम क्या है ?

श्री ज्योतिमय बसु : श्री बीजू पटनायक (**व्यवधान**) मेरा कहने का आशय यह है कि इस प्रकार कर की वसूली नहीं की जा सकती।

Shri M. C. Daga (Pali) : The collection of tax arrears has become a chronic problem in India.

I want to know the number of cases. in which assessment has been done. I also want to know the amount involved in the cases which are under prosecution in the court of law.

It has been observed that the procedure for assesment of taxes is defective as a result of which people go to Courts and get stay orders.

May I also know whether Government have adopted certain new measures to recover the arrears of taxes after receiving the Report of Wanchoo Committee ?

***श्री ई. आर. कृष्णन्** (सलेम) : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार वर्ष 1971-72 में आयकर की बकाया राशि 438.60 करोड़ रुपया है सरकार ने कर वसूली के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाये हैं। तमिलनाडु के सिनेमा अभिनेता की ओर 1971-72 में 23,49,617 रुपया बाकी थे। क्या इस अभिनेता, श्री एम. जी. रामचन्द्रन के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? क्या यह सच है कि श्री रामचन्द्रन ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था तथा बाद में उसे वापस ले लिया था ? क्या उनसे बकाया राशि शीघ्र वसूल की गई और यदि नहीं तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या पक्षपात के कारण उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : यह आधे घंटे की चर्चा आयकर की बकाया राशि के सम्बन्ध में एक अतारांकित प्रश्न के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाई गई है तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का आरोप भी लगाने का प्रयत्न किया है।

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री के० आर० गणेश]

यह खेद की बात है कि लगभग 438 करोड़ रुपये का कर बकाया है तथा सरकार इस समस्या को गम्भीर मानती है। वांचू समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा उसमें त्रुटियों को दूर करने के लिये सिफारिशें की गई हैं।

यदि माननीय सदस्य नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को ध्यान से देखे तो ज्ञात होगा कि उसमें कर की शुद्ध बकाया राशि 399.82 करोड़ रुपया बताई गई है तथा आयकर विभाग के अनुसार कर की बकाया राशि लगभग 438 करोड़ रुपया है। आयकर विभाग निदेशक तथा महालेखा परीक्षक के साथ विचार विमर्श करने का प्रयत्न कर रहा है जिससे इन आंकड़ों में अन्तर न हो सके।

मैं बकाया राशि का ब्यौरा देना चाहता हूँ। 1961-62 तथा उससे पहले बकाया राशि 55.34 करोड़ रुपये थी। 1962-63 से 1969-70 तक यह राशि 200.82 करोड़ रुपये थी। 1970-71 में बकाया राशि 8.82 करोड़ रुपया तथा 1971-72 में 96.82 करोड़ रुपया थी। इस प्रकार यह राशि 438.60 करोड़ रुपया हुई। यह बकाया राशि वसूल की गई कुल राशि का पांच प्रतिशत है। मैं यह नहीं कहता हूं कि 438 करोड़ रुपया की राशि महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में भारी चिन्ता है।

जब यह मामला उठाया गया था तब मैंने कहा था कि निगमित क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बाद में हमने इस सम्बन्ध में आँकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न किया। निगमित क्षेत्र की ओर लगभग 92 करोड़ रुपयों का कर बकाया है हमें अभी लगभग 2,000 आयकर अधिकारियों से जानकारी उपलब्ध करनी है तथा उसके बाद ही अन्तिम रूप से कुछ बताया जायेगा। गत 10 वर्षों में नियमित क्षेत्र में कुल 3,295.61 करोड़ रुपयों का कर वसूल किया गया है तथा 92 करोड़ रुपयों की बकाया राशि उसका 2.86 प्रतिशत है। यह सच नहीं है कि बड़े गृहों से कर वसूल नहीं किया जाता। कुछ कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के बाद ही की जा सकती है।

माननीय सदस्य ने नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को ध्यान से नहीं देखा इसी कारण उन्होंने मेरे आंकड़ों तथा प्रतिवेदन में निहित आंकड़ों में अन्तर बताया है। वास्तव में उन्होंने यह चर्चा उठाकर सभा को धोखा किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अन्य करदाताओं के बारे में प्रश्न उठाये हैं उनके सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है तथा उसके लिए मुझे पूर्व समय चाहिए।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 14 दिसम्बर, 1972/23 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday the 14th December, 1972/ Agrahayana 23, 1894 (Saka)